खण्ड-351, अंक-6
शुक्रवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1903
(3 अप्रैल, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	517–521
प्रश्नोत्तर	521–559
पूर्ति निरीक्षक शाहगंज, आगरा द्वारा ग्राम नगला सेवा में पकड़ी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	560
मथुरा जिले की मथुरा एवं छाता तहसील के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति एवं सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	561
गोरखपुर जिले के खोराबार थाने की पुलिस द्वारा ग्राम डांगीपार के ग्रामीणों की पिटाई तथा लूट के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	561–562
किशोरी रमन महिला विद्यालय डैम्पियर नगर मथुरा, में छात्राओं से नाजायज धन की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	562
श्री भोला पाण्डेय द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना को पढ़े जाने का प्रयास	562–563
डी0 एम0, बाराबंकी को पकड़वाने हेतु एस0 पी0, बाराबंकी द्वारा जारी वारन्ट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न	563–564
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78 (सदन के पटल पर रखे गये) ..	565
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	565
उत्तर प्रदेश जिला परिषद और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 (शाब्दिक संशोधन को सदन के पटल पर रखा गया) ..	565
उत्तर प्रदेश जिला परिषद और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	565
उत्तर प्रदेश विनियोग (1974–75, 1975–76 और 1976–77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	565–566
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	566
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	566
पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध लम्बित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	566–567
श्री भोला पाण्डेय द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सूचना उठाये जाने का प्रयास तथा व्यवस्था का प्रश्न	567–568
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	568–569
श्री शम्भूनाथ द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना को स्पष्टीकरण हेतु शासन को भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना	569–570

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	570–592
उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन कर चार राज्यों में विभाजन किये जाने के सम्बध मे संकल्प (जारी)	593–613
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	613
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 (पारित)	613–619
देश की वन सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध, आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों को संसद द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	619–625
नत्थियां	627–629

संसद पुस्तकालय

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 3 अप्रैल, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—343

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैया)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर

कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शीद अहमद, अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री	नैनीताल
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा

गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री	बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चेत राम गंगवार, श्री	बरेली
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजं बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री	आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दल सिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल कुमार, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़

बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री	लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपूर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भीम सिंह, श्री	मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री	कानपुर
भूपसिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरली धर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपूर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)	गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रती राम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर

राम पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भू नाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बादा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कु0	कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूरजभान, पंडित	अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर	हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हरिबंश सहाय, श्री	देवरिया
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरदेव, श्री	बलिया	हरीशंकर, श्री	हरदोई
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर		

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1981

तारांकित प्रश्न

*1–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[30-1-81 को अतारांकित प्रश्न सं0 180 द्वारा उत्तरित]

ग्राम जमुनीपुर, भदोही, वाराणसी के श्री मिठाई लाल राय की सीलिंग की भूमि का श्रीमती संध्या रानी के नाम अनियमित पट्टा

*2–श्री ऊदल (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव जमुनीपुर बाद फरासे भदोही तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आराजी नं0 23 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां 1 धूट मिठाई लाल राय की उपरोक्त गांव में 19-9-77 को सरकार ने सीलिंग एक्ट से निकाली थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आराजी नं0 23 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वां 1 धूट जमीन को एस0 डी0 एम0 ज्ञानपुर, वाराणसी ने श्रीमती संध्या रानी पति पारसनाथ पाण्डेय के नाम निवासी ज्ञानपुर दिखाकर पट्टा कर दिया है और 18-12-79 को दाखिल खारिज कर के खतौनी में दर्ज करवा दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारस नाथ पाण्डे, जिला बलिया के निवासी है और एस0 डी0 एम0 ज्ञानपुर के जीप ड्राइवर हैं? उक्त भूमि स्थानीय भूमिहीनों को न देकर गलत तरीके पर क्यों दिया गया है? क्या इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1980 में मा0 मुख्य मन्त्री को शिकायती-पत्र भी भेजा गया है?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)–

जी हां। पट्टा अनियमित हुआ था जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही आयुक्त वाराणसी मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है। अनियमित पट्टा करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है। विभागीय जांच के पश्चात् उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य द्वारा शिकायत 11-12-80 को शासन को प्राप्त हुई।

जौनपुर जिले के ग्राम दखान एवं रसूलपुर में भूमि का फर्जी पट्टा

*3–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जिला जौनपुर में ग्राम दखान और रसूलपुर परगना सरेमू तहसील सदर में सन् 1975 और सन् 1976 में सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी फर्जी पट्टों का इन्दराज खतौनी में किया गया है? यदि हां, तो उन कर्मचारियों और फर्जी पट्टेदारों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व उप मंत्री (श्री जैराज गौतम)

जी हां, सन् 1975-76 में ग्राम दखान तथा रसूलपुर, तहसील सदर, जिला जौनपुर में क्रमशः 9 तथा 1 फर्जी पट्टों के आधार पर इन्द्राज लेखपाल द्वारा खतौनी में किया गया था। लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और खतौनी से उक्त फर्जी इन्द्राज को खारिज कर दिया गया है। लेखपाल ने खतौनी में जिन पट्टों के आधार पर फर्जी इन्द्राज किया था उनके बारे में भूमि प्रबन्धक समिति का कोई प्रस्ताव नहीं था और यह फर्जी पट्टे परगनाधिकारी द्वारा अनुमोदित भी नहीं किये गये थे।

पट्टेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उस समय उठेगा जब यह पट्टे उनके द्वारा अमलदरामद हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे और यह प्रमाणित हो जावेगा कि इन फर्जी पट्टों के बनवाने में उनका हाथ था।

श्री हरिवंश सहाय–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम दखान और रसूलपुर में किन-किन लोगों को पट्टे दिये गये थे और कितनी जमीन दी गयी थी?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, 9.18 एकड़ भूमि इसमें निहित है। रसूलपुर में कृष्ण सेवक पुत्र गरीब और दखान में मेवा लाल पुत्र लुसखुर, सन्तलाल पुत्र एरसादी, राजदेव पुत्र बोधई, मु0 धर्मराजी पत्नी बलराम, धनई पुत्र देव नन्दन, हरगुन पुत्र कालीचरन, विजय प्रकाश पुत्र राम अधार, जय प्रकाश पुत्र सत्य नारायण, सहतू पुत्र मगरू।

श्री हरिवंश सहाय–

सन् 1975 में जब से पट्टे किये गये थे तब से आज तक उनसे कितना राजस्व वसूल किया गया और क्या जो दखल किये हैं, उनके ऊपर जुर्माना किया जायेगा?

श्री बैजनाथ कुरील–

यह पट्टे तो वास्तव में हुए ही नहीं हैं, फर्जी इन्द्राज लेखपाल ने कर दिये और उसे निलम्बित कर दिया गया है। अब जो ये इन्द्राज हो गये हैं उसको खारिज करने के आदेश कर दिये गये हैं, खारिज हो गये हैं।

श्री भीखा लाल–

जिन लोगों ने फर्जी पट्टे कराये उनके खिलाफ कार्यवाही तब की जायेगी जब पट्टे अमल दरामद के लिए पेश किये जायेंगे तो जो लेखपाल ने कर दिया है पहले ही, तो अब कब मामला उठेगा?

श्री बैजनाथ कुरील–

दिक्कत इसमें यह है कि जब तक यह साबित न हो कि इन लोगों का हाथ है पट्टे करवाने का लेखपाल से तब तक उनके खिलाफ कार्यवाही की नहीं जा सकती। इसलिये जब वह कुछ लायें कि हम को यह जमीन मिली है तब उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि फर्जी पट्टे ले लिये गये हैं तो इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसकी बेदखली का मुकदमा भी चल रहा था, तो क्या जो उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर स्थान-स्थान पर फर्जी पट्टे हुए हैं, उनको समाप्त करने का कोई नया कानून और व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 पाण्डेय जी, आपका प्रश्न जो है, वह बहुत व्यापक है, इसलिये अनुमति नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उत्तर दिला दीजिये। जैसा पाण्डेय जी ने पूछा है, उसका उत्तर दे लेने दें।

उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैंने सूबेदार जी को बुलाया है।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पट्टे की प्रक्रिया में प्रधान और लेखपाल दोनों ही होते हैं, तो क्या इसके लिये प्रधान ने भी लिखा था या सब लेखपाल ने ही किया है?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं हुआ। लेखपाल ने सब अपने आप कार्य कर लिया। यही तो फोरजरी है एक तरह से।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह निश्चय हो गया कि पट्टे फर्जी दिए गए हैं, तो इतना स्पष्ट हो जाने के बाद भी उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री बैजनाथ कुरील–

मैंने बताया कि लेखपाल निलम्बित कर दिया गया है और जिनको पट्टे दिए गये हैं, वह जब सामने आयेंगे, अपना हक लेकर तब उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री अकबाल हुसैन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, यह स्पष्ट है कि फर्जी इन्द्राज किये गये और फर्जी इन्द्राज करने से कटान सरकारी कागज का होता है इसलिये 218 भारतीय दण्ड विधान के तहत यह एक अपराध बनता है, तो क्या उस लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा लाने की कृपा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, इनको पुलिस में भी दिया जा सकता है और इसमें बहुत समय लग जायेगा और तब तक वह घूमते रहेंगे और सरकारी पैसा लेते रहेंगे, इसलिये इन्हें निलम्बित करके डिसमिस करेंगे। इस तरह के लोगों को सर्विस में नहीं रखेंगे।

मेसर्स सोमैया आर्गेनिक्स (इण्डिया) लि0 देवरिया द्वारा मेसर्स सोमैया अर्गेनिक्स (इण्डिया) बाराबंकी को अल्कोहल की आपूर्ति पर कर की छूट

*4–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोमैय्या डिस्टीलरी कप्तानगंज (देवरिया) जितनी मात्रा में अल्कोहल एवं विभिन्न प्रकार की स्पिरिट मेसर्स सोमैय्या आर्गेनिक्स, बाराबंकी के लिये निकासी करती है उसका आबकारी एवं आयकर नहीं देती जिससे सरकार को लाखों रुपया प्रतिवर्ष हानि उठानी पड़ती है? यदि हां, तो क्यों?

गन्ना विकास मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)–

मेसर्स सोमैया आर्गेनिक्स (इण्डिया) लिमिटेड की कप्तानगंज (देवरिया) में आसवनी कार्यरत है जिसने अल्कोहल वर्ष 1979-80 में मेसर्स सोमैया आर्गेनिक्स (इण्डिया) लिमिटेड की बाराबंकी स्थित औद्योगिक इकाई को 1,09,99,980-1 बल्क लीटर विशेष विकृत स्प्रिट की निकासी दी।

बाराबंकी स्थित इकाई को वर्ष 1970 में कप्तानगंज आसवनी से प्राप्त अल्कोहल पर 135 लाख लीटर वार्षिक मात्रा की सीमा तक कर मुक्ति प्राप्त थी जिसे शासनादेश दिनांक 7 अक्तूबर, 1979 की प्राप्ति के 30 दिनों के बाद से समाप्त कर दिया गया है। शासन के करमुक्ति समाप्त करने के आदेश के विरुद्ध बाराबंकी स्थित इकाई ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 7 नवम्बर, 1979 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश समाप्त करने के लिए आवेदन पत्र और शासन

की ओर से प्रति शपथ पत्र दायर किये जा चुके हैं । प्रश्नगत रिट याचिका में अभी अन्तिम सुनवाई नहीं हुई है।

प्रसार करने और नयी मशीन लगाने पर उक्त इकाई (मेसर्स सोमैया आर्गेनिक्स) को उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष के लिये अल्कोहल की 90 लाख लीटर वार्षिक सीमा तक 16 जनवरी, 1979 को छूट प्रदान की गयी है।

इन परिस्थितियों में कप्तानगंज आसवनी से मेसर्स सोमैया आर्गेनिक्स, बाराबंकी को प्राप्त अल्कोहल पर वेंडफीस और क्रयकर प्राप्त नहीं हुआ है। आयकर के सम्बन्ध में शासन के स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

जौनपुर जिले की बदलापुर खुर्द हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*5–श्री जंग बहादुर (अनुपस्थित)–

क्या विद्युत मंत्री को यह ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र बदलापुर के बदलापुर खुर्द हरिजन बस्ती में एक वर्ष पूर्व विद्युतीकरण पूरा किया जाना दिखाया गया जबकि मात्र 2 खम्भे लगा दिये गये तथा कुछ दूरी तक तार लटका दिया गया है? यदि हां, तो मंत्री जी कृपया इसकी जांच कराकर शीघ्र बिजली लगवाने की व्यवस्था करेंगे?

विद्युत मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र बदलापुर की बदलापुर खुर्द हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 260 मीटर लम्बी एल0टी0 लाइन बिछाकर मई, 1977 में किया गया था। उक्त हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत स्टीमेट के अनुरूप तीन खम्भे लगाये गये जिसमें से दो खम्भे हरिजन बस्ती के बीच में हैं।

उक्त हरिजन बस्ती में विद्युत प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध है, अतः जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

*6–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

मुरादाबाद जिले की बाजार दलपतपुर, मूढापाण्डे, सरकड़ा खास की नीलामी

*7–श्री रियासत हुसैन–

क्या राजस्व मंत्री को यह ज्ञात है कि तहसील मुरादाबाद जिला मुरादाबाद के बाजार दलपतपुर, मूढा पाण्डे, सरकड़ा खास तथा गांधी का नीलाम तहसील द्वारा किया गया था परन्तु अभी एक ही इन्सटालमेंट जमा हुआ है जबकि अब तक 3 इन्सटालमेंट जमा हो जाने चाहिए थे? यदि हां, तो क्यों? इनके इन्सटालमेंट को तुरन्त जमा करने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री जैराज गौतम––

जी नहीं।

नीलाम तहसील द्वारा नहीं बल्कि सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा किया गया था। नीलाम के तुरन्त बाद नीलामी बोली का 1/4 भाग जमा करा लिया गया था। चार किश्तों में से बाजार दलपतपुर की 3 किश्तें, मूढां, पाण्डे बाजार की दो किश्तें, सरकड़ा खास बाजार और नक्खासा की 13,500/- धनराशि तथा गांधी बाजार के नक्खासी की केवल एक किश्त अदा करनी शेष है। जिन भूमि प्रबंधक समितियों ने अभी तक पूरा रुपया वसूल नहीं किया है उनके चेयरमैनों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि बकाया धनराशि की भू-राजस्व की भांति वसूल करने की नियमानुसार कार्यवाही करें।

श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, इन्हीं बाजारों का पिछले साल भी नीलाम किया गया था, तो तहसील वालों से मिलकर के उन्होंने 1/4 धनराशि जमा की, जिसकी इनक्वायरी चल रही है। इस

साल जो नीलामी हुई, वह तहसील की देख रेख में ग्राम समाज द्वारा मेरी मौजूदगी में की गई और यह धनराशि 1/4 मेरी मौजूदगी में जमा की गयी थी डाकखाने में। अभी तक, जैसा आप ने बताया, रुपया बकाया है। दलपतपुर का 42 हजार बकाया है, 56 हजार की नीलामी हुई थी, मूढा पाण्डे का साढ़े बारह हजार बकाया है, सरकड़े का साढ़े तेरह हजार। एमाउन्ट दिया नहीं है। गौधी का पांच हजार बकाया है। 31 मार्च बीत गया जिसके अन्दर यह जमा होना चाहिए था। क्या आप यह देखते हुए कि नया साल पहली अप्रैल से शुरू हो गया इसकी व्यवस्था करेंगे कि तहसीलदार या एस0डी0एम0 इसकी जिम्मेदारी ले? आप के आदेश द्वारा और इस रुपये को वसूल करके जमा कराये?

श्री बैजनाथ कुरील--

इसमें कुछ दिक्कतें हुई थी। पहले तो दलपतपुर के प्रधान की मृत्यु हो गयी थी। फिर जो उप प्रधान था उसके चार्ज लेने में समय काफी लग गया था। मूढा पाण्डे बाजार के प्रधान पर कत्ल का मुकदमा चल गया था। वह फरार हो गये थे। एक महीना पहले आये हुए हैं। अब यह आदेश जा चुके हैं कि वह वसूली भू-राजस्व वसूली की तरह से तुरन्त कराई जाय। और जो बकाया की राशि बतायी माननीय सदस्य ने तो वह दलपतपुर का 40,000 रुपया है, 54,500 की नीलामी थी, मूढा पाण्डे की 19,700 की नीलामी थी, इस में 9,850 बाकी है, और सरकड़े का 9,600 बाकी है... (व्यवधान) अब इसकी तुरन्त भू-राजस्व की तरह वसूली कर ली जायगी।

***8--श्री राजेन्द्र कुमार मुप्त--**

[14वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर की गन्ना मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

***9--श्री राम कुमार भार्गव तथा डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--**

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की किन-किन चीनी मिलों पर 26-12-80 को गन्ना काश्तकारों का बकाया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भानु प्रताप सिंह--

सीतापुर जिले के अन्तर्गत 31-12-80 तक की स्थिति के अनुसार बिसवां मिल पर 15.18 लाख रु0, हरगांव मिल पर 27.90 लाख रु0 तथा महोली मिल पर 62.22 लाख रु0 गन्ना काश्तकारों का बकाया है।

बकाया धनराशि के भुगतान हेतु प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि कार्यवाही की जा रही है। जब कभी इस तरह का सवाल उठाया जाता है, तो यही उत्तर दिया जाता है कि कार्यवाही की जा रही है। माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इस बकाये की प्रथा द्वारा मिल मालिक ब्याज के द्वारा या अन्य साधनों द्वारा धन कमाते हैं, क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने की घोषणा करेगी कि किसानों को उन के बकाये धन के साथ उसका ब्याज भी मिले ताकि यह प्रथा समाप्त हो?

श्री भानु प्रताप सिंह--

यह काफी अच्छा और गम्भीर प्रश्न है। हम लोग इसका परीक्षण करा रहे हैं कि कैसे इस पर लोगों को ब्याज दिलवायें, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से फिलहाल यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री भीखा लाल--

क्या गन्ना विकास मंत्री जी बतायेंगे कि इसी सदन का पास किया हुआ एक अधिनियम है कि गन्ने के बकाये पर सूद दिलाया जायगा काश्तकारों को। तो अब कौन सी वैधानिक अड़चन पड़ रही है कि अधिनियम के मुताबिक सूद नहीं दिया जा रहा है?

श्री भानु प्रताप सिंह–

मान्यवर, यह माननीय सदस्य ने वैधानिक अड़चन का जो प्रश्न उठाया है, उसमें जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार गन्ने की कीमत निश्चित करती है और उसके अनुसार पेमेंट होती है। दूसरे प्रदेशीय सरकारों की ओर से जो गन्ने की कीमत बढ़ाई जाती है, वह सही कीमत हुआ करती है। उस वक्त इन्होंने जो स्थगन आदेश लिये हैं, उसमें इन्होंने तर्क दिया था कि हम इसको देने के लिये नियमतः बाध्य नहीं हैं। इस वजह से उनको जगह-जगह और समय-समय पर स्थगन आदेश मिलते रहे। हम लोग माननीय सदस्यों की भावनाओं का पूरी तरह से आदर करते हैं और प्रयत्नशील हैं कि कोई ऐसा तरीका निकल आवे कि हम लोग उस पर ब्याज दिला सकें।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस बकाये के अन्दर केवल इन्क्रीमेंट का पैसा ही नहीं है, बल्कि मूल जो धनराशि है वह भी शामिल है। उस सारे पैसे की अदायगी का प्रश्न है, तो क्या आप ऐसे आदेश तुरन्त देंगे कि जो यह मूल पैसा है उसका पेमेंट हो जाय और बीच में जो बढ़ा उसका स्थगन आदेश के साथ आदान-प्रदान होता रहे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरे पास ब्रेक-अप है। आपका प्रश्न है कि जो बकाया है, उसके तुरन्त भुगतान के आदेश हो जायं। वह आदेश और उन पर बराबर नजर रखी जा रही है। बकाया जो है इन तीन मिलों से सम्बद्ध जो प्रश्न है, उस पर यदि हम एक नजर डालें तो वह इस प्रकार है कि 28-2-81 तक बिसवां चीनी मिल पर पुराना गन्ने का कुल बकाया नहीं है लेकिन इस साल 200.05 लाख धन देय है। इसमें से 195.74 लाख भुगतान हुआ है और 4.31 लाख इस वक्त ऐसा है जो भुगतान कराये जा सकने की स्थिति में है। महौली मिल का पुराना 53.83 लाख था, इस साल देय हुआ 291.74 लाख और उसमें से 287.77 लाख दिया जा चुका है और 3.77 लाख इस वक्त देना बाकी है। मान्यवर, हरगांव मिल में पुराना 13.53 लाख था, इस साल 611.06 लाख धन देय हुआ था, जिसमें से 585 दिया जा चुका है और 25.17 लाख देना बाकी है। महौली के बारे में स्थिति यह है कि उसमें शासन ने 50 लाख दिया था और उसकी वजह से पुराना भुगतान हुआ। इस वक्त उनको देने के लिये जो हमने कहा 53.83 लाख, जो पिछला रखा है, उनके संसाधन ऐसे हैं कि वे उससे पैसा दे सकते हैं। मुझे विश्वास है और हम यकीन करते हैं कि यह मिल अपने पैसे से यह भुगतान शीघ्र कर देगी। हरगांव में भी 74-75 में 1.69 लाख रुपया देना बाकी था। और 75-76 में 11-84 लाख बाकी था। इसी वजह से यह प्रश्न उठा था। यह जो अवशेष है यह धनराशि इस वर्ष के मूल्य की बढ़ोत्तरी के बाद से है।

अतः यह मूल धनराशि को देय नहीं मानते हैं। इसलिए इनकी जो समितियां हैं उनसे कह दिया गया है कि आप अपना हिसाब लगा लीजिये कि कितना उन पर बकाया है ताकि उन पर प्रेशर डालकर बकाया ले लें।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ब्रेक अप आपने इतना बड़ा बता दिया, लेकिन बताया केवल यह था कि ओरिजनल कितना था और लेटरआन जो बढ़ा उसका कितना धन है। दूसरी बात आपने यह कही थी कि वह देय नहीं मानते हैं, तो जब वह मूल देय नहीं मानते हैं, तो किस पर देय है क्या वह सरकार देगी या फिर सरकार ने उनको बाध्य किया है कि तुमको देना पड़ेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह–

हां तो उन्हीं पर देय मानते हैं, यह सीधी सादी बात है लेकिन कानून के शिकंजे में इस तरह से उसको उलझा देते हैं कि उसका वह लाभ उठाते हैं। सरकार उन पर

देय मानती है और इस बात का प्रयत्न करती रहती है किसी तरह का पैसा हो वह मजदूरों को और किसानों को दिलवाया जाए ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शुगर फैक्ट्री ललितहरि, पूरनपुर, पीलीभीत के ऊपर 1 करोड़ 14 लाख का बकाया किसानों का है, तो जहां वह एक तरफ किसानों का शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोआपरेटिव सैक्टर में लगने वाली चीनी मिल का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी हालत में माननीय मंत्री जी विशेष रूप से ललितहरि शुगर फैक्ट्री पर जो बकाया है, उसको शीघ्र अदा करने का निर्णय लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मूल प्रश्न तो सीतापुर से सम्बन्धित है और आप पीलीभीत का पूछ रहे हैं ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी–

मान्यवर, यह किसानों के बकाये से सम्बन्धित है ।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या मंत्री जी कुछ कह सकते हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह–

यह बिल्कुल सीधी सादी बात है यह मुझे लिख कर दे दें । वैसे यह मेरी जानकारी में आ गया है, इसकी परीक्षा करा लूंगा कि कितना बकाया है, किसानों का जो पैसा है, वह हम दिलवाने की कोशिश करेंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं . . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बताना नहीं है आप प्रश्न करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

बुलंदशहर की चीनी मिल पर भी किसानों का करोड़ों का बकाया है . .

श्री उपाध्यक्ष–

पूरक प्रश्न करने का एक तरीका है जो मूल प्रश्न है उसी से संबंधित प्रश्न करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

सभी किसानों का जो बकाया है, उसे दिलाने के लिए मंत्री जी ने क्या सोचा ? मैंने पहले भी सवाल किया था जिसका जवाब दिया था कि यथाशीघ्र निर्णय होगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं । बुलंदशहर के लिए कुछ पैसा भेजा गया था लेकिन वह मिल की मरम्मत के लिए खर्च हो गया, तो जो मद है, उसमें यह भी शामिल है कि जो किसानों की बकाया धनराशि है, उसको दिलाने के लिए कोई नीति बनाने जा रहे हैं ताकि इन समस्त बकाये को दे दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री सूबेदार सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देय बकाया है, उसमें अधिक से अधिक देय कितना पुराना है? जो मिलें देने की स्थिति में हैं, वे दे क्यों नहीं रही हैं? तथा कब तक अदायगी हो जाएगी? तीसरी बात यह है कि वह यदि नहीं देते हैं, तो क्या उन मिलों का अधिग्रहण करके उनका नियन्त्रण अपने हाथ में लेकर इस अदायगी को कराने की कृपा करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जिन तीन मिलों के बारे में प्रश्न उठा था, उसका ब्रेक-अप दिया गया है और यह देय धनराशि इतनी ज्यादा नहीं है कि जिसके बारे में कह दिया जाए कि वह दे नहीं सकेंगी, क्योंकि सितम्बर में जाकर इनका शर्करा वर्ष समाप्त होगा और उसके 90 दिन के अन्दर उसको देने की प्रक्रिया चालू रह सकती है, इससे हम यह मान नहीं सकते कि इनके पास यह नकाया है। हमने महोली चीनी मिल के बारे में निवेदन किया था, उनको हमने 50 लाख रुपया शासन से कर्ज देकर किसानों का भुगतान कराया। अब जो पैसा इस पर बकाया है यह पूर्व वर्षों का है, 80-81 का नहीं है। उसके पूर्व का 53.83 लाख उसको दिलाये जाने की व्यवस्था है, वह अपने संसाधनों से इसकी व्यवस्था कर लेंगी। इनकी जो फ्रीसेल की शुगर है, उसको भारत सरकार रिलीज करती है और जैसे-जैसे वह रिलीज करती जाती है उन्हें धन प्राप्त होता है और वह भुगतान करती है। ऐसा नहीं है कि वह 35 प्रतिशत चीनी अपने हिसाब से जब चाहें बेच लें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जैसा मंत्री जी ने कहा कि तीनों मिलों पर काश्तकारों का रुपया बकाया है और उसको दिलाने की वह कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मंत्री जी इस बात की निश्चित घोषणा करेंगे कि जो काश्तकारों ने केन यूनियन से उधार खाद ली है, जिसके धन की वसूली हो रही है, तो क्या उसको रोककर गन्ने के बकाया में से उसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे या जब तक न मिल जाय उस वसूली को रोकने की कृपा करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

वह तो पहले लिया था और गन्ने की खेती जो इस वर्ष हुई है, उसमें खर्च किया था। जो पहले सेशन का बकाया है, वह दिलाये जाने की प्रक्रिया चालू है और जिस कर्ज के बारे में आप कह रहे हैं, उसको स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है और न कोई दैवी आपदा है जो इस साल इस तरह का सवाल उठे। इस बार करीब दुगुना पैसा किसानों को मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

इन्होंने यह कहा था कि जब तक उनको (किसानों) पैसा नहीं मिल रहा है, किसानों से जो वसूली होने वाली है, उसको स्थगित करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री भानु प्रताप सिंह–

इनका यह अलग प्रश्न है, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव इनकी समिति यहां भेजेगी, तो उस पर हम विचार कर लेंगे।

हरदोई जिले के विद्युत उपकेन्द्र में अग्निकाण्ड

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

*10–क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में 66 के0वी0 उप गृह में एक बार मार्च में दूसरी बार माह मई, 1980 में आग लगी जिससे विभाग को लाखों रुपयों की क्षति हुई? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा-कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

वित्त मंत्री (श्री बृहस्पति दत्त)–

जी हां, हरदोई जनपद में 66 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, हरदोई पर दिनांक 11 मार्च, 1980 तथा 8 मई, 1980 को आग लगी थी। दिनांक 11 मार्च, 1980 तथा 8 मई, 1980 को लगी आग से क्रमशः लगभग रु0 6,000/- तथा रु0 50,000/- की क्षति हुई। इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर आवश्यक कार्य-वाही की जा चुकी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर पहली बार आग 11 मार्च, 1980 को लगी और दुबारा 8 मई, 1980 को, तो क्या दोनों बार आग लगने के

एक ही कारण थे? पहली बार आग लगने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें थीं?

श्री ब्रह्म दत्त–

दिनांक 11 मार्च, 1980 को जो आग लगी थी उसकी जांच की गयी थी। 11 के0वी0 स्विच गीयर्स का परीक्षण करने के पश्चात् पाया गया कि जिस समय 11 के0वी0 इन्कमिंग चालू की गयी, तो कान्टेक्ट्स ठीक नहीं लगे और 'स्पार्किंग' के कारण तेल उबलने लगा। स्विच गीयर खोले जाने के पश्चात् भी 'स्पार्किंग' होती रही तथा अन्ततः ट्राली में भरा तेल आग पकड़ गया।

कर्मचारियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिया, इसकी कोई सूचना नहीं है।

इसके बाद 8 मई, 1980 को लगभग 3-20 बजे प्रातः में लगी आग की जांच एक समिति द्वारा करायी गयी. जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, सीतापुर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत उपकेन्द्र, परिकल्पना मंडल, लखनऊ और अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खंड, फैजाबाद थे। इस समिति का विचार है कि 11 के0 वी0 इनकमिंग स्विच गीयर, ग्रामीण फीडर के साथ ट्रिप हुआ परन्तु कुछ यांत्रिक खराबी के कारण इन्कमिंग स्विच गीयर की ट्रिपिंग पूर्ण न हो पायी जिसके कारण ट्राली में भरा तेल आग पकड़ गया तथा आग लग गयी जो निकट के 11 के0वी0 स्विच गीयर्स में भी फैल गयी। 8 मई की आग में 11 के0वी0 इनकमिंग स्विच गीयर तथा 11 के0 वी0 फीडर स्विच गीयर्स क्षतिग्रस्त हुए, जिससे परिषद को 50,000 रुपये की क्षति हुई। समिति के निष्कर्षों के अनुसार दिनांक 11 मार्च, तथा 8 मई, 1980 के अग्निकाण्ड के लिए कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया। जांच समिति की संस्तुति के अनुसार हरदोई 66 के0वी0 उपकेन्द्र पर 250 एम0वी0ए0 'रेक्टिफाइंग कैपैसिटी' वाले 11 के0वी0 स्विच गीयर्स लगा दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब पहली बार आग मार्च, 1980 में लगी और फिर दुबारा मई, 1980 में लगी जो एक जैसी ही थी, तो मार्च में आग लगने के बाद क्या कोई ऐसे उपाय किये गये थे, जिससे उस आग की पुनरावृत्ति न हो?

श्री ब्रह्म दत्त–

यह टैक्नीकल बात है। बाद में 250 एम0 वी0 ए0 रेक्टिफाइंग कैपेसीटर्स बदल दिये गये थे। पहले कान्टेक्ट्स ठीक नहीं थी।

श्री राम आसरे वर्मा–

आग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये ठीक से उपाय न करने में उदासीनता बरती गयी जिसके परिणाम से मई में फिर आग लग गयी, तो इस उदासीनता को बरतने में किस अधिकारी और कर्मचारी का हाथ था?

श्री ब्रह्म दत्त–

मैंने पहले ही बताया कि एक अधीक्षण अभियन्ता और 2 अधिशासी अभियन्ताओं की एक कमेटी बनी थी। उसने पूरी जांच की लेकिन किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मार्च में पहली बार आग लगी। उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये अधिकारियों की ओर से उपाय भी किये गये थे? यदि हां, तो फिर मई माह में आग क्यों लगी तो जो उपाय किये गये उनमें उदासीनता बरतने के लिए क्या कोई जांच की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त–

मैंने निवेदन किया कि मई में जो आग लगी थी उसकी जांच के लिए तीन व्यक्तियों की एक समिति बनायी गयी थी जिसने किसी व्यक्ति को इसके लिये दोषी नहीं पाया।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब मार्च में आग लगी थी तो उस घटना की जांच किन-किन लोगों ने की थी?

श्री ब्रह्म दत्त–

11 मार्च, 1980 को जो आग लगी थी 2.35 बजे अपराह्न में उसकी जांच अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई ने की थी जिसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खंड, सीतापुर भी उपस्थित थे।

मान्यवर, यह मैं अभी पढ़ कर सुना चुका हूं। उन्होंने बताया है कि किसी व्यक्ति विशेष का उसमें दोष नहीं पाया गया। यह टेक्नीकल चीजें हैं और आमतौर से ऐसी घटनायें होती रहती हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि आग लगने से क्रमशः 6 हजार और 50 हजार का नुकसान हुआ, जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें कई लाख का नुकसान हुआ है, तो जो नुकसान हुआ है उसको ब्योरा क्या है? और उनकी कीमत अलग-अलग क्या है? दूसरी चीज यह जानना चाहता हूं कि यह जो रिपेयर हुआ वह किसके द्वारा हुये, क्या उसके लिए कोई कोटेशन मांगे गये थे, यदि नहीं, तो किसके आदेश से यह कार्य हुआ ?

श्री ब्रह्म दत्त–

यह सूचना उपलब्ध नहीं है, सूचना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो चीज जली है उसका अलग-अलग हिसाब लगाया गया होगा और तभी यह बताया गया है कि इतने-इतने का नुकसान हुआ, वही मैं पूछ रहा हूं। और दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह रिपेयर किसके आदेश से हुये और किसके द्वारा कराये गये तथा उसके लिये कोटेशन मांगे गये या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उपाध्यक्ष–

आपके मूल प्रश्न में रिपेयर का जिक्र नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उसे तो हम सप्लीमेन्टरी में ही पूछ सकते हैं, मूल प्रश्न में तो सारी बातें आती नहीं और आप उसकी अनुमति भी नहीं देते हैं, मान्यवर, वैसे जैसा आपका आदेश होगा।

श्री ब्रह्म दत्त–

माननीय सदस्य इस संबंध में पत्र द्वारा जो भी सूचना चाहेंगे, मुझे वे लिख कर भेज दें, मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

वे यह जानना चाहते हैं कि रिपेयर किसके द्वारा हुई और क्या उसके लिये कोटेशन्स मांगे गये?

श्री ब्रह्म दत्त–

प्रश्न मान्यवर, आग लगने के बारे में पूछा गया था, रिपेयर के बारे में नहीं था, अब माननीय सदस्य अगर मुझे पत्र लिख देंगे तो मैं सारी सूचना ब्योरेवार उनको भिजवा दूंगा ।

(व्यवधान)

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं उठ सकती ।

बिल्हौर, कानपुर में खोला गया भारतीय बचत निगम का फर्जी कार्यालय एवं पंजीकरण की रसीद

*11–श्री मोतीलाल दहेलवी–सरकार को जानकारी है कि तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में भारतीय बचत निगम की एक जाली शाखा 1979-80 में सील कर उसके एक प्रतिनिधि ने निबन्धन कार्यालय बिल्हौर में बैठकर 12 रुपया प्रति पंजीकरण के हिसाब से हजारों रुपयों की रसीदें काटी तथा कुछ समय बाद तमाम रुपया लेकर सम्पूर्ण कर्मचारी गायब हो गये ? यदि हां, तो उक्त फर्जी बचत निगम की शाखा में कौन-कौन लोग शामिल थे ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों को दी गयी रसीदों के आधार पर सम्पूर्ण मामले की जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी नहीं, शासन में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिससे यह जानकारी होती कि भारतीय बचत निगम नामक फर्म ने वर्ष 1979-80 में एक जाली शाखा खोलकर उसके एक प्रतिनिधि ने निबन्धन कार्यालय बिल्हौर में बैठकर बारह रुपये प्रति पंजीकरण की दर से हजारों रुपये की रसीदें काटी तथा कुछ समय बाद सम्पूर्ण रुपया लेकर कर्मचारी लापता हो गये । तहसील जो बिल्हौर जनपद कानपुर में खोली गई शाखा का पंजीकरण भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत नहीं हुआ है अतएव यह बतलाया जाना सम्भव नहीं है कि उक्त जाली शाखा में कौन-कौन शामिल थे ।

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत फर्मों के रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है कि वह पंजीकृत फर्मों के कार्यकलाप या अन्य किसी प्रकार की जांच करे अथवा पंजीकृत फर्मों को जारी किये गये प्रमाण पत्र को निरस्त करे । अतः कथित फर्म के विरुद्ध उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई जांच अथवा कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, मैं बड़े दर्द के साथ माननीय सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह सरकार जिनके विरुद्ध प्रश्न होता है, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर सूचना देती है, तो यह बड़े कष्ट की बात है और यह सरकार की विवेकशून्यता का प्रमाण है । यह सरकार नौकरशाही को घातक संरक्षण दे रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमने स्वयं कहा कि यह फर्जी फर्म खोली गयी, तो जिस समय हमारी सूचना सरकार को मिली और जो सूचना माननीय मंत्री जी ने सदन को दिया है, तो क्या इस सूचना पर कोई जांच कराई कि कोई फर्जी फर्म खोली गयी या नहीं खोली गयी, कम से कम इसकी तो जांच कराना चाहिए था ?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न एक फर्म के सम्बन्ध में है और निबंधन कार्यालय के संबंध में है । अब निबंधन विभाग से सारी जांच कराई गयी । इसमें ऐसी शिकायत नहीं मिली । लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास इस तरह की कोई सूचना है, तो पुलिस या गुप्तचर विभाग से जांच करा दूंगा ।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मैं माननीय मंत्री जी को वह रसीदें लाकर दे दूंगा। इस तरह से अगर व्यवस्था होगी कि कोई भी फर्जी फर्म खोलकर किसी भी किसान को ठग लीजिए और सरकार इस तरह से उत्तर दे दे, तो चल नहीं पायेगा, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी को हम रसीद प्रस्तुत करें, तो क्या माननीय मंत्री जी गुप्तचर विभाग से पूरी जानकारी, पूरी छानबीन करायेंगे और दोषी लोगों को दंडित करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

1979-80 का मामला है। उस समय तो माननीय देहलवी जी स्वयं सक्षम थे, लेकिन अगर ये लिखकर देंगे तो हम जांच करा लेंगे।

एशबाग पावर स्टेशन, लखनऊ से कोयले की कथित चोरी

*12–श्री श्याम लाल वाजपेयी (अनुपस्थित)–क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980 में एशबाग पावर स्टेशन, लखनऊ को जो कोयला एलाट किया गया उसमें से लगभग 4 हजार टन कोयला गायब कर दिया गया था, जिसकी पूर्ति कोयले के झांकड़ और बजरी से की गयी? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

एशबाग पावर स्टेशन के लिये कोल इण्डिया एवं रेलवे द्वारा अलग से कोयले का कोई एलाटमेन्ट नहीं किया जाता है। लखनऊ के एशबाग तथा तालकटोरा दो पावर हाउसों के लिये सम्मिलित रूप से एलाटमेन्ट होता है। सम्मिलित कोयला पहले तालकटोरा पावर हाउस के साइडिंग में उतारा जाता है उसके बाद एशबाग के लिये कोयला तोलकर ट्रकों द्वारा भेज दिया जाता है। यह भी ठीक नहीं है कि एशबाग पावर स्टेशन से चार हजार टन कोयला गायब कर दिया गया।

सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, बरेली की जीप से दुर्घटना एवं श्री ओंकारेश्वर सिंह की मृत्यु तथा क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान

*13–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1977-78 में बरेली रेंज के सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर की जीप से कोई रेलवे कर्मचारी बरेली के मार्केट में दब कर मर गया था? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त मुकदमें की पैरवी न करने के फलस्वरूप 1980 में पदारूढ़ डिप्टी कमिश्नर (बिक्री-कर) श्री आर0 मेहरोत्रा को 80,000/- रुपये मृतक के परिवार को देने पड़े? यदि हां, तो मुकदमें की पैरवी न करने वाले अधिकारी तथा 1977-78 में तैनात सहायक आयुक्त (शा0) बिक्री-कर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां। सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, बरेली की जीप संख्या-यू0एस0 आई0 6123 से दुर्घटना में एक रेलवे कर्मचारी श्री ओंकारेश्वर सिंह की मृत्यु हुई थी।

मृतक की पत्नी श्रीमती धन कुंवरि व अन्य द्वारा न्यायालय मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिव्यूनल, बरेली में दायर मुकदमे की पैरवी बिक्री-कर विभाग की ओर से जिला सरकारी वकील (दीवानी) बरेली द्वारा की गई थी। न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध रु0 80,000/- की डिग्री की गई है जिसका भुगतान न्यायालय को कर दिया गया है। यह धनराशि श्री बी0 आर0 मेहरोत्रा, उपायुक्त बिक्रीकर द्वारा नहीं दी गई है बल्कि इसका भुगतान विभाग द्वारा किया गया है।

न्यायालय मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिव्यूनल, बरेली के इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील दायर की गई है जो विचाराधीन है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही करना उचित होगा।

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–माननीय मंत्री के जवाब के संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1977-78 में पिछली सरकार ने इस मामले में उदारता बर्ती थी। मेरी जानकारी को सच मानते हुए इस जीप का ड्राइवर खुद जीप न चलाते हुए, खुद अधिकारी जीप चला

रहे थे, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? और इन अधिकारियों ने जो मुकदमा तैयार हुआ, उस पर पैरवी न करके 80,000 रु0 विभाग से दिलवाये। तो क्या इन तमाम चीजों की फिर से जांच करायेंगे, क्योंकि यह तो एक अपील है, इसमें मैं यह चाह रहा था कि उस जीप को ड्राइवर नहीं चला रहा था बल्कि संबंधित अधिकारी चला रहे थे और यह कार जो जीप है यह विभाग यानी सरकारी तौर से इस्तेमाल न करते हुए निजी काम में इस्तेमाल हो रही थी, तो क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे?

श्री ब्रह्म दत्त–मान्यवर, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है कि ड्राइवर ही चला रहा था, अफसर को घर छोड़ चुका था और वापस आ रहा था, जब यह एक्सीडेंट हुआ और और इसके अलावा जो पैरवी की गयी वह डी0 जी0 सी0/(सिविल) ने की, हाईकोर्ट में इसकी अपील पेन्डिंग है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो तथ्य सामने आयेंगे, उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

मोहम्मद अबरार अहमद–मान्यवर, मेरा तात्पर्य यह है कि यह केस 1977-78 का है और इसमें मैं यह चाह रहा था कि इसमें आप यह जांच करा लें, उच्च न्यायालय ने इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, कि आप जांच न करायें, तो यह जांच करा लें कि जातीय तौर से यह जीप इस्तेमाल हो रही थी और क्या अधिकारी स्वयं चला रहे थे, इसकी जांच मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–यही प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है और जब मामला सबजुडिस है, तो जांच कैसी होगी?

श्री मोहम्मद अबरार अहमद–मेरा कहना यह है कि नालिश की गयी थी मृतक का पत्नी द्वारा कि मेरे पति मर गये हैं मुझे इसकी रकम दी जाय। उन्होंने यह नहीं कहा है कि यह सरकारी तौर से इस्तेमाल हो रही थी या नहीं। मेरा कहना है कि यह जीप सरकारी तौर से इस्तेमाल नहीं हो रही थी।

श्री उपाध्यक्ष–न्यायालय इसको भी तो देख रहा होगा कि कौन गाड़ी चला रहा था और यह कि गाड़ी किस काम में इस्तेमाल हो रही थी।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा–मान्यवर, माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि मैं भी यही जानना चाह रहा हूं कि . . .

श्री उपाध्यक्ष–आप क्या किसी सूत्र का भाष्य कर रहे हैं?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा–जैसे राजस्थान में विद्यावती के मामले में जीप द्वारा विद्यावती के पति की मृत्यु हो गयी थी, उस सन्दर्भ में क्या यह जीप जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ, प्राइवेट इस्तेमाल में ले रहे थे या सरकारी काम से जा रही थी यदि यह जीप प्राइवेट इस्तेमाल में आ रही थी, तो क्लेम क्यों देना पड़ा?

श्री ब्रह्मदत्त–मैं यह कह चुका हूं कि 6 बजे सर्वेक्षण का कार्य करके जीप का ड्राइवर अफसर को अपने घर छोड़ आया था, वापस जा रहा था, जब यह एक्सीडेंट हुआ, जीप को वह स्वतः चला रहा था। यह 6-12-1977 की बात है, अब अगर हम जांच करायें कि कौन चला रहा था, जबकि इसकी जांच हो चुकी है।

श्री राज कुमार राय–मान्यवर, जब वह जीप "डिस्चार्ज आफ गवर्नमेण्ट ड्यूटी" में नहीं थी, तो इन्जीनियर की पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी, फिर इसकी पैरवी डी0 जी0 सी0 से क्यों करायी, लेने वाला तो मांग करता ही है, वह तो सभी को डिफेण्डेण्ट बना देगा, प्रतिवादी बना देगा, तो क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों की जानकारी को देखते हुए कि वह जीप सरकारी नहीं बल्कि व्यक्तिगत काम में लायी जा रही थी। इसमें पहली बात तो यह कि जो कम्पन्सेशन बना था, उसमें विभाग का पैसा लगा और दूसरे, अधिकारी के स्वयं व्यक्तिगत रूप से दोषी होते हुए भी पैरवी डी0 जी0 सी0 से करायी

गयी। जो कुछ भी हो परन्तु जीप "डिस्चार्ज आफ गवर्नमेण्ट ड्यूटीज" में नहीं चल रही थी। सम्बन्धित अधिकारी को पैरवी स्वयं करनी चाहिये थी, डी0 जी0 सी0 से नहीं करायी जानी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ, सम्बन्धित अधिकारी गाड़ी स्वयं चला रहे थे, वह "डिस्चार्ज आफ गवर्नमेण्ट ड्यूटीज" में नहीं चल रही थी, इसलिये उनकी पर्सनल लाइबिलिटी बनती है। प्रथम तो यह कि जो कम्पन्सेशन सरकार द्वारा दिया गया, वह पर्सनल लाइबिलिटी होने के नाते सम्बन्धित अधिकारी को देना चाहिये था और दूसरे, पैरवी डी0 जी0 सी0 द्वारा न करायी जाकर संबंधित अधिकारी को स्वयं करनी चाहिये थी, क्योंकि इसमें कोई स्टेट लाइबिलिटी नहीं बनती।

श्री ब्रह्मदत्त–

मान्यवर, सरकार के किसी विभाग के सम्बन्ध में पैरवी सरकारी वकील करता है और उसके पहले प्रारम्भिक जांच की गयी थी, जिसके मुताबिक 6 बजे बिक्री कर अधिकारी को घर छोड़ दिया गया था, सर्वेक्षण के बाद। उसके बाद ड्राइवर ने जीप चलाया। डी0 जी0 सी0 ने पैरवी ट्रिब्यूनल में किया लेकिन निर्णय सरकार के खिलाफ हुआ जिससे सरकार ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील किया है। तथ्य उसके सामने आयेंगे। लेकिन फिर भी यदि माननीय सदस्य के पास ऐसे तथ्य हैं जो बुनियादी आधार पर अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, तो उसकी विभागीय जांच करने के लिये हम तैयार हैं।

*14–श्री हुकम सिंह–

[20-2-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

मेसर्स हिण्डालको, मिर्जापुर को विद्युत की आपूर्ति

*15–श्री पंचानन–क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में स्थित हिन्डालको को इस समय कितनी विद्युत दी जा रही है? इस कम्पनी को मार्च, 1978 में कितनी बिजली दी जा रही थी? यदि उसे दी जाने वाली बिजली बढ़ायी गयी है तो उसका एग्रीमेन्ट कब हुआ? क्या यह सही है कि इस कम्पनी को दिये जाने वाली बिजली बढ़ाये जाने से प्रदेश के पूर्वांचल को दिये जाने वाली विद्युत में कटौती की गयी है?

श्री ब्रह्म दत्त–

मेसर्स हिण्डालको को 28-1-81 से मुख्य सप्लाई के अन्तर्गत 65 मेगावाट बिद्युत की आपूर्ति की जा रही है जो कि मार्च, 78 में विद्युत कटौती के कारण शून्य थी, जबकि दिनांक 30-11-76 के अनुबन्ध के अनुसार उन्हें 85 मेगावाट विद्युत देय थी।

इस कम्पनी को बढ़ी हुई बिजली देने के कारण प्रदेश के पूर्वांचल में विद्युत कटौती में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

श्री पंचानन–

मान्यवर, मंत्री जी ने जवाब में कहा कि मुख्य सप्लाई के अन्तर्गत 65 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सप्लाई हैं और इनके द्वारा हिण्डालको को कितनी बिजली दी जा रही है?

श्री ब्रह्म दत्त–

उनके एग्रीमेन्ट में दो तरह की सप्लाई है। एक मेन है जो नियमित दी जाती है और दूसरी इमरजेन्सी है। रेणू सागर प्लांट में जब खराबी होती है या मशीन की रिपेयर करने की जरूरत होती है, तो उनको इमरजेन्सी सप्लाई दी जाती है। इस समय इमरजेन्सी सप्लाई कोई नहीं दी जा रही है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, नारमल सप्लाई में 65 मेगावाट दी जा रही है और 20 मेगावाट इमरजेन्सी सप्लाई है। इस प्रकार 85 मेगावाट दे रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो इमरजेन्सी सप्लाई की बात है, तो क्या अभी तक उन्होंने इमरजेन्सी सप्लाई भी नारमल सप्लाई की हैसियत से लिया है कि नहीं? यदि लिया है, तो उसका कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं समझा नहीं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 85 मेगावाट की नारमल सप्लाई का एग्रीमेन्ट हुआ है। उसके अलावा यह एग्रीमेन्ट है कि जब रेणू सागर की मशीनों में खराबी हो जाती है या उनकी रिपेयरिंग करने की जरूरत होती है, तो उनको इमरजेन्सी सप्लाई दी जाती है जिसका रेट अलग है। इनको इसके पहले 65 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब 55 मेगावाट दी जा रही है और इमरजेन्सी तभी दी जाती है जबकि रिपेयर की जरूरत हो या मशीनें खराब हो गयी हों?

श्री भीखालाल–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रेणुसागर पावर प्लांट की क्षमता क्या है और कितना इस समय उत्पादन हो रहा है?

श्री ब्रह्म दत्त–

रेणुसागर पावर प्लांट की कुल क्षमता 125 मेगावाट है। इसमें 3,312 मिलियन यूनिट और 138 मेगावाट का लोड है। इस समय कोई इमरजेन्सी सप्लाई नहीं दी जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 76 में एग्रीमेंट हुआ सन् 1978 में विद्युत कमी के कारण विद्युत सप्लाई नहीं हुई सन् 80 में फिर से दी गयी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 76 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसी एग्रीमेंट के हिसाब से 80 में सप्लाई हुई या दूसरा एग्रीमेंट हुआ। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि 76 में विद्युत सप्लाई करने का क्या आदेश हुआ था और 80 में कितनी दर से हुआ था?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि 80 में सप्लाई नहीं हुई सन् 78 में शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 35 मेगावाट बिजली दी जाय। 4 सितम्बर, 80 से सप्लाई हुई थी। स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान सप्लाई की क्या स्थिति थी, अगर आप इजाजत दें, तो प्रत्येक महीने का पढ़ कर बता दूं। (कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं ज्यादा इजाजत नहीं दे सकता, बैठिये।

फैजाबाद जिले के ग्राम उथरेथू का विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*16–श्री गोपीनाथ–क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उथरेथू, टांडा, जनपद फैजाबाद के निवासियों द्वारा ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत विद्युत

लाइन लिये जाने के सम्बन्ध में 25,00 रु0 सिक्योरिटी सन् 1977 व 1978 व 1979 में जमा कर चुके हैं, यदि हां, तो ग्राम निवासियों को विद्युत लाइन कब तक दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त–

फैजाबाद जनपद के ग्राम उथरेथू के 12 (बारह) निवासियों में बत्ती व पंखा कनेक्शन हेतु रु0 25/– 'अर्नेस्ट मनी' की धनराशि के साथ प्रार्थना-पत्र दिये हैं। यह सभी प्रार्थना-पत्र मार्च, 1979 में प्राप्त हुए थे ।

ग्राम उथरेथू का विद्युतीकरण का कार्य सम्भवतः जून, 1981 के अन्त तक पूरा कर दिया जायेगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस गांव के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में पूर्व विधायक द्वारा एक प्रश्न किया गया था, जिसमें बताया गया कि उस गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है और आज तक यह देखा जा रहा है कि उस गांव का विद्युतीकरण नहीं कर सके । मेरी जहां तक जानकारी है उस गांव के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही, कोई काम नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, प्रश्न करें इसका ख्याल रखें कि और माननीय सदस्यों के प्रश्न आने हैं।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मैं यह जानना चाहूंगा कि इतने दिनों तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

इस ग्राम का विद्युतीकरण का इस्टीमेट स्वीकृत हो गया है आवश्यक स्टोर का प्रबन्ध कर रहे हैं । उक्त ग्राम का विद्युतीकरण जून तक समाप्त करने की आशा करता हूं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मैं यह जानना चाहूंगा कि अधिकारियों द्वारा दी गयी यह सम्भव रूपी छड़ी आप हटायेंगे या नहीं हटायेंगे ? अगर नहीं हटायेंगे, तो इस ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो सकता है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

हर बात में अधिकारियों को हटाने की बात क्यों आती है। विद्युतीकरण हो जायेगा ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

दो साल से विद्युतीकरण की बात चल रही है अभी तक कुछ नहीं हुआ।

*17–श्री मुईद अहमद–

[6-2-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 द्वारा उत्तरित]

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर बकाया गन्ना मूल्य

*18–श्री राम आसरे वर्मा–क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर किसानों का 31-12-80 को गत वर्षों का कुल कितना बकाया है और इस बकाया की वसूली पर सरकार क्या उपाय कर रही है?

नोट :––तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री भानू प्रताप सिंह–

लक्ष्मी शुगर मिल, हरदोई पर किसानों का 31-12-80 को गत वर्षों का कुल बकाया 101.95 लाख रुपया है जिसमें से सीजन 1977-78 का 99.75 लाख रुपया उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विवादग्रस्त है। बकाया की वसूली का प्रयास जारी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बकाये की वसूली के सिलसिले में जो प्रयास किये गये हैं, वह क्या हैं एक सवाल और दूसरा जो मुकदमा उच्चतम न्यायालय में चल रहा है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि गलत हलफनामा देकर मालिकों ने स्टे कराया है। उस गलत हल्फनामें पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री भानू प्रताप सिंह–

मान्यवर, जो धन बकाया है उसके लिये रिकवरी सर्टीफिकेट इशू किये हैं। बड़ी भाग-दौड़ इस मामले में लोगों ने की, लेकिन रिकवरी सर्टीफिकेट को शासन ने वापस नहीं लिया, तो मिल मालिक न्यायालय में चले गये और स्टे ले आये। अब उस स्टे को वैकेट कराने के लिए शासन प्रयत्न कर रहा है। दूसरा जो प्रश्न आपने उठाया कि गलत बयान दिया गया है, तो उसके विषय में भी परीक्षण कराया है, लेकिन चूंकि वह विवादास्पद है, उस विषय में कार्यवाही कराये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

मेसर्स जी0पी0 एण्ड सन्स, अशरफाबाद, लखनऊ के स्प्रिट के लाइसेंस का निलम्बन

*19–श्री स्वामी नेमपाल–क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सर्वश्री जी0 पी0 एण्ड संस, अशरफाबाद, दीनदयाल रोड, लखनऊ की डिनेचर्ड स्प्रिट की दुकान (थोक) का लाइसेन्स एफ0एल0-16, दिनांक 31 मार्च, 1979 के बाद फर्जी बिक्री, एक्साइज ड्यूटी अदा किये बिना स्प्रिट लाने आदि की शिकायतों के कारण नवीकृत नहीं किया गया? यदि हां, तो वे मुख्य शिकायतें क्या हैं और लाइसेंस के नवीकृत न करने के अतिरिक्त उक्त दुकानदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री भानू प्रताप सिंह–

जी हां, फर्जी पासों पर डिनेचर्ड स्प्रिट की बिक्री और आयकर की चोरी से संबंधित श्री रामेश्वर प्रसाद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर की गयी प्रारम्भिक जांच के आधार पर मेसर्स जी0पी0 एण्ड सन्स, थोक बिक्रेता का अनुज्ञापन एफ0एल0-16 का नवीकरण 31 मार्च, 1979 के बाद नहीं किया गया है। इस मामले में आबकारी शुल्क अदा न करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि आबकारी शुल्क की अदायगी आसवनी से स्प्रिट की निकासी लेने के समय ही हो जाती है।

मेसर्स जी0पी0 एण्ड सन्स के विरुद्ध मुख्यत: निम्नलिखित शिकायतें की गयी हैं :—

1–स्प्रिट के कतिपय फुटकर विक्रेताओं को स्प्रिट की फर्जी बिक्री, तथा

2–आयकर की चोरी।

शिकायतों के संबंध में मैजिस्टीरियल जांच करायी गयी। यह जांच रिपोर्ट जनवरी, 1981 में प्राप्त हो गयी। उक्त दुकान का अनुज्ञाप्न निलम्बित कर दिया गया है तथा अनुज्ञापी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

गैरसैण, चमोली एवं थैलीसैण, घुमाकोट, जिला पौड़ी गढ़वाल में उपकोषागार की स्थापना

*20–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा डाक्टर शिवानन्द गौंटियाल–क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गैरसैण, जिला चमोली, थैलीसैण और घुमाकोट (जिला पौड़ी गढ़वाल) में उपकोषागार खोलने का निर्णय कब लिया गया, कब वहां पर अधिकारी तथा कर्मचारी भेजे गये और किस तिथि से इन उपकोषागारों ने कार्य करना आरम्भ किया तथा देरी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री ब्रह्म दत्त–

उप कोषागार गैरसैण (चमोली) की स्थापना का निर्णय फरवरी 1, 1980, थैलीसैण एवं धूमाकोट (जनपद पौड़ी गढ़वाल) की स्थापना का निर्णय क्रमशः फरवरी 1, 1980 तथा जनवरी, 16, 1978 को लिया गया।

गैरसैण उप कोषागार में अधिकारी तथा कर्मचारी ने 28 फरवरी, 1981 तथा धूमाकोट उप कोषागार में 8-9-1980 का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

गैरसैण उप कोषागार ने 28-2-1981 तथा धूमाकोट उप कोषागार ने 8-9-1981 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। थैलीसैण उप कोषागार ने प्रस्तावित भवन की अनुपलब्धता के कारण अभी कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है।

देरी के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में ओला वृष्टि

**1–श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–क्या सरकार को जानकारी है कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती में दिनांक 24-1-81 को हुई ओलावृष्टि से सैकड़ों गांवों की फसलें नष्ट हो गई हैं? यदि हां, तो शासन ने प्रभावित क्षेत्र को तत्काल क्या राहत दी? यदि नहीं दी, तो क्यों?

श्री जैराज गौतम–

जिला बस्ती की तहसील डुमरियागंज में दिनांक 24-1-81 को हुई ओलावृष्टि से उक्त तहसील के 166 ग्रामों की फसलें क्षतिग्रस्त हुई। कृषकों को राहत देने हेतु समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई। प्रभावित व्यक्तियों को 13,400 रु0 अहेतुक सहायता तथा 1,03,475 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त निराश्रित व्यक्तियों को 49.20 कुन्तल गेहूं, 28 कम्बल, 91 साड़ियां तथा 93 धोतियां भी वितरित की गयीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं वहीं का हूं जहां ओले पड़े हैं। तथ्य तो छिपा लिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 166 ग्रामों में कुल कितने रुपये की फसल नष्ट हुई तथा कुल कितने लोग प्रभावित हुए?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, 166 गांव प्रभावित हुए। उनमें से 122 गांवों में फसलों को 75 से 100 फीसदी तक नुकसान पहुंचा। 13 गांवों में 50 से 59 फीसदी तक नुकसान हुआ। 31 गांवों में 25 से 40 फीसदी तक नुकसान हुआ। जो रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार 134 प्रभावित व्यक्तियों को 13,400 रु0 की अहेतुक सहायता और 1,03,475 रु0 अनुदान दिया गया और अन्य वस्तुएं दी गयीं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 13,400 रुपये की सहायता दी गयी। आप कल्पना करें कि 166 गांवों में कितने लोग होंगे। माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा

कि इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से सूखा, अकाल, बाढ़ आती रही है और अबकी उपल वृष्टि हुई। आपने एक काम किया है कि सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर पिछले 3 वर्षों में 6 फसलें नष्ट हो गयी हैं, तो क्या यहां पर सरकारी देयों को माफ करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं करेंगे, तो क्या इन देयों पर जो 3 वर्षों में ब्याज लगा है उसको माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, वहां 13 हजार 400 रुपये अहेतुक सहायता दी गयी है, डेस्टीट्यूट को बांटी गयी है। इसके अलावा 1 लाख 3 हजार 475 रुपया अनुदान दिया गया है, जो दूसरा प्रश्न है कि वहां पर बाढ़, सूखा रहा है और ओले भी पड़ गये हैं, तो माफ करने की जो बात आपने कही है जो हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से माफ किया जाता है, 75–100 फीसदी नुकसान पर कुल माफ होगा। तो वहां तुरन्त वसूली स्थगित कर दी गयी है और बहुत से काम राहत के वहां शुरू करा दिये गये हैं। और वहां पर गेहूं बांटने का काम भी हुआ और वहां के हर ब्लाक में राहत का काम शुरू करने के लिये तुरन्त एक-एक लाख रुपया भेज दिया गया और उनसे यह कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक और पैसा मांगें ताकि वहां कोई बिना काम के और भूखा न रहे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने जो पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। तकावी व अन्य तमाम योजनाओं के तहत सरकारी देय जो हैं, जो अभी स्थगित हैं, तो जब इनकी वसूली की जाएगी, उस समय उन पर ब्याज काफी हो जायेगा, तो क्या माननीय मंत्री जी उस ब्याज को माफ करने की घोषणा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील–

वहां की स्थिति को देखते हुए, यदि वह इतनी गम्भीर है, तो जो स्थगन है, वह जारी रहेगा और जो दूसरे रिकवरी टैक्सेज हैं, उनको माफ करने पर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आप लोग एक साथ 4-4 आदमी बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से साफतौर पर यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह स्थगन को जारी रखेंगे, तो मान्यवर, इससे तो ब्याज और अधिक बढ़ता जायेगा। मूलधन जब स्थगित करा दिया जाता है और जब उसकी वसूली होती है मय ब्याज के, तो काफी हो जाती है, जिसे वह गरीब किसान देने योग्य नहीं होते, तब आप उसके यहां कुर्की और नीलामी के आदेश जारी कर देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं कि यदि वह मूलधन माफ न करें, तो कम से कम उस पर जो ब्याज लग रहा है, उसको माफ करने की घोषणा करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, मैंने कह दिया कि इस पर विचार किया जाएगा और यदि स्थिति बहुत गम्भीर होगी तो माफ कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो वसूलियां स्थगित हैं और जब वह वसूल की जायेंगी, तो उस स्थगन के समय का जो ब्याज होगा, उसको आप माफ करने का कष्ट करेंगे?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, यही मैंने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग यदि सहयोग नहीं देंगे, तो मैं कैसे समझूंगा। माननीय मंत्री जी मैं आपके उत्तर को सुन नहीं सका।

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, इस विषय पर विचार किया जायेगा। यदि स्थिति गम्भीर हुई तो माफ कर दिया जायेगा।

श्री मित्रसेन–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो इन्होंने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि अगर 75 प्रतिशत नुकसान हो गया, तो रेवेन्यू माफ किया जायेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कृषकों के ऊपर जो ऋण है, अगर खेती में 75 प्रतिशत से ऊपर नुकसान हो जाता है, तो क्या उनके ऋण को माफ किया जायेगा? इसके लिये रेवन्यू मैनुअल में प्राविधान क्या है?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, ऋण माफ करने का एक अलग प्राविधान है जिसमें बैंकों का ऋण है, कोआपरेटिव सोसाइटीज का ऋण है, इस तरह के ऋण हम माफ नहीं कर सकते हैं। यह तो अलग-अलग केसेज के ऊपर होता है कि राइट आफ हो सकता है या नहीं हो सकता है।

श्री अकबाल हुसैन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संदर्भित रेवन्यू मैनुअल के अनुसार वहां पर वह ऋण और रेवन्यू माफ कर देंगे। यहां पर की तो रिपोर्ट आ चुकी है कि ओला वृष्टि से नुकसान हुआ है, तो जो रिपोर्ट आपके सामने आयी है उसमें रेवन्यू मैनुअल के अनुसार वहां के बकाया माफ करने की क्या कृपा करेंगे?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य सचेतक कांग्रेस दल, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने दल से कहें कि वह बात कम करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन होगा।

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, जैसा कि मैंने बताया है, यह तो हमारे पास रिपोर्ट आ गयी है और वह माफ कर दिया गया है, वह नहीं वसूल होगा जो इसके ढांचे के अन्दर आता है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो एक लाख कुछ हजार रुपया बतलाया कि वितरित किया गया है, तो जो यह रुपया वितरित किया गया है वह किन-किन पात्रों को दिया गया है?

श्री बैजनाथ कुरील–

मान्यवर, उसकी सूची मेरे पास नहीं है, लेकिन बांटा पात्रता के आधार पर ही जाता है।

प्रदेश में गन्ना समितियों का चुनाव

*2–श्री नन्द किशोर सिंह–क्या गन्ना विकासमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में

नोट :––अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री प्रह्लाद सिंह, चपरासी, चकबन्दी विभाग, फर्रुखाबाद की सेवा समाप्त

300 से अधिक गन्ना समितियों के बोर्ड भंग कर दिए गये हैं? यदि हां, तो सरकार इन समितियों का चुनाव कब तक कराने जा रही है?

श्री भानु प्रताप सिंह–

प्रदेश में गन्ना समितियों की संख्या 300 न होकर केवल 138 है, जिसमें से 54 समितियों के बोर्ड कार्यरत नहीं हैं?

इन 54 समितियों में चुनाव कराके बोर्ड के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह बोर्ड कितने दिन पहले भंग हुआ है? मेरी निश्चित जानकारी है मान्यवर, कि मिल चलने के पहले ये बोर्ड भंग हो गये हैं। यह बोर्ड कम से कम 6 महीने पहले भंग हुये हैं और 6 महीने के अन्दर यह कभी समिति का चुनाव नहीं हुआ। जानबूझ कर अधिकारीगण चुनाव नहीं करा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो 6 महीने के अन्दर चुनाव नहीं कराये गये?

श्री भानु प्रताप सिंह–

6 महीने से चुनाव क्यों नहीं हुए यह तो मुझे पता नहीं। बहरहाल चुनाव कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि जितने बोर्ड भंग हुए हैं, तो क्या उसमें देवरिया जिले के बैतालपुर यूनियन का बोर्ड भी भंग हुआ है, इस बोर्ड के अन्तर्गत 20 हजार रुपयों का गबन हुआ है क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो चुनाव कराये जा रहे हैं उस चुनाव को जो उत्तर प्रदेश सहकारिता समिति नियमावली के अन्तर्गत जो प्राविधान है, उसमें संशोधन करके चुनाव करायेंगे अथवा जो वर्तमान नियमावली है उसी के अन्तर्गत चुनाव कराये जायेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

मान्यवर, अभी जो पहले का वर्तमान नियम है उसी के अन्तर्गत चुनाव कराने की बात है, लेकिन अगर कोई सुझाव आता है तो उसका भी परीक्षण करा लेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह गहलौत–

आजकल कानूनी स्थिति यह है कि प्रत्येक प्राइमरी सदस्य वोट करने आयेगा, लेकिन अब से कुछ वर्ष पूर्व प्राइमरी सदस्य प्रतिनिधि चुनते थे जो जनरल बाडी बनाते थे और वह संचालक मंडल का चुनाव करते थे, तो क्या माननीय मंत्री उस पद्धति को लागू करने पर विचार करेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह–

यह बात सही है कि सामान्य सदस्य भी वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जब चुनाव होते हैं, वोट डालने के लिये आते हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो पाते थे। इसलिये सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में विभाग के लोगों से विचार विमर्श किया गया क्यों यह चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। सामान्य सदस्य जो लगभग कई लाख हैं 48, 50 लाख के आसपास होंगे उनको चुनाव के स्थान पर एकत्रित करना सम्भव नहीं है। इसी वजह से चुनाव स्थगित हो जाते हैं। इसलिये यह विचार हुआ क्यों न पुरानी पद्धति को लागू करके चुनाव करा दिये जायं। वैसे यह मामला विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन–

84 समितियां काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ समितियों के खिलाफ मामलात विचाराधीन हैं। अगर हैं, तो जल्दी से जल्दी जो चार्जेज लगाये गये हैं, उनका निस्तारण क्यों न कर दिया जाय और तब उनको भंग करके इस चुनाव वाली लिस्ट में शामिल करने का प्रयास किया जायगा?

श्री भानु प्रताप सिंह–

माननीय सदस्य, मुरादाबाद का यह सुझाव सुन्दर है और इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जो वर्तमान नियम है उसको बदलने के लिये लगातार 6 महीने से कार्यवाही हो रही है और जो प्रयास चल रहा है, उसमें जो मठाधीश हैं वे लाठी, बन्दूक तथा बल्लम के सहारे बोर्ड में आ जाते हैं और उन्हीं के कारण यह प्रयास है कि वर्तमान नियम बदल दिया जाय, तो मैं यह जानना चाहता हूं कब तक निश्चित तौर पर सरकार चुनाव करा देगी क्योंकि सुना यह जाता है कि वह चुनाव टाल देना चाहते हैं?

(मंत्री को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री अकबाल हुसैन–

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विभाग और अधिकारियों से विचार विमर्श किया। सामान्य जो मेम्बर्स हैं, वह वोट देते हैं और अधिकारियों का कहना है कि वह लोग आ नहीं पाते हैं जिससे वोट नहीं दे पाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के अधिकारियों के समक्ष कभी इस तरह का कोई चुनाव आया जिसमें सामान्य मेम्बर्स न आये हों और उनको कठिनाई महसूस हुई?

श्री भानु प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अधिकारियों के समक्ष कोई एसा चुनाव आया, जिसमें सामान्य सदस्य न आ पाये और दिक्कत हुई, यह विषय पूछा है। यह बात कि कौन सा एसा चुनाव आया मुझे मालूम नहीं है लेकिन मेरे अपने जनपद में एक चुनाव कराये जाने के संबंध में, मैं चूंकि उधर गया हुआ था वैसे ही, वहां पर कोरम के अभाव में स्थगित किया गया था और 2-3 बार यह प्रक्रिया हुई, तो फिर मेरे मन में यह जानने के लिये इच्छा हुई कि एसा क्यों हुआ है। सामान्य सदस्य कैसे आवें, उनमें कोई रुचि नहीं होती है और जो पिछली प्रक्रिया थी, गांव-गांव से डेलीगेट चुने जाते थे और बाद में उनकी चूंकि संख्या कम होती थी, एक स्थान जहां चुनाव किया जाना निर्धारित होता है, आसानी से आ सकते हैं। अतः अब इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

श्री प्रह्लाद सिंह, चपरासी, चकबन्दी विभाग, फर्रुखाबाद की सेवा समाप्ति

1–श्री राम आसरे वर्मा–क्या राजस्व मंत्री को इस बात की जानकारी है कि श्री प्रह्लाद सिंह, (निलम्बित चपरासी, सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र तिर्वा, जनपद फर्रुखाबाद) चकबन्दी विभाग को उपरोक्त समय में नियुक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, फर्रुखाबाद द्वारा आदेश संख्या 166, दिनांक 13 फरवरी, 1974 द्वारा निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो निलम्बन का कारण क्या है? क्या उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार जीवन निर्वाह भत्ता अविलम्ब दिये जाने के आदेश प्रसारित करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां।

नोटः–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रहलाद सिंह, भूतपूर्व चपरासी के दिनांक 21-1-74 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनको निलम्बित किया गया था और तत्पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी चक-बन्दी के आदेश संख्या 650/ अ0ह0, दिनांक 25-9-74 द्वारा उनकी अस्थायी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं अतः उनको जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर जिले के कतिपय विकास क्षेत्रों में गृह अनुदान का वितरण

2—श्री मोतीलाल दहेलवी—प्रथम सत्र 1981 के दिनांक 30 जनवरी, 1981 की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर, ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद से संबंधित किसी भी गांव में उक्त सन्दर्भित 500 रु0 व 800 रु0 का गृह अनुदान न बांट कर अधिकांश लोगों को पचास-पचास रुपया तथा कुछ विशेष लोगों को केवल 200 रु0 तक ही बांटे गये, और उनमें भी ऐसे लोगों को अनुदान दिया गया कि जो पात्र नहीं थे तथा पात्र लोगों को कुछ दिया ही नहीं गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उसके आदेशों के प्रतिकूल आचरण करने वाले संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद कानपुर के अन्तर्गत ब्लाक बिल्हौर ककवन तथा रसूलाबाद से संबंधित किसी भी गांव में 500 रु0 व 800 रु0 का गृह अनुदान नहीं बांटा गया है।

ब्लाक रसूलाबाद में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों पर 100 रु0 तथा पूर्ण ध्वस्त मकानों पर 200 रु0 गृह अनुदान दिया गया। उक्त ब्लाक के अन्तर्गत किसी भी अपात्र व्यक्ति को गृह अनुदान दिये जाने की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

ब्लाक बिल्हौर व ककवन से संबंधित गांवों में 50/-, 100/-, 200/- तथा 300/- रुपये तक गृह अनुदान का वितरण पात्र व्यक्तियों को ही किया गया। ब्लाक बिल्हौर के ग्राम खाड़ामऊ में कुछ अपात्र व्यक्तियों को गृह अनुदान का वितरण हो जाने की सूचना मिली थी। जिसमें प्रधान व लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

3—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम दीपकपुर, जिला जौनपुर में चकबन्दी एवं श्री तुलसी बनाम सरकार का मुकदमा

4—श्री हरदेव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दीपकपुर, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर में तुलसी पुत्र रघुनाथ बनाम सरकार—खाता संख्या 177/37 के मुकदमें में सन् 1976-77 से चकबन्दी अधिकारी, सुजानगंज, जो अब मछली शहर के चक-बन्दी अधिकारी के कार्यलय में विचाराधीन है, का निपटारा अब तक नहीं हो सका है? यदि हां, तो किन कारणों से? क्या चकबन्दी आयुक्त को इस संबंध में कोई पत्र दिनांक 18-4-80 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बैजनाथ कुरील—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में जिलाधिकारियों द्वारा गृह अनुदान की मांग

5—श्री मोती लाल दहेलवी—

दिनांक 30 जनवरी, 1981 की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के संदर्भ में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में अतिवृष्टि के

फलस्वरूप सरकारी घोषणाओं के अनुसार गिरे हुए मकानों को अनुदान देने हेतु जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिले के लिये धनराशियां प्राप्त करने की जो मांगें सरकार के पास भेजीं, उसके आधार पर सरकार उन्हें धन तो देती रही, परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड सरकार के पास से गायब हो गया? यदि नहीं, तो सरकार को जिलेवार यह ब्योरा किन-किन जिलाधिकारियों ने कितनी-कितनी बार कितनी-कितनी धनराशि की मांग की और क्या सरकार इस ब्योरे को प्रस्तुत करने की कृपा करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं। जिलाधिकारियों ने गृह अनुदान के लिये जो मांग भेजी थी उनका रेकार्ड गायब नहीं हुआ है। परन्तु जिलाधिकारी समय-समय पर विभिन्न धनराशियों की मांग भेजते रहे हैं जिसे उनकी कोई निश्चित मांग नहीं मानी जा सकती। अतएव यह सूचना देना सम्भव नहीं है कि जिलाधिकारियों ने कितनी-कितनी धनराशि की मांग कितनी-कितनी बार की।

6–श्री मोती लाल दहेलवी–

[27-3-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

7–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के किन-किन विकास खंडों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने का प्रस्ताव है? क्या यह भी सही है कि देसही देवरिया विकास खण्ड में भी विद्युतीकरण की योजना है?

श्री ब्रह्म दत्त–

देवरिया जनपद के 24 (चौबीस) विकास खण्डों में (सूची संलग्न) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य चल रहा है।

देवरिया जनपद के देसही देवरिया विकास खण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कोई योजना लागू नहीं है। उक्त विकास खण्ड में सामान्य, पूर्ण जमा तथा कृषि पुनिर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रतिपादित योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य चल रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 627 पर)

श्री शोभनाथ तिवारी, ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

8–श्री हरदेव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री शोभनाथ तिवारी, ए0 सी0 ओ0 क्रमांक 561–ए के भ्रष्टाचार, गरीब वर्ग को सताने आदि के विषय में दिनांक 8-10-80 को प्रश्नकर्ता ने जो पत्र राजस्व मंत्री को दिया था उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री बैजनाथ कुरील–

चूंकि शिकायती बिन्दु कई जिले से संबंधित थे, विभिन्न जिले से सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की गई। जांच जारी है।

कानपुर जिले में गृह अनुदान का वितरण

9–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1980 में अतिवृष्टि के फलस्वरूप गिरे हुए मकानों पर गृह अनुदान वितरण करने हेतु कानपुर जनपद को जो 188 लाख 70 हजार रुपया सरकार ने दिया, उसमें से प्रश्नकर्ता के चुनाव क्षेत्र (बिल्हौर) के लिए कुल कितना धन दिया गया तथा 7 फरवरी, 1981 तक ब्लाक बिल्हौर व ब्लाक ककवन तथा ब्लाक रसूलाबाद के गांवों में गृह अनुदान का कुल कितना धन वितरित किया गया?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद कानपुर को 1980 में अतिवृष्टि के फलस्वरूप गिरे हुए मकानों पर गृह अनुदान वितरण करने हेतु दी गयी धनराशि का आवंटन चुनाव क्षेत्रवार न करके तहसीलवार किया गया। अतएव चुनाव क्षेत्र बिल्हौर के लिये आवंटित धनराशि की सूचना देना सम्भव नहीं है। तहसील बिल्हौर एवं डेरापुर को क्रमशः 23,33,000 रु0 व 30,23,000 रु0 का आवंटन किया गया। 7 फरवरी, 1981 तक चुनाव क्षेत्र बिल्हौर के ब्लाक बिल्हौर, ककवन एवं रसूलाबाद में क्रमशः मु0 4,92,000 रु0 4,08,850 रु0 तथा 3,68,150 रु0 गृह अनुदान वितरित किया गया।

10–श्री मोती लाल दहेलवी–

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

सर्किल हवेली, जिला बस्ती के कृषकों को दिया गया गन्ना नर्सरी अनुदान

11–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 में जिला व तहसील बस्ती के सर्किल हवेली में किन-किन काश्तकारों के द्वारा गन्ना नर्सरी प्रदर्शन किन-किन प्लाट नम्बर में लगाये गये थे? क्या उन लोगों को अनुदान एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिये गये? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह–

प्रश्नगत जनपद की सर्किल हवेली के अन्तर्गत वर्ष 1971 में गन्ना नर्सरी प्रदर्शन नहीं अपितु केवल गन्ना नर्सरी निम्नलिखित 4 कृषकों के यहां रखी गयी:–

1–श्री अगरदी पुत्र भुलई, जखनी
2–श्री राम लखन पुत्र उदित, जखनी
3–श्री बृजनाथ पुत्र महादेव, जखनी
4–श्री भागीरथी पुत्र गयादीन, करनपूर

सम्बन्धित अभिलेखों में प्लाट संख्या का उल्लेख नहीं है।

गन्ना विकास परिषद् बस्ती, जिसके द्वारा अनुदान की धनराशि उक्त चारों कृषकों को दी जानी थी, ने चेक संख्या 014719, दिनांक 3-11-71 के द्वारा अपेक्षित अनुदान की धनराशि स्थानीय गन्ना समिति बस्ती के पक्ष में भुगतान कर दिया, जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित कृषकों के खाते में कर दी गयी। इन कृषकों में से उपरोक्त श्री रामलखन पुत्र उदित द्वारा अनुदान की धनराशि मु0 25.20 रुपये प्राप्त कर ली गयी तथा श्री भागीरथी पुत्र गयादीन ने अनुदान की धनराशि मु0 20.10 रुपये अपने कर्ज में समायोजित करा दिया। अवशेष श्री बृजनाथ पुत्र महादेव एवं श्री अगरदी पुत्र भुलई ने अपना अनुदान 5-11-80 को समिति द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त कर लिया। चारों कृषकों को तद्विषयक प्रमाण पत्र भी दे दिये गये।

वाराणसी जिले के नलकूपों एवं पम्पसेटों का विद्युत कनेक्शन एवं केबुल की आपूर्ति

12–ऊदल–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग वाराणसी में 4×6 एम0 एम0 डी0-पी0 बी0 सी0 केबुल ई0 डी0 डी0 115 एन0 एस0 पी0 टी0 डब्लू0 पम्प सैल, के लिए और 4×16 तथा 4×25 एम0 एम0 डी0 केबुल स्टेट ट्यूबवेलों को लाइन देने हेतु आवश्यकता है? क्या उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विद्युत विभाग, वाराणसी ने कई पत्र राज्य विद्युत परिषद् को भेजे हैं? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त–

जनपद वाराणसी में निजी नलकूपों/पम्पसेटों तथा राजकीय नलकूपों को कनेक्शन

दने के लिये 4×6 एम0 एम0 तथा 4×16 एम0 एम0 केबूल की आवश्यकता है जो आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जाती रहती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

13—श्री उदल—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कमी की वजह से इस वक्त तक एक हजार के करीब पम्पिंग सेटों के कनेक्शन एवं 50 से ऊपर राजकीय नलकूपों के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? क्या सरकार के पास वाराणसी विद्युत विभाग से कोई प्रस्ताव सभी सामानों के बारे में आया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी नहीं। जनपद वाराणसी में निजी नलकूपों/पम्पसेटों तथा राजकीय नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 28 फरवरी, 1981 की स्थिति में जनपद वाराणसी में निजी नलकूपों/पम्पसेटों के 428 तथा राजकीय नलकूपों/पम्पसेटों के 12 मामले लम्बित थे जिनके ऊर्जीकरण हेतु कार्यप्रगति पर है।

जी नहीं। आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री केसरी लाल, ग्राम नन्दपुर, जिला बरेली का गन्ना क्रय केन्द्र, आटामांडा के सम्बन्ध में कथित शिकायती पत्र

14—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि 24 जुलाई, 1979 को श्री केसरी लाल निवासी ग्राम नन्दपुर गन्ना क्रय केन्द्र आटामांडा गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा, जिला बरेली ने अपनी तौल पर्चियां फर्जी बनाये जाने का प्रार्थना पत्र तत्कालीन गन्ना मंत्री को गन्ना क्रय केन्द्र आटागांडा के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के माध्यम से दिया था? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शासन ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री भानु प्रताप सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन में सम्प्रति उपलब्ध नहीं है अतः वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र, कटराबाजार, जिला गोण्डा में बाढ़

15—श्री मुरलीधर द्विवेदी तथा डाक्टर मोहम्मद उमर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र कटरा-बाजार, गोंडा के अन्तर्गत 1980 के बाढ़ पीड़ित तथा जल प्लावित किसानों की मालगुजारी माफ की गयी है? अगर हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील—

जनपद गोण्डा के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कटराबाजार के अन्तर्गत 1980 (खरीफ 1388 फसली) की बाढ़ एवं जल प्लावन से कुल 219 ग्राम प्रभावित हुए थे। इन ग्रामों के प्रभावित किसानों की मालगुजारी में छूट के प्रारम्भिक प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण करके छूट देने की कार्यवाही की जायेगी।

मथुरा जिले के ग्राम उधई का विद्युतीकरण

16—श्री राम स्वरूप निम—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उधई, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में हरिजन बस्तियों को विद्युत देने के बारे में विचार कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो कब तक?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम उधई की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण माह जून, 1981 के अन्त तक पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है।

आबकारी निरीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद, जिला कन्नौज का स्थानान्तरण

17–श्री मोतीलाल दहलवी तथा श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मध्य सत्र में आदेश संख्या 2520–21 आगरा, दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 द्वारा कन्नौज के आबकारी निरीक्षक का स्थानान्तरण किया गया और जिसे उ0 प्र0 सरकार के आबकारी के सचिव डी0 ओ0 नं0 9727-ई-13, दिनांक 27 दिसम्बर, 80 द्वारा निरस्त करने का आदेश आबकारी आयुक्त को दिया गया? यदि हां, तो उस निरस्तीकरण आदेश का पालन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जी हां, कन्नौज के आबकारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद का स्थानान्तरण आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 29-11-80 के अन्तर्गत किया गया था। इनके स्थानान्तरण को रोकने के संबंध में विशेष सचिव, आबकारी विभाग के अर्धशासकीय पत्र सं0 9728-ई/तेरह, दिनांक 26 दिसम्बर, 1980 द्वारा आबकारी आयुक्त को लिखा गया था।

इस आदेश का अनुपालन इस कारण से नहीं हुआ था कि उक्त आदेश दिनांक 26-12-80 के पहुंचने के पूर्व ही दिनांक 5-12-1980 को श्री राजेन्द्र प्रसाद के प्रतिस्थानी श्री एस0पी0 बिजलवान ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था और क्षेत्र में अपना कार्य आरम्भ कर दिया था।

सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ की मोटरगाड़ी एवं पिकअप

18–श्री हरिवंश सहाय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में कितनी मोटर कारें तथा जीपें हैं? उनका उपयोग कहां-कहां होता है? क्या वर्ष 1980-81 के बजट में और कारें खरीदने का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो गन्ना संघ के किस कोष से और उसका उपयोग कहां किया जायेगा?

श्री भानु प्रताप सिंह–

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ में वर्तमान समय में चार मोटर गाड़ी (कार) तथा एक पिकअप है । इन गाड़ियों का उपयोग गन्ना संघ के कार्य हेतु पूरे प्रदेश में होता है।

वर्ष 1980-81 के बजट में और कारें खरीदने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, अतः उपयोग का प्रश्न नहीं उठता ।

वसूली संगठन (जो संघ से पृथक है) एवं इस कार्य हेतु उपयोग होने वाली गाड़ियों का विवरण उपरोक्त में सम्मिलित नहीं है।

यासीन बोन मिल, कमालपुर, जिला मेरठ का विद्युत कनेक्शन

19–श्री मंजूर अहमद–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यासीन बोन मिल, कमालपुर, जनपद मेरठ का 17-7-80 से बिजली कनेक्शन किस आधार पर कटा है?

श्री ब्रह्म दत्त–

यासीन बोन मिल, कमालपुर, जनपद मेरठ का कनेक्शन 17-7-80 को सायंकाल चेक किया गया था और उपभोक्ता उच्चतम मांग के घन्टों में विद्युत का उपभोग करता पाया गया था। चूंकि इस अवधि में उद्योग के लिए विद्युत का उपभोग वर्जित है, अतः उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया। उपभोक्ता को सूचित कर दिया गया था कि शासनादेश के अनुरूप जुर्माना देने पर और विद्युत काटने और जोड़ने का शुल्क देने पर कनेक्शन जोड़ दिया जायगा। चूंकि उपरोक्त धनराशि का भुगतान उपभोक्ता ने दिनांक 7-2-81 को किया था, अतः यह कनेक्शन दिनांक 8-2-81 को जोड़ दिया गया है।

टाण्डा, तापीय शक्ति परियोजना, फैजाबाद के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

20–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भ्रष्टाचार के संबंध में 16 दिसम्बर, 1980 को टाण्डा विधान सभा प्रतिनिधि द्वारा भेजा गया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी हां। टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में भ्रष्टाचार के संबंध में कथित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है। शिकायतों के सम्बन्ध में मुख्य परियोजना प्रबन्धक, टाण्डा तापीय परियोजना द्वारा जांच की जा रही है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जिला खीरी के आदेश के विरुद्ध की गयी अपील

21–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, खीरी के आदेश संख्या 49-च0 ले0/तीन, दिनांक 3-8-1974 के विरुद्ध श्री छोटे लाल जौहरी, लेखपाल, चकबन्दी ने दिनांक 20-11-74 को अपील जिलाधिकारी के वहां दायर की थी? यदि हां, तो क्या उस पर निर्णय हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पडरौना, जिला देवरिया की विद्युत गृह निर्माण योजना

22–श्री धूप राय–

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत पडरौना में दो सौ मेगावाट का थर्मल पावर लगाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक लग कर तैयार हो जायगा?

श्री ब्रह्म दत्त–

पडरौना, जिला देवरिया के समीप के क्षेत्र में एक वाष्प विद्युत गृह लगाने हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था, परन्तु उसकी अभी फिजीबिलिटी स्थापित नहीं हो सकी है।

देवरिया जिले की सेवरही एवं कठकुईयां गन्ना मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

23–श्री धूप राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत शुगर फैक्टरी सेवरही व कठकुइयां में 30-1-81 को कितना रुपया किसानों का बाकी है तथा किस-किस सीजन का है? और इसका कब तक भुगतान कर दिया जायगा?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जनपद देवरिया के अन्तर्गत 31-1-81 को वर्ष 1980-81 का सेवरही मिल पर 43.06 लाख तथा कठकुईयां मिल पर 52 हजार रुपया किसानों का बकाया है। इन

मिलों पर इसके पूर्व वर्षों का किसानों का कोई धन बकाया नहीं है।

बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

24–श्री धूप राय–

[9वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

श्री शीतला प्रसाद, ए0 सी0 ओ0, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

25–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत ए0 सी0 ओ0 (श्री शीतला प्रसाद) के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र दिसम्बर, 80 में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी नहीं।

प्रशासन अवधि में इस आशय का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु प्रश्नकर्ता के इस प्रकार के दो अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 25-10-1980 तथा 10-11-1980 प्राप्त हुये। इनमें उल्लिखित आरोपों की जांच करायी जा रही है।

कानपुर जिले में गृह अनुदान का वितरण

26–श्री मोती लाल देहलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1980 में अतिवृष्टि के फलस्वरूप गिरे हुए मकानों को अनुदान देने हेतु जनपद कानपुर को सरकार ने जो 188 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि दी थी, उस धनराशि में से देहाती क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को कितनी-कितनी धनराशि अनुदान वितरण हेतु दी गई तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम कितना-कितना अनुदान वितरित किया गया ?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1980 में कानपुर जनपद को गृह अनुदान वितरण हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से परगनाधिकारी/तहसीलदारों की आख्या एवं प्रभावित मकानों की संख्या के आधार पर जनपद की प्रत्येक तहसील को समय-समय पर धन आवंटित किया जाता रहा। विधान सभा क्षेत्र पर गृह अनुदान की धनराशि का वितरण नहीं किया गया है। एक तहसील में एक से अधिक विधायकों के पूर्ण एवं आंशिक क्षेत्र पड़ते हैं फलस्वरूप चुनाव क्षेत्रवार गृह अनुदान के आवंटन की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रत्येक तहसील में अधिकतम गृह अनुदान 300 रु0 तक दिया गया है।

गोरखपुर जिले के ग्राम मंझरिया के श्री जगरनाथ नाई का भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के ग्राम मंझरिया, तहसील बांसगांव के विकलांग श्री जगरनाथ नाई का प्रार्थना पत्र उसकी जमीन नापने के सम्बन्ध में जो कुछ सरकस व्यक्तियों द्वारा अड़चन पैदा की जा रही है 27-1-81 को जिलाधीश को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। प्रश्नगत भूमि भूमि अभिलेख में बंजर दर्ज है। अतः उक्त भूमि की पैमाइश करके श्री जगरनाथ नाई को कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिब्तेहसन, लिपिक, राजस्व विभाग, इलाहाबाद की सेवा समाप्त

28–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिब्तेहसन, लिपिक, आयुक्त कार्यालय इलाहाबाद की सेवायें शासनादेश संख्या 20-1-75 कार्मिक–2, दिनांक 2-7-76 के आधार पर समाप्त की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उपरोक्त

अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों द्वारा वांछित आख्या राजस्व परिषद् तथा शासन को न भेजने के कारण श्री सिंहल द्वारा मई, 1980 को शासन/परिषद् को दिये गये प्रत्यावेदन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों को अविलम्ब स्थानान्तरित करके इनके प्रत्यावेदन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तरकाशी जिले के ग्राम भूटाणू तथा अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण

29–श्री बल्देव सिंह आर्य–

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के भूटाणू ग्राम में विद्युत लाइनें कब तक पहुंच जावेंगी तथा इस विद्युत लाइन का निर्माण कब शुरू किया गया था और विलम्ब का क्या कारण है?

श्री ब्रह्म दत्त–

जनपद उत्तर काशी के भूटाणू ग्राम विद्युतीकरण जुलाई, 1981 के अन्त तक कर दिये जाने की सम्भावना है।

उक्त ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1979 में प्रारम्भ किया गया था। भूटाणू ग्राम के विद्युतीकरण हेतु बनाये जाने वाली लगभग 4.25 किलोमीटर लम्बी 11,000 वोल्ट की लाइन के मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के काटने में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उक्त ग्राम के विद्युतीकरण में विलम्ब हुआ।

30–श्री बलदेव सिंह आर्य–

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आर्थिक वर्ष में उत्तरकाशी जनपद के कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जावेगा?

श्री ब्रह्मदत्त–

वित्तीय वर्ष 1980-81 में उत्तरकाशी जनपद में 27 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने का लक्ष्य है।

श्री जय भगवान गुप्ता, ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी, जिला आगरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

31–श्री बदन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि काश्तकारान निवासी ग्राम कांदऊ वारऊ, पोस्ट फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली, जिला आगरा द्वारा दिनांक 8-11-80 को भेजा हुआ कोई शिकायती पत्र वहां के ए0 सी0 ओ0 चकबन्दी (श्री जय भगवान गुप्ता) के विरुद्ध रिश्वत लेकर चक खराब करने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त ए0 सी0 ओ0 (चकबन्दी) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद जिले के ग्राम मजीसा के पुरवा महुआ डाड के किसानों का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

32–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील के ग्राम मसीजापूरा–महुआडाड के बाढ़ पीड़ित किसानों ने 1980-81 में ऊंची भूमि पर आबादी आवंटित कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

ग्राम मसीजापूरा नहीं वरन ग्राम मजीसा के पुरवा महुआ डाड के किसानों ने मकान बनाने के लिए भूमि नं0 3509 तथा 3511 के अन्तर्गत कुल 30 बिसवा भूमि का पट्टा दिए जाने हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु प्रश्नगत भूमि का

आवंटन नहीं किया जा सका क्योंकि वह भूमि वन विभाग की है। गांव सभा की कोई ऊंची भूमि उपलब्ध नहीं है जिसका आवंटन आबादी के लिये किया जा सके।

गोरखपुर जिले के ग्राम परसादीपुर के श्री राम शकल के प्रतिष्ठान में विद्युत-तार से अग्निकाण्ड

33–श्री मारकण्डेय चन्द–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के ग्राम परसादीपुर उर्फ मिश्रौली में दिनांक 31-3-80 को राम शकल पुत्र राम अनन्त उर्फ रामानन्द के प्रतिष्ठान में बिजली के तार टूट कर गिर जाने से आग लग गई और पूरा प्रतिष्ठान जलकर राख हो गया? यदि हां, तो क्या उनके आवेदन पत्र पर जांच की गई और उनके प्रतिष्ठान की क्षतिपूर्ति की गई, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के ग्राम परसादीपुर उर्फ मिश्रौली में दिनांक 31-3-80 को श्री राम शकल पुत्र श्री राम अनन्त के प्रतिष्ठान में आग बिजली के तार टूट कर गिर जाने से नहीं लगी । वास्तव में आग श्री राम शकल के प्रतिष्ठान में उनकी वायरिंग की खराबी के कारण लगी।

जी हां। प्रतिष्ठान में उपलब्ध ज्वलनशील सामान जल कर नष्ट हो गया।

जी हां।

जी नहीं।

श्री राम शकल के प्रतिष्ठान में आग राज्य विद्युत परिषद् की किसी त्रुटि से नहीं लगी, अतः परिषद् द्वारा क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के ग्राम खेता पट्टी का विद्युत कनेक्शन

34–श्री लालसा–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि जिला आजमगढ़ तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम खेता पट्टी के कतिपय किसानों ने माह अक्तूबर, 1979 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सर्वेक्षण फीस जमा किया तथा उसका सर्वेक्षण भी हो गया परन्तु आज तक उन्हें बिजली प्राप्त न हो सकी? यदि हां, तो उक्त ग्राम के किसानों को अभी कब तक बिजली उपलब्ध कराई जायेगी?

श्री ब्रह्म दत्त–

अक्टूबर, 1979 में जिला आजमगढ़ तहसील, फूलपुर के अन्तर्गत खेता पट्टी के किसी भी किसान का रु0 25/- 'अर्नेस्ट मनी' की धनराशि के साथ कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम के चार किसानों ने अब तक रु0 25/- 'अर्नेस्ट मनी' की धनराशि के साथ कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र दिये हैं। इनमें से केवल एक किसान द्वारा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी की गई तथा कनेक्शन दिया जा चुका है। अन्य तीन किसानों द्वारा कनेक्शन हेतु समस्त औपचारिकतायें अभी पूरी नहीं की गई हैं, अतः उनको कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कोषागार कर्मचारियों के लिये समिति का गठन एवं वेतन निर्धारण

35–श्री लालसा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोषागार कर्मचारी तृतीय श्रेणी को शासन द्वारा गठित हाई पावर कमेटी द्वारा माह जुलाई, 1979 में टेकनिकल घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या तदनुसार उनके वेतन का निर्धारण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

जी नहीं।

प्रदेश के कोषागारों के कार्य के सापदण्ड एवं नियंत्रण की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए राजाज्ञा संख्या एस-3-1307/दस-34(76)/78 टी0 सी0 दिनांक 8 मई, 1979 में गठित समिति ने कोषागार कर्मचारियों को टेक्निकल घोषित नहीं किया था।

कोषागार कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता है।

बांदा जिले में ओलावृष्टि

36–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रबी 80 में ओलावृष्टि के कारण बांदा जनपद में कितनी फसल बरबाद हुई है और उसके मुआवजा की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1980 में बांदा जनपद में ओलावृष्टि के फलस्वरूप लगभग 23,580 एकड़ की बोई हुई भूमि क्षतिग्रस्त हुई। इस क्षति की पूर्ति के लिये शासन की ओर से मुआवजा देने का कोई प्राविधान नहीं है, बल्कि सहायता देने की व्यवस्था है, जो नियमानुसार दी जा चुकी है।

बांदा जिले के विकास खण्ड, बिसन्डा, महुआ तथा बडोखर के ग्रामों का विद्युतीकरण

37–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास क्षेत्र बिसन्डा, महुआ, बडोखर के कितने गांवों का 31-3-81 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है? क्या क्षेत्र के शेष गांवों का शीघ्र विद्युतीकरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री ब्रह्म दत्त–

बांदा जनपद के विकास क्षेत्र बिसन्डा, महुआ तथा बडोखर के क्रमशः 12 (बारह) 40 (चालीस) तथा 27 (सत्ताइस) ग्रामों का विद्युतीकरण दिनांक 31-1-1981 तक किया जा चुका है ।

उक्त विकास क्षेत्र के शेष गांवों का विद्युतीकरण ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूरा किये जाने पर निर्भर करता है।

देवरिया जिले की गांव सभा पड़री के विभाजन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र एवं चकबन्दी

38–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत तहसील हाटा के पड़री की जनता ने दिनांक 16-6-80 एवं 12-8-80 को प्रार्थना-पत्र गांव के बंटवारे के सम्बन्ध में दिया है? यदि हां, तो इस पर कौन सी कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद देवरिया की तहसील हाटा में अवस्थित ग्राम पड़री की जनता से दिनांक 14-8-1980 तथा 23-9-1980 को प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्र ग्राम के विभाजन के न होकर गांव सभा पड़री के विभाजन के बारे में है। फिर भी गांव के विभाजन के औचित्य के सम्बन्ध में जांच के आदेश जिला प्रशासन को दिये जा रहे हैं।

39–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील

के पड़री ग्राम की चकबन्दी 1973 के सितम्बर से हो रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज तक कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही हो रही है?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। इस गांव में नये चकों पर कब्जा परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। यह 7,000 गाटों वाला बड़ा तथा समस्यापूर्ण गांव है जिसके मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब होना स्वाभाविक है। फिलहाल किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

कानपुर जिले के ग्राम खड़ामऊ में गृह अनुदान का वितरण

40–श्री मोतीलाल दोहलदी–

दिनांक 7 फरवरी, 1981 की कार्य सूची के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव खड़ामऊ, ब्लाक बिल्हौर, जनपद कानपुर के 18 अपात्र लोगों द्वारा गृह अनुदान लेने की जो जांच कानूनगो द्वारा होना बतायी है, क्या वह जांच स्वतः हुई थी या किसी के द्वारा शिकायत करने पर हुई थी? यदि जांच शिकायत के आधार पर की गयी तो शिकायत किसने की थी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद कानपुर के ब्लाक बिल्हौर के अन्तर्गत ग्राम खड़ामऊ में गृह अनुदान का वितरण हो जाने के बाद परगना अधिकारी बिल्हौर ने अचानक वितरण की जांच की। यह जांच स्वयः की गयी।

चमोली जिले के लिये स्वीकृत माइक्रो हाइडिल परियोजनायें

41–श्री कुंवर सिंह पंगी–

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में कौन-कौन माइक्रो हाइडिल योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं? उन पर कब-कब कार्य आरम्भ हुआ है और उनमें से प्रत्येक की पूर्ण होने की तिथि कौन-कौन है तथा उनमें से प्रत्येक पर क्या व्यय अनुमानित है?

श्री ब्रह्म दत्त–

जिला चमोली की केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत माइक्रो हाइडिल परियोजनायें निम्नलिखित हैं :–

परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (कि0वाट)
1–तपोवन	3×250
2–थराली	2×200
3–सीतापुर चट्टी	2×100

उपरोक्त तीन परियोजनाओं में से तपोवन परियोजना पर वर्ष 1980-81 में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है और अन्य दो परियोजनाओं पर कार्य वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का पूर्ण होने का अनुमानित वर्ष तथा इन पर अनुमानित व्यय निम्नलिखित है :–

परियोजना का नाम	कार्य पूर्ण करने का अनुमानित वर्ष	(उ0 लाख में) अनुमानित व्यय
1–तपोवन	1984-85	110.00
2–थराली	1985-86	65.00
3–सीतापुर चट्टी	1985-86	57.00

चकबन्दी विभाग, पडरौना, देवरिया में लेखपालों की नियुक्ति

42–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980 में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, पडरौना, देवरिया के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लेखपालों के कितने स्थान रिक्त थे और क्या उन पर नियुक्तियां की गयीं? क्या इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगा गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

वर्ष 1980 में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, पडरौना, देवरिया इकाई में चकबन्दी लेखपालों के कुल 22 स्थान रिक्त थे। इनमें से 4 लेखपालों के अन्य इकाइयों से स्थानान्तरण पर आ जाने तथा 1 लेखपाल के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने के कारण 5 रिक्तियां स्वतः समाप्त हो गयीं। इसके अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा चकबन्दी कार्य के हित में 10 पदों पर स्थानापन्न नियुक्तियां की गयी तथा 7 पद अब भी रिक्त हैं।

सेवायोजन कार्यालय से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये नाम नहीं मांगे गये क्योंकि चकबन्दी लेखपाल पदों पर छटनीशुदा भूतपूर्व लेखपालों या लेखपाल स्कूल परीक्षा पास अभ्यर्थियों अथवा लेखपाल कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, पडरौना, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

43–श्री हरिवंश सहाय–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री हंसराज पत्रकार "बिस्मिल" ग्राम सिंहा, पो0 आ0 बाजार, तप्पा देवरिया ने देवरिया जनपद के बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, पडरौना के स्टोर में गोलमाल के अलावा जमीनों के अवैध हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक 10-9-80 को शिकायती पत्र दिया है? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार इस आशय का एक शिकायती पत्र चकबन्दी आयुक्त को प्राप्त हुआ। जांचोपरान्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, पडरौना के कार्यालय में रु0 1,666.48 की लेखन सामग्री का स्टाक कम पाया गया। इसकी क्षतिपूर्ति संबंधित कर्मचारी से कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

2–मुकदमों में निर्णय द्वारा भूमि के अवैध हस्तान्तरण संबंधी शिकायत की भी जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा कर ली गयी है और इस बारे में चकबन्दी आयुक्त के स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

44–श्री माधव प्रसाद–

[9वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

टाण्डा थर्मल पावर हाउस के लिये जलाशय का निर्माण एवं घाघरा नदी पर पुल निर्माण की मांग

45–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद्, टाण्डा थर्मल पावर हाउस के लिये घाघरा नदी से पानी मात्र इसलिये नहीं लिया जायगा क्योंकि घाघरा नदी रास्ता बदलती रहती है? साथ ही इसके विकल्प में राज्य विद्युत परिषद् करोड़ों रुपयों की लागत से बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

टाण्डा थर्मल पावर हाउस के लिये पानी घाघरा नदी से मेहरपुर पम्पिंग स्टेशन द्वारा एवं शारदा सहायक नहरनगर से प्रस्तावित है। इमरजेन्सी की हालत में पावर हाउस बन्द न करना पड़े इसलिए सात दिन की क्षमता के एक जलाशय की भी व्यवस्था की जा रही है।

46–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या इसी धन से नदी का रास्ता पुल बनाकर निश्चित किये जाने के लिये सरकार इस बात पर विचार करेगी कि घाघरा पर पुल बन जाने से पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने के साथ-साथ पावर हाउस की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और बस्ती से बनारस एवं इलाहाबाद का रास्ता भी 70 कि0मी0 कम हो जायेगा?

श्री ब्रह्म दत्त–

प्रस्तावित पुल की उपयोगिता एवं लागत के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण के बिना सूचना सम्भव नहीं है। इस समय की 440 मेगावाट क्षमता के पावर हाउस के लिये पानी उपलब्ध है। जब भी क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव होगा तब आगे इस बात पर विचार कर लिया जायेगा।

विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव के कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 एवं ई0पी0एफ0 की रसीद

47–श्री भीखालाल–

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड, उन्नाव में 1972 से अब तक जी0 पी0 एफ0 तथा ई0 पी0 एफ0 की रसीदें कर्मचारियों को नहीं दी गयी और कर्मचारियों से इन मदों में काटा गया पैसा उनके हिसाब में जमा नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और इस अनियमितता के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त–

विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में कार्यरत कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 1979-80 तक की लेखा पर्चियां वितरण हेतु भेजी जा चुकी हैं। ई0 पी0 एफ0 की वर्ष 1975-76 तक की लेखा पर्चियां वितरित की जा चुकी हैं तथा ऐसे कर्मचारियों का जनवरी, 1981 तक का अंशदान आयुक्त, भविष्य निधि कार्यालय में जमा किया जा चुका है। इनकी पर्चियां आयुक्त, भविष्य निधि द्वारा जारी की जायेंगी।

मौरावां पावर स्टेशन, उन्नाव के कर्मचारी, श्री रामू को विद्युत स्पर्शाघात से क्षति एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान

48–श्री भीखलाल–

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्किल्ड कुली रामू जो पावर स्टेशन, मौरावां, जिला उन्नाव में नियुक्त था सरकारी काम करते समय बिजली की लाइन ठीक करते हुए 24-12-72 को बुरी तरह से जल गया था और उसके हाथ पैर बेकार हो गये हैं और काम करने के लायक नहीं रहा है? यदि हां, तो विभाग द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या आर्थिक सहायता दी गयी और यदि अभी तक नहीं दी गयी, तो क्यों और इस विलम्ब का जिम्मेदार कौन है?

श्री ब्रह्म दत्त–

श्री रामू कुशल श्रमिक जो मौरावां पावर स्टेशन, जिला उन्नाव में नियुक्त था की साधारण दुर्घटना लाइन पर कार्य करते हुए दिनांक 24-12-72 को हुई जो बाद में (मेजर) दुर्घटना में परिवर्तित हो गयी। रामू की क्षतिपूर्ति स्वीकृत कर दी गयी है जिसका भुगतान प्रतिकर आयुक्त/जिलाधिकारी, उन्नाव के माध्यम से किया जायेगा।

गाजीपुर जिले के ग्राम तिलसड़ा की कस्टोडियन की भूमि से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

49–श्री झिलमिट राम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर परगना–सादियाबाद, ग्राम–तिलसड़ा में कस्टोडियन के अन्तर्गत कौन-कौन से नम्बरान और कितनी भूमि थी और है? उनका क्षेत्रफल क्या है? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ग्राम के तमाम काश्तकारों के भूमि व मकान को ग्राम के मदनी व शमीम वगैरह ने फर्जी सेल सर्टीफिकेट के आधार पर अपने नाम करा लिया है? क्या इनके विरुद्ध ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र कस्टोडियन अदालतों की तजवीजों के साथ कतिपय विधायकों की प्रबल संस्तुतियुक्त पत्र राजस्व सचिव को जांच कार्यवाही हेतु क्रमशः आदेश मुख्य मंत्री द्वारा 4-2-78 का मुख्य सचिव द्वारा 3-2-78 व 25-1-79 व ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 24-1-79 मयमूल प्रार्थना-पत्र व संलग्नकों के भेजे गये? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना संकलित की जा रही है।

गोण्डा जिले की बलरामपुर चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

50–मसरूर जाफरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोण्डा में बलरामपुर चीनी मिल पर किसानों का गन्ना मूल्य का कितना बकाया है और नारंग चीनी मिल पर कितना बकाया है और किस वर्ष से बाकी है? इस बकाये के भुगतान के लिये शासन कौन से कदम उठा रहा है?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जनपद गोण्डा की बलरामपुर चीनी मिल पर 28-2-81 तक की स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य का वर्तमान सीजन 1980-81 में 16 हजार तथा इसके पूर्व वर्षों का 50 हजार रुपया बकाया है। जिला गोण्डा में नारंग चीनी मिल नाम से कोई चीनी मिल नहीं है अतः उसके ऊपर बकाये का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बकाये के भुगतान हेतु प्रयास जारी है।

इलाहाबाद जिले के सिकन्दरा विद्युत सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति

51–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद विकास खंड बहरिया में स्थित सिकन्दरा विद्युत सब स्टेशन से नियमित रूप से बिजली न मिलने के क्या कारण है? क्या सरकार नियमानुसार 8 घंटे प्रतिदिन बिजली दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्म दत्त–

माह फरवरी तथा मार्च, 81 में जनपद इलाहाबाद, विकास खण्ड बहरिया में स्थित सिकन्दरा विद्युत सब स्टेशन पर औसतन 7 घंटे प्रतिदिन निर्धारित विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध क्रमशः औसतन 10 घंटे तथा 14 1/2 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की

गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सिकन्दरा विद्युत सब स्टेशन को माह फरवरी तथा मार्च 81 में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की गई है।

विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) सहारनपुर के लिपिकों का निलम्बन

52–श्री रामस्वरूप वर्मा

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-8-1977 को सहारनपुर पावर हाउस विद्युत वितरण खंड, 2 जिला सहारनपुर के कितने आर0 जी0 सी0 (लिपिकों) को निलम्बित किया गया था उसमें से कितने पुनः पद पर ले लिये गये और कितने बरखास्त किये गये और कितनों को अब तक निलम्बित रखा गया है और उनका अभी तक फैसला नहीं हो पाया है?

श्री ब्रह्म दत्त–

दिनांक 30-8-1977 को विद्युत वितरण खंड (द्वितीय) सहारनपुर में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, रुड़की ने तीन आर0 जी0 सी0 (लिपिकों) को निलम्बित करने के आदेश दिये थे। दो आर0 जी0 सी0 (लिपिकों) को उपरोक्त आदेश द्वारा निलम्बित किया गया। किन्तु तीसरे आर0 जी0 सी0 के नाम के संबंध में टंकण त्रुटि के कारण उसको संशोधित आदेश दिनांक 5-12-1977 द्वारा निलम्बित किया गया। उपरोक्त कर्मचारी निलम्बित चल रहे हैं। अभी तक किसी को बर्खास्त या पुर्नस्थापित नहीं किया गया है। सतर्कता अधिष्ठान, उत्तर प्रदेश द्वारा इन कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है। अतः अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।

बाराबंकी जिले के गौरवा उसमानपुर में गृह अनुदान का वितरण

53–श्री राम आसरे वर्मा

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत ग्राम गौरवा उसमानपुर में जनवरी, 1981 में गृह अनुदान वितरण किया गया? यदि हां, तो वितरण का आधार क्या था? क्या सरकार अनुदान प्राप्त कर्ताओं की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री बैजनाथ कुरील–

जी हां। दिनांक 15-1-81 को ग्राम गौरवा उसमानपुर में 214 पात्र व्यक्तियों को 28,300/- रु0 गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया था। गृह अनुदान पीड़ित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और क्षति को देखते हुए दी जाती है। गृह अनुदान केवल भूमिहीन मजदूरों अथवा सीमान्त कृषकों अथवा 2400/- रु0 तक की वार्षिक आय वाले गैर खेतिहर व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान दैवी आपदा के कारण पूर्णतया नष्ट हो जाय तो और वह उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं भी आता तब भी उसे अनुदान दिया जायगा। गौरवा उसमानपुर में अनुदान के पात्र व्यक्तियों की सूची क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बनाई गई, उसकी जांच सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई तथा परगना अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई। अनुदान प्राप्त कर्ताओं की सूची मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

गाजियाबाद जिले में "मिनी सचिवालय" का निर्माण

54–श्री मुख्तार अनीस–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि सरकार का इरादा गाजियाबाद में लघु सचिवालय बनाने का है ? यदि हां, तो इस लघु सचिवालय को बनाने में राज्य सरकार का कितना धन व्यय होगा?

श्री बैजनाथ कूरील–

गाजियाबाद पृथक जिला घोषित होने के पश्चात् इस नये जिले के मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की एक ही स्थान पर व्यवस्था करने हेतु वहां पर सचिवालय की भांति एक वृहत भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया जिसका नामकरण "गिनी सचिवालय" किया गया । परन्तु विचारोपरान्त नामकरण बदलकर "कार्यालय जिला प्रशासन" नाम रखा गया है। अभी तक इस प्रस्तावित भवन में केवल एक खण्ड "जिलाधिकारी का कार्यालय" के निर्माण की स्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की गयी है जिस पर 149.80 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है । अन्य विभागों द्वारा उनके कार्यालय खण्डों के निर्माण की स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है।

किसान सहकारी चीनी मिल, सरसांवां, जिला सहारनपुर के प्रबन्धक, श्री रनबीर सिंह के विरुद्ध ज्ञापन

55–श्री ऊदल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी मिल, सरसांवां, जिला सहारनपुर के प्रधान प्रबन्धक, श्री रनबीर सिंह के खिलाफ एक 6 पेज का ज्ञापन कोआपरेटिव शुगर मिल्स वर्कर्स यूनियन तथा सहारनपुर चीनी उद्योग श्रमिक संगठन सरसांवां, सहारनपुर के मंत्री नरेन्द्र सिंह, हरिशंकर पाण्डेय ने जनवरी, 1981 के तीसरे सप्ताह में मा0 मुख्य मंत्री, गन्ना विकास मंत्री, सचिव एवं आयुक्त गन्ना विभाग और श्रमायुक्त कानपुर को भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री भानु प्रताप सिंह–

जी हां, प्रश्नगत ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर जांच कराई जा रही है।

56–श्री ऊदल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 22-12-80 एवं 4-1-81 को श्रमिक प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मण्डल जिलाधीश, सहारनपुर से इस सम्बन्ध में मिला था और ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो जिलाधीश ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह–

श्रमिक प्रतिनिधियों का शिष्ट मण्डल दिनांक 22-12-80 को जिलाधीश, सहारनपुर से मिला था और ज्ञापन भी दिया था जिस पर भी जांच की जा रही है।

श्री किशन राम, ग्राम कुमाल्ट, जिला अल्मोड़ा का भूमि के संबंध में प्रार्थना-पत्र

57–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशन राम, ग्राम कुमाल्ट, पोस्ट आफिस कफड़ा, जिला अल्मोड़ा द्वारा दो नाली भूमि मकान ग्रान्ट के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को प्रेषित पत्र सन्दर्भ संख्या 227555 जो प्रधान मंत्री कार्यालय में उचित कार्यवाही के लिये मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 19-12-77 को भेज दिया गया ? के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

58–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[27-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 42 द्वारा उत्तरित]

श्री नुरुल हसन खां, निवासी रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर का चकबन्दी संबंधी प्रार्थना-पत्र

59–श्री विजय सिंह राना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नूरूल हसन खां, पुत्र श्री अब्दुल वाहिद खां, निवासी रसूलपुर, ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के भूखण्ड संख्या 824, 827, 1514, 1515/1, 1515/2, 1947, 1130, 1337/2 की 1359 फसली से पूर्व तथा चकबन्दी 1360, 1362, में उलट फेर कर खाता खेवट एवं खतौनी में दूसरों के नाम चक बना दिये गये हैं जिसके विरुद्ध उपरोक्त मालिकों ने राजस्व मंत्री, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को दिनांक 5-2-81 तक कितनी दरख्वास्त दी थी और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

सूचना एकत्र की जा रही है।

60–श्री विजय सिंह राना–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सुल्तानपुर जिले के ग्राम रसूलपुर में गृह अनुदान का वितरण

61–श्री महेश चन्द्र शर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम रहमानीपुरा, गजरा रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कितने लोगों के मकान 1980 में वर्षा एवं बाढ़ से गिर गये थे? उनकी संख्या क्या है? क्या शासन एवं जिला प्रशासन सुल्तानपुर द्वारा उनको गृह अनुदान एवं अन्य सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बैजनाथ कुरील–

जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड जगदीशपुर में ग्राम रहमानीपुरा, गजरा रसूलपुर नहीं बल्कि ग्राम रसूलपुर है। इस ग्राम में वर्ष 1980 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण 198 व्यक्तियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें से नियमानुसार 63 पात्र व्यक्तियों को 6,350/- रु0 गृह निर्माण अनुदान वितरित किया जा चुका है, शेष व्यक्ति पात्रता की परिधि में नहीं आते थे, इस कारण उन्हें गृह अनुदान नहीं दिया गया। जहां तक अन्य सहायता देने का प्रश्न है इस ग्राम के पीड़ित असहाय एवं पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार राशन तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया है।

62–श्री महेश चन्द्र शर्मा–

[20-2-81 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

पूर्ति निरीक्षक, शाहगंज आगरा द्वारा ग्राम नगला सेवा में पकड़ी गयी अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12-20 अपराह्न]

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 5 स्वीकृत हुई, शेष अस्वीकृत हुई ।

*श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आगरा नगर में घटित हुई एक अत्यधिक शोक महत्व की घटना की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें पूर्ति विभाग का भ्रष्टाचार उभर कर जनता के सामने आया है।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि आगरा नगर में पूर्ति क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत नगला सेवा राम मुहल्ले में मकान नं0 151 से लेकर 160 तक के 60 मकान जिसमें राशन की 721-1/2 यूनिटें हैं, में एक साथ दो राशन विक्रेता नगर के पूर्ति विभाग द्वारा नियुक्त कर रखे हैं यह विक्रेता हैं श्री अहमद उसमानी और श्री रमेश चन्द महेश चन्द। यह घटना प्रकाश में तब आयी जब इस क्षेत्र में एक नये पूर्ति निरीक्षक पहुंचे और उन्होंने कार्यभार सम्भाला तो सभी विक्रेताओं के अधिकार पत्र जांच हेतु मांगे इस पर डा0 अहमद उसमानी ने अपना अधिकार पत्र दिखा दिया और रमेश चन्द महेश चन्द अपना कोई भी अधिकार पत्र नहीं दिखा सका। इस पूर्ति निरीक्षक ने मामले की अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी। क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक तथा जिला पूर्ति अधिकारी के संरक्षण में यह भ्रष्टाचार पल रहा था। अतः उन्हें पूर्ति निरीक्षक का यह कार्य नहीं रुचा और उन्होंने निरीक्षक का दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण कर दिया। यही नहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने रमेश चन्द महेश चन्द को बचाने के लिये क्षेत्र के सभी राशन कार्ड मंगा कर उन पर पुरानी तारीखों में राशन प्राप्त करने की सभी प्रविष्टियां दर्ज करा दीं।

मामला जब अतिरिक्त जिला अधिकारी के सामने पहुंचा तो उन्होंने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिये पर चूंकि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी इस दुकानदार से मिला हुआ था इसलिये उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की और स्वयं अवकाश लेकर भाग गया। जिला पूर्ति अधिकारी इस मामले को हर प्रकार से बचाने का प्रयास कर रहा है। यह जिला पूर्ति अधिकारी पहले से बहुत भ्रष्ट है और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेकों गम्भीर शिकायतें हैं पर क्योंकि वह सब हमारे खाद्य मंत्री जी के जिले का है और उनके संरक्षण में पल रहा है इसलिये उसके विरुद्ध अब तक कोई भी कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। बल्कि वह स्वयं कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचारियों का सहारा लेकर अतिरिक्त जिला पूर्ति अधिकारी को उखाड़ फेंकने के घृणित प्रयासों में संलग्न है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले की तुरन्त सी0 आई0 डी0 से जांच करायें और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करें ताकि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से मिटाया जा सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मथुरा जिले की मथुरा एवं छाता तहसील के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से क्षति एवं सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन सिंह–

महोदय, आपके माध्यम से मथुरा जिले में घटी दैवी आपत्ति की घटना को माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, दिनांक 26-3-81 को सायं को मथुरा जिले के छाता एव मथुरा तहसील में विशेष कर एवं समस्त जिले में भयंकर तूफान एवं वर्षा के साथ भीषण ओलावृष्टि हुई जैसी अभी तक नहीं हुई। जिससे रबी की फसलें पकी हुई तैयार खड़ी थीं, पूर्णत: नष्ट हो गयीं। मवेशी के लिये चारा भी बरबाद हो गया है। किसानों में अपनी सामर्थ्य से ऊपर बैंक इत्यादि से ऋण लेकर फसल तैयार की थी उसका एक दाना भी किसान को मिलने वाला नहीं है। जिले में सर्वत्र हाहाकार व्याप्त है एवं भुखमरी का ताण्डव नृत्य प्रारम्भ होने की स्थिति हो गयी है। सूचना मिलने तक सरकार की ओर से किसी प्रकार के राहत कार्य आरम्भ नहीं किये गये हैं। अत: आपके माध्यम से इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि मथुरा जिले के किसानों को अविलम्ब आर्थिक सहायता प्रदान की जाय एवं आपासी, मालगुजारी समाप्त करके सहकारी एवं राज्य सरकार के समस्त देयों को मुल्तवी करने के लिये समुचित कदम उठायें।

गोरखपुर जिले के खोराबार थाने की पुलिस द्वारा ग्राम डांगीपार के ग्रामीणों की पिटाई तथा लूट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, गोरखपुर जिले के खोराबार थाना के अन्तर्गत ग्राम डांगीपार में 26 मार्च, 1981 को पुलिस ने ग्रामीणों के साथ जुल्म ज्यादती करके उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा जिससे सात व्यक्तियों की हालत गम्भीर हो गयी है तथा 20 अन्य आदमियों को चोट आयी है। गरीब लोगों के घर में घुसकर जेवरात व रुपयों की लूट-पाट किया है। मेरी निश्चित जानकारी के अनुसार इस दिन सुबह भारी मात्रा में पुलिस के लोग इस गांव के एक व्यक्ति श्री रामदेव के मकान पर आये और उन्हें गाली देने लगे तथा गिरफ्तार करने का प्रयास किया। उनके बेटे एवं बहू को भी अकारण ही मारने पीटने लगे। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के इस अत्याचार का विरोध करने पर और पुलिसजनों के साथ उच्च अधिकारियों के पास जाने का आग्रह करने पर पुलिस के लोग उत्तेजित हो गये और एकाएक ग्रामीणों को लाठियों एवं रायफलों के बट से पीटना शुरू कर दिया है जिससे 27 स्त्री एवं पुरुष घायल हो गये तथा भगदड़ मच गयी। पुलिस जन घरों में घुसकर लूटपाट करने लगे। पुलिस ने ग्रामीणों पर एक दरोगा तथा दो सिपाही को बन्द करने के आरोप में फर्जी मुकदमा कायम कर लिया और झूठी बात बनाई है कि रामदेव तथा अन्य ग्रामीणों ने एक हरिजन आवंटित भूमि में बोई गई फसल को काट लिया है तथा इस संबंध में कार्यवाही करने गई पुलिसजनों पर चाकू से प्रहार किया। मेरी जानकारी है कि हरिजन फसल श्री रामदेव तथा ग्रामीणों ने नहीं बल्कि पुलिस की उपस्थिति में हरिजनों ने काट लिया था । भूमि जिसमें फसल बोई गई थी, वह विवादित थी और अदालत से रामदेव के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती गौरी देवी–]
था परन्तु पुलिस ने जबरन दो दिन पूर्व पैसा लेकर फसल को कटवा दिया था और उल्टे फर्जी मुकदमा कायम करके श्री रामदेव सहित ग्रामीणों में आतंक एवं भय उत्पन्न करना चाहती थी। आज भी पुलिस के इस अत्याचार एवं मार पीट तथा लूटपाट से ग्रामीणों में आतंक का वातावरण बना हुआ है। जन सामान्य में भी क्षोभ एवं रोष है।

अतः इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाकर पुलिस जनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा ग्रामीणों में पुलिस के भय एवं आतंक के वातावरण को सामान्य बनाने की मांग करते हुए इस सम्पूर्ण मामले की गुप्तचर जांच करवाने का आग्रह करती हूं।

किशोरी रमण महिला विद्यालय डॉम्पियर नगर, मथुरा में छात्राओं से नाजायज धन की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाते हुए तुरन्त उचित कार्यवाही का अनुरोध करता हूं– महोदय, किशोरी रमण महिला महाविद्यालय, डॉम्पियर नगर, मथुरा एक छोटी सी किराये की आवासीय इमारत में चल रहा है। इमारत में एक भी कमरा कक्षा चलाने योग्य नहीं है। कोई स्टाफ रूम नहीं है और न कोई प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त कमरा है। खेलने का कोई मैदान नहीं है और न विद्यार्थियों के बैठने का कोई कक्ष, अध्यापन कार्य हेतु स्टाफ अपर्याप्त है। छात्राओं से नाजायज धन एकत्रित किया जाता है और उसको प्रबन्धक, सचिव एवं प्राचार्य मिलकर भ्रष्ट तरीके से खा जाते हैं। इस सम्बन्ध में प्राचार्य को एवं प्रबन्धक सचिव को निलंबित किया जा चुका है। भ्रष्टाचार, संबंधी जांच अभी जारी है। विभिन्न न्यायालयों में भ्रष्टाचार प्रबन्ध इमारत सम्बन्धी वाद विचाराधीन हैं। प्रबन्धक मण्डल, प्राचार्य एवं अन्य कर्मचारीगण न्यायालयों के चक्कर काटते रहते हैं। प्रबन्धक मण्डल अवांछनीय तत्वों का अड्डा बन गया है। अध्यापन कार्य में विघ्न आ रहा है। छात्राओं में असंतोष व्याप्त है। समय-समय पर छात्रायें हड़ताल प्रदर्शन करती रहती हैं। अभिभावक परेशान रहते हैं। एक तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है।

अतः सैकड़ों परिवारों के हितों को देखते हुए मान्यवर, आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध सरकार से करता हूं कि समस्या के समाधान हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही करें।

श्री भोला पाण्डेय द्वारा अपनी नियम 301 की सूचना पढ़े जाने का प्रयास

श्री मोहन सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री उपाध्यक्ष–

एक सूचना समय के बाद आयी थी। वह श्री भोला पाण्डेय ने दी थी जो स्वीकार नहीं की गयी है।

श्री भोला पाण्डेय–

इसको स्वीकार कर लीजिये। एक अहम सूचना मैं पटल पर रखना चाहता हूं। हमको गोरखपुर से टेलीग्राम के द्वारा यह सूचना दी गयी कि 31 मार्च, को 11 बजे दिन में हरि शंकर तिवारी न्यायालय से जमानत पर रिहा होकर अपने धर्मशाला बाजार, गोरखपुर, निवास पर आये। उसी दिन सायं 6 बजे अपने निवास पर उन्होंने पत्रकार सम्मेलन बुलाया। जैसे ही पत्रकार सम्मेलन के अन्दर आये पुलिस वालों ने पत्रकारों को घर के अन्दर जाने से रोका और बाहर कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष–

यह आप की सूचना समय से नहीं आयी थी इसलिये स्वीकार नहीं की गयी। (व्यवधान) .....

श्री भोला पाण्डेय–

एक जिम्मेदार व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर चर्चा करा दीजिये। मुख्य मंत्री जी .... (व्यवधान) .....

डी0 एम0 बाराबंकी को पकड़वाने हेतु एस0 पी0 बाराबंकी द्वारा जारी वारन्ट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मोहन सिंह–

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप अनुमति दे दें। जो 301 की मूल धारा है उसमें जो संबंधीकरण जोड़ा है मैं वह मूल धारा पढ़ना चाहता हूं।

"ऐसा विषय उठाना जो औचित्य का प्रश्न न हो – जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य का प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं....." इसके बाद आप सूचनायें लेते हैं, इसी में यह रूलिंग आई है।

आज मैंने एक सूचना दी कि डी0 एम0, बाराबंकी को पकड़वाने के लिये एस0 पी0, बाराबंकी ने वारन्ट जारी किया है। 29/3 को एक नजूल लैण्ड पर पुलिस कप्तान के घर – पूरा प्रश्न सुन लीजिए तब व्यवस्था दें.....

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप यह बता दें कि व्यवस्था क्या चाहते हैं.....

श्री मोहन सिंह–

आप प्रश्न तो सुन लें कि किस तरह यह धारा कमजोर हो गयी है, मैं यह प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। नजूल लैण्ड से बीस हजार के करीब शीशम एस0 पी0 ने कटवा दिया। जब वह आरा मशीन पर गया तो डी0एम0 ने सोचा कि नजूल तो हम लोगों का है। एस0 पी0 कहते हैं कि डी0 आई0 जी0 के आदेश थे कि पुलिस क्लब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह–]

का इससे दरवाजा बनाना है। डी0 एम0 कहते हैं कि डी0 आई0 जी0 शायद एक घर बना रहे हैं राम सागर मिश्र नगर में उसके लिये लकड़ी जा रही है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चोरी का मुकदमा दाखिल करने जा रहे हैं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। आप ने नियमों के ही हिसाब से पांच ही सूचनायें स्वीकृत कीं। उनके मुकाबले में यह कम महत्वपूर्ण था इसलिये आपने इसे स्वीकार नहीं किया। आपका आदेश शिरोधार्य है। लेकिन जो मूल धारा 301 की है उसके तहत आप हमको चर्चा करने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि धारा 301 जो मूल धारा है उसको पीठासीन अधिकारी ने दुबारा मर्यादित करने के लिए कुछ निर्देश दिये थे जिसके तहत सूचनायें ली जाती हैं उसमें प्रतिबंध लग जाता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस मूल धारा के अन्तर्गत जो चर्चा करने का हमारा अधिकार था वह अक्षुण रहेगा या समाप्त कर दिया जायगा यह व्यवस्था चाहता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

हमारा भी सुन लीजिए इसी से संबंधित । आपका संरक्षण मैं इस बात में चाहूंगा कि जो फारमूला बाराबंकी के डी0एम0, एस0पी0, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इस माननीय सदन के मंत्री आपस में एक दूसरे का उसी तरह इस्तेमाल न करें, इसकी व्यवस्था की जायगी . . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझ नहीं सका।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, आप इस बात की व्यवस्था करें कि जो फारमूला माननीय मोहन सिंह जी ने बताया कि बाराबंकी के डी0एम0 और एस0पी0 ने एक दूसरे को गिरफ्तार करने के लिये जो साजिश किये हैं उसी तरह कहीं यहां पर जो मंत्रीगण बैठते हैं वे भी एक दूसरे के लिये न करने लग जायं। इस पर आप व्यवस्था दे दें। . . . .(व्यवधान)।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

जहां तक माननीय मोहन सिंह जी की व्यवस्था का सवाल है उन्होंने जिस धारा को कोट किया है उसी धारा को अगर वे ठीक से पढ़े, वे विद्वान हैं, भिज्ञ भी हैं, स्वयं इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि इस धारा को नियंत्रित करने के लिये ही उसमें उपबन्ध किया गया है। उसी से उनके द्वारा कही हुई बात नियंत्रण में आ जायेगी इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है। वे खुद इससे व्यवस्थित हो जायेंगे।

जहां तक माननीय रियासत हुसैन जी के व्यवस्था के प्रश्न का सवाल है मुझे उम्मीद है कि जब माननीय मोहन सिंह जी नियंत्रित हो गये तो उनकी व्यवस्था से वे भी नियंत्रित हो जायेंगे।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977-78†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977-78 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981†

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या एस0 टी0-2-308/दस-3(1)-75, एक्ट-74/56-नियम-57-संशोधन (प्रथम)-1981, दिनांक 25 फरवरी, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(शाब्दिक संशोधन के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 629 पर)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और मंडी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 1981 के उपवेशन में पारित किया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की 25 मार्च, 1981 की बैठक में अस्वीकृत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 28 मार्च, 1981 को उसी रूप में जिस रूप में वह इस सदन द्वारा 14 मार्च, 1981 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 मार्च, 1981 की बैठक में उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 28 मार्च, 1981 को पुनः पारित किया गया था, पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1981 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 14 मार्च, 1981

† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

[सचिव, विधान सभा]
के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1981 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1981 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मार्च, 1981 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 मार्च, 1981 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1981 को हो गई और वह सन् 1981 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचनार्थ नामों की वापसी के लिए नियत तिथि तथा समय के भीतर नामों की वापसी के फलस्वरूप अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उक्त परिषद् में पूरणीय रिक्तियों की संख्या के बराबर रह जाने के कारण शेष रह गये निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित घोषित हो गये हैं:–

1. श्री प्रवीन कुमार शर्मा (बुलन्दशहर),
2. श्री पंचानन राय (आजमगढ़),
3. श्री राम सिंह (सहारनपुर),
4. श्री रुद्र प्रताप सिंह (देवरिया),
5. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी)।

(व्यवधान)

पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध लम्बित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, आपने व्यवस्था नहीं दी।

पंचायत राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 3 मार्च, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत दिनांक 3 अप्रैल, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था,

और चूंकि उक्त अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "चूंकि श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, देवरिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जांच हेतु दिनांक 3 मार्च, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत दिनांक 3 अप्रैल, 1981 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था, और चूंकि उक्त अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री भोला पाण्डेय द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत सूचना उठाये जाने का प्रयास तथा व्यवस्था का प्रश्न

श्री भोला नाथ पाण्डेय: [***]

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है?

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, जब बिना स्वीकृत किये हुए प्रस्ताव को आपने सुन लिया . .

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, आप बैठिये ।

श्री मोहन सिंह–

मैं उनके समर्थन में कह रहा हूं यह नयी परिपाटी की जा रही है । एक सदस्य जिसका स्वीकृत नहीं हुआ उससे इशारा करके पढ़वा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

हमारा इशारा आपने देखा होगा।

श्री मोहन सिंह–

जब चर्चा का विषय बन गया तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान) हम जो विपक्ष में बैठे हैं इनकाउन्टर की बात कहते हैं तो (व्यवधान) एक कांग्रेस नेता का इनकाउन्टर हो गया इस पर चर्चा हो जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मोहन सिंह–

हम शासन की नीतियों की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं आज इनकाउंटर बड़े पैमाने पर हो रहे हैं हम को भी सूचना है कि कुछ पुलिस के लोग श्री हरिशंकर तिवारी को भगा ले गये हैं, पता नहीं उनका इनकाउन्टर हो गया या जीवित है। आज हमारा होगा कल आपका होगा (व्यवधान) यह जो प्रश्न श्री भोला पाण्डेय ने उठाया है इससे हमारी बात पर मुहर लगती है कि पुलिस इस प्रकार इनकाउन्टर कर रही है। इस पर चर्चा करा दें । (व्यवधान)

श्री भोला पाण्डेय–

इस पर चर्चा करा दें।

नोट–[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं आता है।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। नियमों के सम्बन्ध में कह रहा हूं आपका जो निर्णय होगा वह शिरोधार्य होगा। लेकिन प्रश्न यहां उठा दिया गया है जो यहां के जनजीवन से सम्बन्ध रखता है। मैं निवेदन करता हूं कि कभी-कभी नियमों से हट कर भी, क्योंकि नियमों में आपको असीम शक्ति दे रखी है, इसे ले लें चर्चा नहीं तो वक्तव्य के लिए निर्देशित कर सकते हैं इसको मैं रखना चाहता हूं, आप इस पर वक्तव्य के लिये कह सकते हैं, वह आज शाम दे दें या कल तक वक्तव्य आ जाए।

श्री भोला पाण्डेय–

कल क्या यह आज ही आ सकता है?

श्री राजेन्द्र सिंह–

और यदि कोई चीज नहीं हो सकती है तो आपकी पीठ से यह हो सकता है कि सरकार उधर ध्यान दे और कृत कार्यवाही से श्री भोला पाण्डेय को वह सूचित करे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में हमने और हमारे विरोधी दल के लोगों ने अनेक बार काफी कुछ कहा है और उसी को आज भोला पाण्डेय जी ने साबित कर दिया है कि झूठे एन्काउन्टर दिखाये जा रहे हैं और एन्काउन्टर के नाम पर पुलिस वाले निरपराध लोगों को मार रहे हैं। तो मान्यवर, आप अपनी असीमित शक्तियों को उपयोग करते हुए इस पर वक्तव्य दिला दें और व्यवस्था कर दें। आप इस सम्बन्ध में देखकर जो कार्यवाही करें, उससे भोला पाण्डेय जी को सूचित करें।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया और मैं आपसे ही दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या जिस चीज की इजाजत पीठासीन अधिकारी न दे और उसकी बिना इजाजत के सदन में कहा जाए, वह भी सदन की कार्यवाही का अंग बनता है? यदि नहीं, तो उस पर बयान दिलाने का प्रश्न ही कहां उठता है? जब हमने उसकी इजाजत नहीं दी, तो उस पर बयान का प्रश्न कहां उठता है?

(व्यवधान)

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं और सभी सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं।

एक सदस्य–

यदि आपने उसकी इजाजत नहीं दी तो कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

सर्वश्री विजय सिंह राना, माता प्रसाद पाण्डेय व गोपी नाथ वर्मा ने जिला खीरी के अन्तर्गत गोला गोकरननाथ में मेला मैदान के निकट शासन द्वारा अम्बेदकर भवन को संजय गांधी हरिजन छात्रावास में परिवर्तित किये जाने के विरोध में उठे व्यापक जनाक्रोश और विद्रोह के सम्बन्ध में दिया है। वैसी ही सूचना श्री मित्रसेन यादव एवं मरगूर जाफरी द्वारा भी दी गई है। तीसरी सूचना श्री सूबेदार सिंह की लखनऊ स्थित के0 जी0 मेडिकल कालेज को आयुर्विज्ञान संस्थान बनाने हेतु शासनादेशों के बावजूद निहित स्वार्थों के दबाव में आकर उसे पूरा न करने के विरोध में मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

चिकित्सालयों के कर्मचारियों द्वारा गत 30 मार्च, 1981 से किये जा रहे क्रमिक अनशन के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, सर्वश्री हरिवंश सहाय, कुबेर भण्डारी एवं नन्द किशोर सिंह की देवरिया जनपद में समाज के कमजोर, निर्बल, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा बेगार न करने के कारण प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा पुलिस की साजिश से लगभग 60 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना, श्री अहेग सिंह की विगत एक माह से बरेली शहर से प्रकाशित होने वाले दैनिक विश्व मानव के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप लगभग 250 कर्मचारियों एवं पत्रकारों के बेकार हो जाने के सम्बन्ध में है और छठी सूचना श्री शंकर सिंह व श्री दलगंजन सिंह की दिनांक 1 अप्रैल, 1981 को जालौन जनपद के रेठर थाना अन्तर्गत ग्राम डाबर में डाकुओं द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्या, कतिपय लोगों का अपहरण एवं खलिहानों में आग लगा देने से व्याप्त सनसनी एवं भय के सम्बन्ध में है। यह सभी सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, आपने ही व्यवस्था दी थी कि हम लोगों को हमारी सूचनाओं पर एक-एक मिनट कहने का अवसर देंगे?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर) (अत्यधिक शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। कार्य स्थगन का कोई विषय नहीं था। अतः मैंने सबको अस्वीकार किया है।

श्री शम्भूनाथ द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की सूचना को स्पष्टीकरण हेतु शासन को भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शम्भूनाथ ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिसे 3 दिन में स्पष्टीकरण देने हेतु सरकार को भेज दिया है।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जो सुना नहीं गया)

आप लोग मेरे आदेश के विपरीत बोल रहे हैं। अतः जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप गोरखपुर के मसले पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या आप अपना रियाज जारी रखना चाहते हैं ?

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था है कि आप हम लोगों की सूचना पर एक-एक मिनट बोलने का समय देंगे। . . .

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, इनको बैठाइये। काफी रियाज हो चुका है आप कृपया बैठ जायं।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं बैठ गया हूं । आप कृपया बोलने की इजाजत दे दें ।

(श्री प्रभु नारायण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरिवंश सहाय–

मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हरिवंश सहाय सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान- शोर)

[समय 12.55 अपरान्ह]

प्रदेश के पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प

(क्रमागत)

*श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, कल मैं अपने भाषण में यह बतला रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों की कितनी खराब स्थिति है।

(व्यवधान)

(श्री कुबेर भण्डारी सदन त्याग कर चले गये)

मैं प्रति लाख अस्पतालों में बेड्स की संख्या बता रहा हूं। प्रति लाख की आबादी पर 130.04 बेड्स पर्वतीय क्षेत्र में हैं। पूर्वी क्षेत्र में 42.49 बेड्स हैं, यह सबसे कम है। पूरे प्रदेश में यह 51.59 है। इसमें लिखा है–

"दी वेस्टर्न रीजन इज दि मोस्ट डेवलप्ड रीजन आफ दि स्टेट बोथ इन रिगार्ड टू एग्रीकल्चर एण्ड इन्डस्ट्री"

अर्थात् कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र सबसे विकसित क्षेत्र है, वह सबसे आगे है। फिर आगे कहा है कि प्रति वर्ष पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ से कृषि एवं मूल्यवान सम्पत्ति की अपार क्षति होती है अब तक के कदम इस समस्या का हल नहीं निकाल सके और बाढ़ नियंत्रण योजना भी कोई ठोस योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बनी।

कुछ क्षेत्रों में तो भीषण सूखा पड़ा, सिंचाई और पीने के पानी की कमी भी बनी हुई है। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि पानी को संकलित किया जाये, सूखी खेती का प्रचार किया जाये, और सरकार द्वारा अधिक गहरे नलकूप बोर किये जायें तो निश्चय ही सूखे की समस्या को हल किया जा सकता है ।

(इस समय 12 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

अब इसके बाद मैं छोटे और सीमान्त कृषकों का औसत के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । यह 1976-77 के आधार पर है । इनका औसत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है-80.77, मध्य में 87.13 पूर्वी क्षेत्र में-90.82, बुन्देलखण्ड में 64.35, पर्वतीय क्षेत्र में–72.82 और पूरे प्रदेश का औसत है 85.77 ।

अब मैं 1979 के अनुसार जन संख्या का प्रदेश का औसत बता रहा हूं । यह पश्चिमी क्षेत्र में है–35.97 प्रतिशत, मध्य में है–17.78 प्रतिशत, बुन्देलखंड में है–4.94 प्रतिशत, पर्वतीय क्षेत्र में है–4.43 प्रतिशत, और पूर्वांचल में है 36.88 प्रतिशत । अब आप प्रति वर्ग मील, 1979 के आंकड़ों के अनुसार, जनसंख्या का घनत्व भी देखें । यह है पूरे प्रदेश का 346, पर्वतीय क्षेत्र का 88, बुन्देलखंड का 178, पश्चिमी क्षेत्र का 447, मध्य क्षेत्र का 395 और पूर्वांचल का है 438। यह है आबादी का घनत्व। अभी जो छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दिया है, उसके आधार पर मैं बतला रहा था कि प्रदेश के 15 जिले कितने पिछड़े हुए हैं। एक अफिलियेटेड

†2 अप्रैल, 1981 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यूनिवर्सिटी है, जिसमें 99 कालेजेज उससे सम्बद्ध हैं। इसमें से कुछ कालेजेज को अवध और कानपुर से सम्बद्ध कर दिये जायं । तो पूर्वी क्षेत्र के रहने वाले छात्रों और अभिभावक इससे कितनी परेशानी में हो जायेंगे, अगर उनको दूर कर दिया जायगा। तो निश्चय ही पूर्वांचल में विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। हमारा पूर्वांचल जो इसी बरसात में इतना त्रस्त रहा, बाढ़ नियंत्रण का कोई भी विभाग हमारे जौनपुर में नहीं खोला गया। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कहीं-कहीं पर वहां पर हैं लेकिन कोई बड़ा उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है।

मान्यवर, इसका नतीजा यह होता है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में पूर्वांचल के लोग जाकर रोजी-रोटी की तलाश में मारे-मारे फिरते हैं और नौकरी के लिये भटकते रहते हैं । अगर वहां के लिए इस सरकार द्वारा तत्काल कुछ नहीं किया गया तो वे हमारे पूर्वांचल के लोग विकास नहीं कर सकेंगे और हमारे पूर्वांचल का विकास नहीं हो सकेगा। तो मेरा निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कोई ऐसी योजना बनायी जाय ताकि वहां का विकास हो सके।

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, पूर्वांचल के विकास हेतु "पूर्वांचल विकास आयोग" गठित करने की बात सर्वथा सत्य है। आप जानते भी हैं कि देश को आजाद करने में और देश को विकास के कार्यों के संबंध में पूर्वांचल की जितनी भूमिका रही है वह श्रीमन्, एक ऐतिहासिक कार्य रहा है। आजादी की लड़ाई में ऐसे दिग्गज-दिग्गज लोग पूर्वांचल के पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन की आहुति, देश को आजाद कराने में दे दी। देश आजाद हो गया। पूरब के लोग इस बात को सोचते थे कि जो गरीबी, जो तबाही, जो बेबसी अंग्रेजों के राज्य में रही, वह निश्चित रूप से जब हमारा देश आजाद होगा, तो पूर्वान्चल की गरीबी दूर होगी, वहां की बेबसी दूर होगी, वहां की बेरोजगारी दूर होगी, वहां की तबाही दूर होगी। वहां के विकास के लिये बड़े-बड़े उद्योगों को लगाने का काम किया जायगा । जिससे पूर्वान्चल की जनता अपना अपना जीवन बसर सुख से कर सकेगी। देश आजाद भी हो गया और बड़े-बड़े नेतागण पूर्वांचल में जाते हैं और वे सिवाय इसके कि बलिया के लोग, देवरिया के लोग, गोरखपुर के लोग क्रान्तिकारी हैं, इन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उन्होंने कभी, किसी नेता ने, किसी सरकार ने, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या यह सरकार हो, किसी सरकार ने यह नहीं किया कि इन क्रान्तिकारी लोगों के कारण जो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली, उनकी जीविका के लिए, पूर्वांचल में कोई कार्य कराया गया कि नहीं? श्रीमन्, आप देखेंगे कि पूर्वांचल में एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे वहां के लोग नौकरी करके या उसमें अपना साधन लगाकर या उससे पैदा होने वाली वस्तुओं को मार्केट में बेचकर अपना जीवन-यापन करें। पूर्वांचल में गरीबी बहुत है। आज से कुछ समय पहले वहां के लोग आमों की गूठली का आटा पीसकर उनमें नमक मिलाकर खाने के काम में लाया करते थे । वहां के लोग हिन्दुस्तान ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर दुनिया के दूसरे देशों में गिरमिटिया मजदूर के नाम पर भेजे जाते हैं। हिन्दुस्तान के जिस बड़े शहर में जाइयेगा तो आज वहां के लोग छोटे-मोटे उद्योग के जरिये अपना जीवन-यापन कर लेते हैं, लेकिन पूर्वांचल में कोई उद्योग नहीं है। पहाड़ का तो आपने आयोग बना दिया, गठित कर दिया। उसके विकास के लिये । पूर्वान्चल की गरीबी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, दुर्दशा को देखते हुए "पूर्वांचल विकास आयोग" गठित करना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द]

आप देखेंगे कि गरीबी का एक कारण तो है कि पूर्वांचल में हमेशा गंगा और घाघरा का पानी नीचा प्रदेश होने के कारण चढ़ आता है जिससे पूरा प्रदेश बाढ़ से भी बरबाद हो जाता है। बाढ़ में सहायता के नाम पर रोटी और नमक बांट देने के सिवाय वहां पर और कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर कृषि का कार्य ही एक प्रधान कार्य है। मेरी यह मांग है कि पूर्वांचल में कृषि के काम को आगे बढ़ाने के लिये, वहां की गरीब जनता को भुखमरी से बचाने के लिये मास्टर प्लान के द्वारा बाढ़ को रोकने के प्रयास किये जायं। वहां की जनता के जीवन-यापन के लिये, गरीबी घटाने के लिये यह आवश्यक है। जिस प्रकार पूर्वांचल विकास की बात कही थी जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार ने संयुक्त रूप से यह कहा था कि पूर्वांचल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाने का काम किया जायगा।

मुझे दुःख है कि कुछ मंत्री और मुख्य मंत्री जो उस समय वर्तमान थे, उनके बीच कुछ आपसी मनमुटाव के कारण कि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां होगी, एक छोटा सा काम भी नहीं किया जा सका। कोई उद्योग भी लगाने का काम नहीं कर सके। 30–35 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये हैं लेकिन आज भी वहां के लोग अपने को लाचार पा रहे हैं। इनका कहना है कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दीं, इतने काम किये, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी जैसा जीवन काट रहे हैं। हम जो गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उससे हमें छुटकारा कब मिलेगा हमारे बच्चे गरीबी के कारण पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, उससे हमें छुटकारा कब मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। इस बात की भी मांग की गयी है कि न हो तो पूर्वांचल को एक अलग प्रदेश ही बना दिया जाय।

जब से देश आजाद हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया गया है और पूर्वांचल का शोषण किया गया है। मेरी मांग है कि पूर्वांचल में कल-कारखाने लगाये जायं, बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की जाय, पूर्वांचल को बाढ़ से बचाने के लिये, बरबादी से बचाने के लिये, किसानों की फसल को बचाने के लिये और बाढ़ को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान योजना बनायें जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके। आप अगर देखें तो पायेंगे कि जितने भी कल-कारखाने लगाये गये हैं, पश्चिम के जिलों में ही हैं और पूर्व में आज तक उद्योग के नाम पर चीनी मिलें चल रही हैं। वह भी किसानों का शोषण करने का काम करती हैं। इसलिये मांग करता हूं कि निश्चित रूप से सदन का यह मत है कि आप सरकार पर दबाव डालें कि पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास आयोग गठित करें और जो वहां की परिस्थितियों को देखकर यह खोज करे कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वहां का विकास हो सकता है।

पूर्वांचल के लोगों ने देश की आजादी से लेकर लोकतन्त्र को बचाने का काम दूसरी क्रांति में किया था किन्तु उसके बावजूद आज तक वहां के विकास के लिये कोई काम नहीं किया गया है। वहां महान विभूतियां जैसे मंगल देव पाण्डेय, लोकनायक जय प्रकाश नारायण आदि पैदा हुई हैं जिन्होंने आजादी से लेकर देश के तमाम विकास कार्यों को करने का काम किया है लेकिन दुर्भाग्य इस देश और पूर्वांचल का है कि वहां के लोगों को रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इसलिये सरकार को वहां के विकास के लिये काम करना चाहिए जिससे वहां के लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और जब तक पूर्वांचल विकास आयोग का गठन नहीं होगा तब तक इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। सरकारें आती और चली जाती हैं और आश्वासन दे देती हैं कि पूर्वान्चल का विकास करेंगे, वहां शिक्षा, रोजगार देने का काम करेंगे लेकिन आज तक वहां के लिये कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और न मास्टर प्लान ही बनाया गया है जिससे वहां का विकास हो सके। इसलिये निवेदन है कि पूर्वांचल

विकास आयोग का गठन इसी सदन के उठने तक मुख्य मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि वहां की बेबसी, गरीबी और तबाही को नहीं देखा जा रहा है। वहां के लोगों का रहन-सहन कैसा है, उनको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की फसल क्यों नष्ट हो रही है, उनके बच्चों को शिक्षा देने में क्यों कठिनाई हो रही है, इन सब बातों पर विचार करने के लिए आयोग का गठन किया जाय और वहां कल-कारखाने लगाये जायं जिससे वहां के लोग जो प्रदेश के बाहर जाकर गंदी बस्तियों में रहते हैं और प्रदेश से बाहर ही नहीं बल्कि विदेशों में जाते हैं वह वहां न नायं और अपने यहां पूर्वांचल में आकर रहें और उनको वहां जीवन-यापन करने का मौका मिले। वहां सिवाय कृषि के कुछ नहीं है। जो कृषि मंत्री रहे हैं पहले और अब भी वह उसी जिले के हैं, इसलिए निवेदन है कि कृषि मंत्री जी पूर्वान्चल के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए निश्चित रूप से कोई ठोस कार्यक्रम वहां के लोगों की उन्नति के लिए बनायेंगे जैसे फर्टीलाइजर कारखाना लगाने का काम और बड़े-बड़े उद्योग वहां लगाने की कोशिश करेंगे।

मान्यवर, यह मजाक है कि हिन्दुस्तान की जनता अपनी आय बढ़ाने के काम कर रही है लेकिन पूर्वान्चल के लोग दूसरे देशों में जाने का काम करते हैं। वह अपने प्रदेश से बाहर दूसरे देशों में अपनी गरीबी मिटाने का काम करते हैं और अपनी बेइज्जती कराते हैं और उनको अपने परिवार के लोगों की चिन्ता नहीं है। वह सोचता है कि वहां काम नहीं करेगा तो उसके बच्चे भूखों मर जायेंगे। हमारे परिवार के लोगों को कपड़ा नहीं मिले शादी ब्याह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निश्चित मत है कि पूर्वांचल की गरीबी और बेबसी और शिक्षा को देखते हुए पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास आयोग का गठन आज इस सदन के उठने तक किया जाय।

श्री दूधनाथ राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प पर विचार रखने का मुझे आपने मौका दिया इसलिए मैं आपका आभारी हूं। एक संकल्प आया है माननीय श्री नन्द किशोर जी का पूर्वांचल के विकास आयोग के गठन के बारे में। इस सम्बन्ध में कुछ तर्क पूर्ण बातें माननीय सदस्यों के सामने मैं रखना चाहता हूं। जब हम इस प्रदेश को देखते हैं, और पश्चिम को देखते हैं तथा पूरब को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में काम करने की दिशा दूसरी है और पूरब में काम करने की किस्म दूसरी। पश्चिम के लोग हमारे पूरब के लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम के लोगों की खुशहाली का कारण वहां के रहने वालों की कर्मठता और अपने काम को अपने से करने क्षमता से है। वह अपने खेत में स्वयं काम करते हैं। पूरब में इससे भिन्नता है। पूरब का आदमी काम नहीं करना चाहता, वह मेड़ पर बैठकर दूसरों से काम कराना चाहता है। इसलिए पश्चिम के लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वह अपने पौरुष और बल से खुशहाल है। मैं पूरब के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह इसकी नकल करें। मैं पूरब के विकास आयोग के गठन की ताइद करता हूं और समर्थन करता हूं। कुछ तर्क भी देना चाहता हूं।

हमारे पूरब के 15-17 जिलों में सिवाय खेती के अलावा उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के सामने है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर खेतों में काम करके अपना श्रम बेचकर अपने परिवार तथा बच्चों को पालते हैं। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या बच्चों तथा परिवार को पालने की है। मैं कहना चाहूंगा उसके बच्चे भूखों मरते हैं और उपवास करते हैं जिन दिनों बड़े भूमि वालों और जमींदार के पास काम नहीं रहता है। आप भूम्हीन खेतिहर मजदूरों के घर जाकर देखें उसके बच्चे हफ्तों-हफ्तों उपवास करते हैं। उनको एक टुकड़ा रोटी के लिए चिल्लाना पड़ता है। मैं कहना चाहूंगा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की जो समस्यायें है पूर्वांचल में उस पर इस सदन में हम सब को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए

[श्री दूध नाथ राजभर]

यह संकल्प जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है मैं तो कहना चाहता हूं आयोग का गठन हो, और मैं उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि पूर्वान्चल के विकास की योजना बने और किस तरह से छोटे-छोटे कल कारखाने और उद्योग लगाये जायें इसकी पूरी रूप रेखा आयोग 6 महीने के अन्दर बनाये । पूर्वान्चल के विकास के लिये उसके सर्वांगीण उत्थान के लिए योजना तैयार करें। निश्चित समय के अन्दर एक या डेढ़ साल के अन्दर पूरी योजना का प्ररूप तैयार करके उस पर अमल करना चाहिये ।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वान्चल का एक इतिहास है । अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई में पूरब के लोगों ने एक इतिहास कायम किया है । आजमगढ़ में एक अनजान शहीद नाम का एक स्थान है जहां पर पता नहीं कितने लोग भारत माता को आजाद कराने में शहीद हो गये, कुर्बान हो गये । इसी तरह से बलिया को बागी बलिया कहा जाता है । गाजीपुर का और बनारस का भी एक इतिहास है । मिर्जापुर की भी एक अलग कहानी है, तो सारा का सारा योगदान हमारी आजादी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के लोगों की रोजी, कपड़ा, मकान की समस्या का समाधान होना चाहिए और उन्हें उनका जायज हक मिलना चाहिए। पूरब के लोगों के सामने जो दिक्कतें हैं, वहां पर बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगार युवक वहां बढ़ते जा रहे हैं । जब हम अपने जनपद आजमगढ़ और अपने क्षेत्र मुबारकपुर में जाते हैं तो एम0एस-सी0, एम0ए0, बी0ए0, बी0एड0 पास किये और टैक्निकल डिग्री लिये, डिप्लोमा की लम्बी लम्बी फाइलें अपनी कांख में दबाये बेरोजगार युवक हमारे पीछे हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हमको फोर्थ क्लास की ही नौकरी दिलवा दीजिये । हमारा पेट नहीं चलता है, हम घर के लिये भार हैं । समाज के लिये भार हैं । वह समाज में कलंक बने हुये हैं और सड़क के मजनू बने हुए हैं। तो इस तरह की समस्या पूर्वांचल के लोगों के सामने है। मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्य भाई नंद किशोर जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने रखा है जो पूर्वान्चल की खुशहाली के लिये, पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास के लिए है। प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूर के विकास के लिये, समाज के कमजोर वर्गों के जो लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम सारे के सारे लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और वचनबद्ध हैं, उनकी तरक्की और उनको आत्मनिर्भर बनाने के पक्ष में हम हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो संकल्प है इसको सर्वसम्मति से पास करके, वहां विकास के कार्यक्रम लागू करके विकास की दिशा में हमारी सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं और अपनी सरकार से जोरदार सिफारिश करके कहना चाहूंगा कि पूर्वान्चल के विकास के लिये आज बड़ी आवश्यकता है, पूर्वान्चल के विकास के लिए आयोग का गठन किया जाय और इस सदन में गठन करने की तत्काल घोषणा की जाय इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, कोरम का अभाव है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक से 2 बजे के बीच में कोरम का प्रश्न उठाने की परम्परा नहीं है ।

श्री रामधनी–

मान्यवर, पूर्वान्चल विकास आयोग के गठन के बारे में इस संकल्प पर आपने बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। **माननीय अधिष्ठाता** जी, पूर्वान्चल ने चाहे वह 1857 की लड़ाई रही हो या 1942 का जन आंदोलन रहा हो, सारे आंदोलनों में गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और बनारस का बहुत बड़ा हिस्सा

रहा है । लेकिन गाजीपुर हर तरह से दबाया गया, हर तरह से सताया गया है और हर तरह से विकास के कार्यों को अवरुद्ध किया गया है । ऐसी स्थिति में भाई नन्द किशोर सिंह ने जो आयोग के गठन करने का संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उनको बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आयोग के गठन की मांग की । मान्यवर, अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस की हुकूमत आयी और उस जमाने में भी पूर्वान्चल की बहुत अवहेलना हुई, पूर्वान्चल के साथ हमने देखा कि सौतेले बेटे की हैसियत से व्यवहार किया गया । तो ऐसी स्थिति में पूर्वान्चल के लिये एक विकास आयोग गठित करने की बहुत ही आवश्यकता है । इस सिलसिले में मुझे याद है कि पार्लियामेन्ट के माननीय सदस्य, स्व0 विश्वनाथ सिंह गहमरी ने यह बात उठायी थी कि गाजीपुर जनपद के सम्बन्ध में कि वहां बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत पिछड़ा इलाका है । वहां के लोग एक गोबरहा होता है, उसमें से निकाल कर अनाज को खाते हैं और दूसरी बात यह कि मंगल देव विशारद हालांकि वह रहने वाले आजमगढ़ के थे, लेकिन उन्होंने पूर्वी जिलों का दौरा करके विशेषरूप से छानबीन की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्वान्चल में जितनी गरीबी है, उतनी शायद ही हिन्दुस्तान के किसी कोने में हो, वहां के लोग हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं । न वहां पर्याप्त खेती है, न ही उसके साधन हैं, न सिंचाई साधन है, न कोई उद्योग धन्धे हैं और न ही वहां कोई डिग्री कालेज है।

इसी तरह से मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी के जमाने में श्री छेदी लाल साथी जी ने भी पूर्वांचल के कोने-कोने में जाकर देखा, वहां की हालत देखी तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब है, वहां के उत्थान के लिए समुचित और विकास के लिए आवश्यक है कि वहां एक आयोग का गठन हो । उन्होंने भी इस बात को महसूस किया । तो मान्यवर, इन लोगों की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए स्व0 विश्वनाथ सिंह गहमरी ने किया, मंगलदेव विशारद तथा श्री छेदी लाल साथी जी ने किया, तत्काल इस पर विचार करें और पूर्वान्चल के विकास के लिए एक आयोग गठित करने के लिए अपनी घोषणा करें क्योंकि आज इसकी बहुत आवश्यकता है । पूरा हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही यह सबसे ज्यादा पिछड़े इलाके हैं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूं इसलिए वहां की हर छोटी-बड़ी बात को जानता हूं । जनपद गाजीपुर में चकबन्दी का काम सबसे पहले शुरु हुआ । एक-एक आदमी अपने कब्जे में 5-5 चक अपने हाथ में लिये हुए है । इसके अलावा हमारे यहां दो नहरें निकली हैं । देवकली और शारदा सहायक नहर । जिनके कारण वहां रास्ता भी नहीं रह गया है, आवागमन के लिए सड़क भी पर्याप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में आपसे मांग करता हूं कि सैदपुर में दुबारा चकबन्दी कराने की कृपा करें। सैदपुर मान्यवर, गाजीपुर की सबसे बड़ी तहसील है और मान्यवर देश के आजाद हुये लगभग 33 साल हो गये, आज तक वहां एक डिग्री कालेज तक नहीं खुल सका और जब कि पश्चिम में जगह-जगह स्कूल और कालेजेज खुल गये हैं, डिग्री कालेजेज खुल गये हैं, लेकिन हमारी तहसील सैदपुर इस व्यवस्था से वंचित है । इसलिए मननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अविलम्ब हमारे यहां सैदपुर में एक डिग्री कालेज की व्यवस्था कराने की कृपा करें। अगर हमारे यहां टाउन एरिया होता और अन्त में पुनः पूर्वांचल के विकास के लिए आयोग के गठन के सम्बन्ध में जो माननीय नन्द किशोर जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उस पर विचार करने का कष्ट करें, धन्यवाद ।

*डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सदस्य, श्री नन्द किशोर जी ने जो पूर्वांचल विकास के संबंध में अपना जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर बृज किशोर मिश्र]

मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, सदियां व्यतीत होने के बाद, आजादी की कुर्बानी इस देश ने दिया, यह सत्य है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वान्चल का जो सहयोग रहा है, वह अवर्णीय है। मान्यवर, व्यवस्थायें तो बनती हैं और बन कर बिगड़ जाती हैं, लेकिन देखने के बाद एसा प्रतीत होता है इस उत्तर प्रदेश में ही जो स्थिति चण्डीगढ़ की है, जो स्थिति हरियाणा की है उसको देखने से एसा लगता है कि वहां का गरीब भी काफी खुशहाल है और प्रसन्नचित दिखायी देता है। दूसरी तरफ आप देखें देवरिया, बस्ती को, गोरखपुर को, तो एसा लगता है कि उन कुर्बानी देने वाले लोगों की यह भूमि नहीं है। और यदि है तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। लेकिन मान्यवर, इतिहास इस बात का साक्षी है कि पूर्वान्चल के लोगों ने इस देश को बनाने में अपनी जो कुर्बानी दी है, अपनी भूमिका का जो निर्वाह किया है, इतिहास उसको कभी नहीं भुला सकता है। किसी परिस्थिति विशेष में आप चाहे उसको भूल जाय लेकिन मैं तो माननीय नन्द किशोर सिंह द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसकी सराहना करता हूं कि उन्होंने पूर्वान्चल की समस्याओं के निराकरण के लिए इस माननीय सदन में इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करके बहुत अच्छा काम किया है।

मान्यवर, देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू भेष में रहेंगे, पर याद उसी की करेंगे। मान्यवर, जब पूरब की तरफ आप चलते हैं तो आजादी के 30 साल व्यतीत होने के बावजूद भी जो देखने को मिलता है उससे एसा लगता है कि विकास की दृष्टि से हम अभी बहुत पीछे हैं। राजनैतिक आजादी पूरब के लोगों को मिली लेकिन आर्थिक आजादी में वहां के लोग बहुत पीछे हैं। उस आर्थिक आजादी की उन्नति के लिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर पूर्वान्चल की तरक्की करनी है तो पूर्वान्चल के गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये उनको ऊपर उठाने के लिए, उनकी तकदीर का यदि फैसला करना है तो निश्चित रूप से आपको प्रदेश के पूर्वान्चल के विकास हेतु पूर्वान्चल विकास आयोग को गठित करना चाहिये।

देवरिया के दूधी, पडरौना, सेवरही यह सब एसे स्थान हैं जहां मान्यवर लाखों टन कटहल, लहसुन और धनियां पैदा होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण वह बिना पैसे के बिक जाता है। उसी कटहल को लोग मेरठ में ले जाकर 14 रुपये, 20 रुपये और 30-30 रुपयों में बेचते हैं और वही कटहल जिसके लिये आज कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है, किसान साल भर उस कटहल पर मेहनत करता है और व्यापारी उसे 8 आने के हिसाब से उसी कटहल को खरीद कर ले जाते हैं और दूसरे जिलों में कई गुने दाम पर उसे बेचते हैं और लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं। तो मान्यवर, कोई न कोई व्यवस्था देवरिया जनपद के लिये होनी चाहिए, कटहल के लिये कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लहसुन के लिये और धनियां की बिक्री के लिए सरकार को कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए, इसके लिये कोई सैल्यूशन आप अवश्य सोचें।

देवरिया जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें जरूर हैं। उद्योग के नाम पर देवरिया जनपद में जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है लेकिन तरक्की के नाम यदि कोई प्रश्न आता है, तो इन 14 चीनी मिलों की मिसाल दे दी जाती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीनी मिलों से देवरिया जनपद की गरीबी कभी दूर नहीं होगी। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि तमाम जिलों को बैकवर्ड के नाम से घोषित किया गया लेकिन जिस जनपद में 85 प्रतिशत गरीब और मजदूर निवास करते हैं, उस जिले को कैसे बैकवर्ड घोषित

करने से वंचित रखा गया है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से जहां पर गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा है, आप तो गरीबों के हमदर्द हैं, तो आप भारत सरकार से देवरिया जो पूर्वान्चल का पिछड़ा इलाका है, देवरिया पूर्ण-रूपेण निहायत गरीब है और उसका कुछ आपको इलाज करना चाहिए। हमारे सम्मानित सदस्य बोल रहे थे और जय प्रकाश बाबू का गुणगान कर रहे थे। यह कहा गया कि यहां पर एक यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक यूनिवर्सिटी बने। किसी के भी नाम पर बने लेकिन कम से कम जय प्रकाश नारायण के नाम पर न बने। वह विवाद का घर बन जायेगा। उनके नाम पर पूरे देश को लड़ाया गया लिहाजा उनके नाम पर यूनिवर्सिटी न बने चाहे और किसी के भी नाम पर बने। मैं मंत्री जी से एक अनुरोध यह भी करूंगा कि देवरिया में एक पालिटेक्निक इंटीट्यूट खोली जाय क्योंकि वहां के लड़के गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद तथा बस्ती जाते हैं। जुलाई से देवरिया में एक पोलि-टेक्निक निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। पूर्वान्चल निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई साल्यूशन निकालें जिससे उसका विकास हो सके। इससे आपका नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के लिये इस आयोग के गठन की आवश्यकता न पड़ती अगर यहां बैठे हुए लोगों ने जिनके हाथ में प्रशासन था उन्होंने अगर पूर्वान्चल की ओर बराबर ध्यान रखा होता। ऐसा किया होता तो शायद इस संकल्प की आज आवश्यकता न पड़ती। पूर्वान्चल के विषय में क्रान्तिकारी बातें कही जाती रही हैं चाहे आजादी का मामला रहा हो, देश के पुनोंत्थान का मामला रहा हो, चाहे धार्मिक मामला रहा हो सारे मामलों में पूर्वी जिलों के लोगों ने अपार तथा अटूट योगदान दिया है। भगवान राम की जन्म स्थली फैजाबाद हो, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली बस्ती हो, चाहे मंगल देव पाण्डेय और चित्तु पाण्डेय की जन्मभूमि बलिया हो ये सब पूर्वान्चल के ही भाग हैं जहां पर ऐसी महान विभूतियों ने जन्म लेकर दुनिया को रास्ता दिखाया। जहां के लोगों ने मारिशस की आबादी और जमैका की आबादी में योगदान दिया लेकिन आज जब शासन से सुधार की बात की जा रही है, विकास का ढांचा तैयार किया जा रहा है तो हमारे पूर्वी प्रदेश को छोड़ दिया जाता है। इस सदन में हमारी संख्या 160 के लगभग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से चुनकर आये हैं। मैं इन 160 सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया है कि इस विषमता को मिटाया जाय। अगर इसको मिटाने के लिये हम सब लोग कमर कसकर तैयार हो जायेंगे तो फिर मंत्री जी को विवश होकर हमारा विकास करना ही होगा। पर्वतीय क्षेत्र का विकास आयोग गठित हो गया उसी तरह से पूर्वांचल प्रदेश का विकास आयोग गठित होना चाहिए। मैं दो-तीन विषयों (Subject)को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा जो विद्युतीकरण वहां पर है उसका मुकाबला पश्चिमी प्रदेश से किया जाय तो आपको ज्ञात होगा कि पश्चिम में जहां 44.64 गांवों का विद्युतीकरण हो गया वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल 29.95 का विद्युतीकरण हुआ है। इसके अलावा पश्चिम के गांवों में जितनी बिजली की खपत होती है उतनी बिजली की खपत पूर्व में एक न्याय पंचायत में नहीं हो पाती है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे पूर्वी सम्भाग में जूनियर हाई स्कूल खोलने में भेद बरता गया। ये आंकड़े कुछ हैं, जो छठी पंचवर्षीय योजना में हैं। 1977-78 के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में एक लाख की जन-संख्या पर 139.75 स्कूल प्राइमरी खोले और पूर्वी सम्भाग में 61.47। हमारी जनसंख्या ज्यादा, लोग ज्यादा फिर भी शिक्षा के मामले में पीछे। क्योंकि नियोजित ढंग से, प्लान्ड वे में कोई आयोग रहा होता, योजना बनी होती और उसके तहत हमारे

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय]

यहां विद्यालय खोले जाते तो उसी अनुपात में हम को इतना पीछे न छोड़ा जाता। जूनियर हाई स्कूल एक लाख की संख्या पर पर्वतीय क्षेत्र में 22.80 और हमारे यहां 9.99 है।

चिकित्सालय के मामले में, सबसे ज्यादा, पूरब के लोग गरीब हैं, गरीबी के फल-स्वरूप, निर्धनता के कारण, जिसका पेट नहीं भरता, स्वाभाविक रूप से उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, लेकिन हमारे यहां बहुत कम व्यवस्था की गयी है। एक लाख की जनसंख्या पर पर्वत में 130.04 बेड और हमारे यहां 15 जिलों में 42.49 बेड के बनाये गये अस्पताल हैं। बिजली के मामले में, उद्योगों के मामले में पश्चिमी सम्भाग से पूरब को कम दिया जा रहा है। इसलिये नहीं कि हम उपयोग नहीं करते, कमजोर हैं, निर्बल हैं। हमारे यहां कोई योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं चलाया जाता जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। पश्चिम में एक हेक्टेयर सिंचाई के लिए कृषि कार्यों में 135.8 यूनिट और हमारे यहां 84.8 यूनिट बिजली दी जाती है। इन सबके कारण उद्योग धन्धे नहीं चलते, नये नहीं कोई लगाना चाहता। अगर पश्चिम के लोगों की तरह यहां भी सारे साधन सुलभ करा दिये जायें तो पश्चिम के लोग ही नहीं और देश के लोग आकर उद्योग बैठा सकते हैं लेकिन, चाहे इधर का शासन रहा हो या उधर के बैठने वालों का, समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, उत्पादन क्या होता है। हमारे यहां, पश्चिमी सम्भाग में 47 के0जी0 खाद उपयोग जब करते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट कृषि में 31 सौ रुपये होते हैं और हमारे यहां 41 के0जी0 प्रयोग करते हैं और उत्पादन 16 सौ के करीब होता है। इतना फर्क क्यों होता है? 15 सौ रुपये का फर्क। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पहाड़ तोड़ कर, पश्चिमी भाग में खेतों में जाकर काम करते हैं। पंजाब और हरियाणा के खेतों में काम करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं। कोई ऐसा काम जिसका उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। आज मान्यवर, आवश्यकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की, ऊंचा उठाने की मैंने 3-4 आंकड़े दिये। यही नहीं आप देखे होंगे, कहीं भी चले जायें, मेरा आप से दावा है कानपुर में चले जायें, आप जानते होंगे, किसी रिक्शे पर बैठ लीजिए उससे पूछे तो दसवां रिक्शा चलाने वाला आपसे यही कहेगा रायबरेली, प्रतापगढ़, बहराइच, गोंडा, बस्ती का ही है। इस तरह से जो हमारे यहां जो समस्यायें हैं, बेरोजगारी की समस्या है, उसके जो आंकड़े हैं, उसमें भी हम ज्यादा बढ़े हुए हैं, हम ज्यादा बेरोजगार हैं जब कि हमारे यहां तमाम ऐसे नवजवान, तमाम ऐसे पुरुष हैं जो परिश्रम करके पश्चिम के मुकाबले में अधिक से अधिक श्रम करके उत्पादन कर सकते हैं तो मान्यवर, मैं आके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों को जिनके बल बूते पर यहां की सरकार चला करती है, हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया है कि उसके विकास के लिए, जहां हम संविधान के प्रति, सदन की गरिमा के प्रति उत्तरदायी हैं वहीं मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस आयोग को गठित कराकर योजनाबद्ध तरीके से उसके जीवनयापन में विकास करवाने का प्रयास करें।

श्री दीनानाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर, जो माननीय नन्द किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके सम्मुख इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे पूर्वांचल के विकास के लिए। मान्यवर, जो वहां की समस्यायें हैं उनका निराकरण करना परम आवश्यक है। पहली समस्या वहां बाढ़ की है। जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे तो एक जलकुंडी योजना बनाई गई थी, उस योजना के तहत जिन नदियों की बाढ़ की विभीषिका से बहुत पानी नष्ट होता था उससे बिजली बनाने की योजना बनायी गयी थी और जो बाढ़ का पानी वेस्ट होता था उससे रबी को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था, यह उद्देश्य था जलकुंडी योजना का लेकिन वह कार्य रूप में परिणित नहीं हुई जिसका

परिणाम यह हुआ कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बाढ़ की विभीषिका की चपेट में हर साल आ ही जाते हैं। सरकार बांधों पर करोड़ों रुपये हर साल खर्च करती है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये सर्वप्रथम बाढ़ की समस्या का निराकरण किया जाय। जो तमाम पानी बरबाद हो जाता है, उस पानी से विद्युत तैयार कर सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य, पाण्डेय जी ने बताया कि पश्चिम के जिलों का विद्युतीकरण ज्यादा हुआ है, पूर्वांचल का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसमें मेरा मतभेद नहीं है कि पश्चिम का क्यों ज्यादा हुआ लेकिन पूरब का भी विद्युतीकरण होना चाहिए। मान्यवर, तब तक पूर्वांचल का विकास नहीं किया जा सकेगा, जब तक वहां पुलों का जाल नहीं बिछाया जायगा तब तक बड़े-बड़े उद्योग पूरब में नहीं लगाये जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि पूर्वांचल के विकास के लिए किन जिलों में कौन-कौन कच्चे माल का ज्यादा उत्पादन होता है और कौन-कौन इन्डस्ट्रीज लगायी जा सकती हैं, इसके लिए जब तक पूर्वांचल विकास आयोग नहीं बनेगा तब तक पूर्वांचल की ठीक जानकारी नहीं हो सकती और तब तक तरक्की नहीं हो सकती है। मान्यवर, मेरे मत में पूर्वांचल में जनसंख्या ज्यादा है और अपनी जीविका का निर्वाह वह कृषि से करते हैं। पूरब पश्चिम की बात पर माननीय चौधरी चरण सिंह ने उसे भूखंड की संज्ञा प्रदान किया है।

मान्यवर, अगर पूरब पश्चिम का बंटवारा किया जाय, (मैं बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं) तो पूरब के पक्ष में कुछ नहीं मिलना है। अगर कभी यह दुर्भाग्य आये भी तो पूरब को मिलने वाला कुछ नहीं है। पूर्वांचल के विकास के लिए बड़े-बड़े उद्योगों का लगाया जाना परम आवश्यक है। विकास के नाम पर गोरखपुर में केवल एक फर्टीलाइजर फैक्टरी के अलावा पूर्वान्चल में कुछ नहीं लगा। अभी बस्ती जिले को उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के विकास करने के लिये चुना गया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि बस्ती जिले के औद्योगीकरण के लिए बाहर से उद्यमियों को वहां भेजा जाय और उन क्षेत्र में जहां शुगर इण्डस्ट्री लगायी जा सकती है या कताई-बुनाई मिल लगायी जा सकती है, और भी इस प्रकार की इण्डस्ट्री लगायी जा सकती है, वहां पर लगायी जायं। इस तरह पटले कमीशन के अन्तर्गत इन चौदह जिलों का विकास होना अत्यन्त आवश्यक है और यह विकास तभी होगा जब पूर्वांचल के लिए एक निगम बनाया जायगा, निगम के जरिये वहां की समस्याओं का निराकरण होगा।

मान्यवर, हम पूर्वांचल के विकास के लिए सतर्क, प्रयत्नशील रहे लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जो भी प्रदेश का मुख्य मंत्री हुआ वह पश्चिमी जिले का हुआ। पूरब के इने गिने लोग बहुत थोड़े दिन के लिए हुए जिससे पूरब का विकास नहीं हुआ। आप जानते हैं कि गोरखपुर जिले को, बस्ती या देवरिया को मद्रास के लोग नहीं जानते हैं लेकिन चौरी चौरा नाम को तो सारे देश के लोग जानते होंगे। चौरी चौरा देश की आजादी की लड़ाई में अपना महान स्थान रखता है। जितने भी क्रान्तिकारी लोग पैदा हुए हैं पूर्वांचल में पैदा हुए हैं लेकिन आज भी पूर्वांचल को अपनी जीविका के कगार पर खड़ा रखा है, अपने पतन के कगार पर खड़ा रखा है। यदि पूर्वान्चल के विकास के लिए नहीं सोचा जायगा तो हमारा पूर्वांचल जैसा पिछड़ा है उसी प्रकार पिछड़ा रह जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि पूर्वान्चल के विकास के लिए जो बातें रखी हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करें और पूर्वान्चल विकास निगम बनाने का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, आपने मुझे पूर्वांचल के विकास के लिये आयोग गठन करने के सम्बन्ध में जो माननीय नन्द किशोर जी ने संकल्प रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अकबाल हुसैन]

इस संकल्प का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश का पूर्वांचल जो गरीबी और भुखमरी से आज भी त्रस्त है उसके संबंध में सबसे पहले देश आजाद होने के बाद हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पटेल आयोग नियुक्त किया था। मान्यवर, उनके दिल में पूर्वांचल के लोगों के लिये हमदर्दी थी और उन्होंने देखा था कि यह पूर्वांचल हमारे देश का, हमारे प्रदेश का कितना पिछड़ा हुआ भाग है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में 17 जिले आते हैं, गोण्डा, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर, बहराइच इत्यादि। ये आज भी पिछड़े हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि गोण्डा जनपद प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 36वें नम्बर पर आता है। आपका बचपन और विद्यार्थी जीवन गोण्डा जनपद में गुजरा है। गोण्डा जनपद पूर्वांचल का भली प्रकार से पिछड़ा हुआ जनपद है। आप जानते हैं कि हमारे पूर्वांचल में 416 व्यक्तियों के ऊपर एक ग्रेजुएट है। इसी प्रकार 250 आदमियों के ऊपर केवल एक हाई स्कूल पास लड़का मिलता है। इससे विदित हो जाता है कि हमारा पूर्वांचल शिक्षा के क्षेत्र में कितना पीछे है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक लाख की जनसंख्या पर 56 किलोमीटर सड़कें हैं। हमारे प्रदेश में एक लाख की जनसंख्या पर 26 किलोमीटर सड़क हैं और पूर्वांचल में एक लाख की जनसंख्या पर केवल 13 किलोमीटर की सड़कें आती हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी वह बहुत पिछड़ा हुआ है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये योजनायें बनायी गयीं। इसी के साथ-साथ मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूं। मान्यवर, वहां पर जब भी कोई बड़े उद्योग लगाने की बात कही गई तो उसको वहां से हटाकर अन्यत्र लगाया गया। वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का कारखाना जो कि 30 करोड़ की लागत का बनाये जाने वाला था वह पटियाला पहुंच गया। इसी तरह से एम्नेस्टी मील का कारखाना वाराणसी में लगने वाला था जो कि 65 करोड़ का था वह बंगलौर चला गया। वहां पर ट्रैक्टर का कारखाना लगने वाला था वह हरियाणा पहुंच गया। इस तरह से उस क्षेत्र में अविकसित जनपद हैं—गोण्डा, बहराइच, बस्ती और दांस घाघरा एरिया है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। उद्योग में भी यह क्षेत्र बहुत पीछे है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 40 वर्ष पूर्व गोंडा जिले में चार चीनी मिलें लगाई गई थी और आज भी वे ही मिलें वहां पर हैं।

हमारे देश को आजाद हुए 34 साल हो गये हैं लेकिन आजादी का हमारे क्षेत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के विकास के लिये यह जरूरी है कि एक आयोग का गठन किया जाय। मान्यवर, अभी जब पर्वतीय विकास का बजट पेश हुआ था तो उस समय यह देखा गया था कि हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी पर्वतीय विकास से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप यह भी देखें कि पूर्वांचल शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। उस समय हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में 6 डिग्री कालेज तथा 22 इन्टरमीडिएट कालेज खोले गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल में कितने डिग्री कालेज तथा इन्टर व हाईस्कूल सरकार ने खोले हैं। इस तरह से हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि अरबियन गल्फ कन्ट्रीज में आज भी हमारे यहां के लोग कुली का काम करते हैं। गोंडा, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया आदि जनपदों के लोग वहां पर इस तरह से काम कर रहे हैं। इन जनपदों के लोग ट्रेन की छतों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी के लिये हरियाणा आदि प्रदेशों में जाते हैं। वहां पर जनसंख्या का

घनत्व भी काफी है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत वहां पर है। वहां पर 500 से 600 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। इस दबाव के कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। इसलिये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पूर्वांचल के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

*श्री पंचानन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय नन्द किशोर सिंह जी द्वारा प्रस्तुत पूर्वांचल विकास आयोग के गठन के संबंध में लाये गये संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य नन्द किशोर सिंह जी ने इस संकल्प के माध्यम से इस सदन और सदन के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार और जनमानस का ध्यान एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित किया है। प्रदेश का पूर्वांचल किस सीमा तक पिछड़ा हुआ है इसकी कल्पना आमतौर पर उन लोगों को नहीं हो सकती जो इस प्रदेश के सचिवालय में या इस प्रदेश की पक्की सड़कों पर चलते हैं और इस प्रदेश की योजनाओं के निर्माण में उनका योगदान है। मान्यवर, प्रदेश के पूर्वांचल का कोई जिला आप ले लें न तो वहां उद्योग हैं, न वहां कोई आवागमन का साधन है और यही नहीं गांव में सिंचाई के लिए बिजली भी उपलब्ध नहीं है। तो कृषि कार्य के लिए बिजली नहीं मिल रही है, इसलिए कि वहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है। समय 2 बजे अपरान्ह बीमार होने पर दवा के लिये अस्पतालों की वहां व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शिक्षा के साधनों की कमी है और आवागमन की तो बहुत ही खराब हालत है। मान्यवर, पहले पाण्डेय जी कह रहे थे कि प्रदेश के पूर्वी जिले एक तरह से वर्ष के तीन महीने तक बाढ़ की भयंकर विभीषिका से पीड़ित रहते हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं और मैं खुद जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं, आजमगढ़ की सगड़ी तहसील, वह कम से कम आधी तहसील तीन महीने पानी में डूबी रहती है और घाघरा के किनारे के गांवों के तमाम ग्रामवासी बरसात में एक बन्धे पर रहकर अपना जीवन-यापन करते हैं। तो यह हालत है, न उनके रहने की व्यवस्था है न खाने की, न उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था है और बीमार पड़ने पर दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी साल जब मैं बाढ़ के समय में घाघरा नदी के किनारे बने बन्धे पर चल रहा था, उस समय एक आदमी के दो लड़के थे और वह दोनों लड़के एक साथ हैजे से मर गये। क्योंकि दवा के लिए 20 किलोमीटर दूरी तक अस्पताल उपलब्ध नहीं है और ग्राम चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था।

पूर्वी जिले का अपना इतिहास भी काफी गौरवपूर्ण रहा है। इसी पूर्वांचल में जन्मे हमीद और सौदागर सिंह के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कई माननीय सदस्यों ने आजादी की लड़ाई में और उसके बाद वहां के निवासियों के योगदान की चर्चा की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस देश में राजनीति को नयी दिशा देने का सवाल पैदा हुआ, तब-तब पूर्वांचल आगे रहा है और उसने आगे बढ़कर देश को दिशा निर्देश दिया है। जब सन् 77 में इस देश की जनता ने किन्हीं अफवाहों के अन्तर्गत पूरे उत्तर भारत में इन्दिरा गांधी का सफाया कर दिया था, उस समय उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जनपद ही था, जिसने पहले पहल पार्लियामेंट की सीट दिलाकर जनता के सच्चे प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेजा था और यह दिखाया था कि इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र को आपने पिछड़ा क्षेत्र माना है और उसके विकास की योजनायें बनीं और यह कहा जाता है कि हिमांचल प्रदेश का जो पूरा बजट है, उससे ज्यादा यहां के पहाड़ों के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन]

पैसा लगाया जा रहा है। मैं उसका स्वागत करता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है। यहां हमारे सदन में ही पहले एक प्रस्ताव हुआ था, कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास निगम की स्थापना की जाये और इसी सदन में स्वीकार हुआ है। तो जब सरकार का ऐसा ख्याल है कि पूर्वांचल को गरीबी की लड़ाई लड़ने के लिये, पूर्वांचल के विकास के लिए यह आवश्यक है तो मेरा निवेदन है कि पूर्वांचल के समुचित विकास पर ध्यान दिलाने के लिए पूर्वांचल विकास परिषद् का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि योजनाबद्ध तरीके से उसका विकास हो सके। पहले भी पूर्वी जिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये पटेल आयोग बना था। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रथम प्रधान मंत्री स्व0 पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को अनुभव किया था कि पूर्वी जिले अत्यधिक पिछड़े हुए हैं सभी दृष्टियों से और जब स्वर्गीय विश्वनाथ गाहमरी ने इसके लिए आवाज उठायी थी तो पंडित नेहरू ने उसको स्वीकार किया था और उसके फलस्वरूप उन्होंने उस पटेल आयोग का निर्माण किया था। कुछ संस्तुतियां लागू हुई हैं लेकिन अधिकांश का कार्यान्वयन हो नहीं हुआ है। अन्यथा हम आज कुछ न कुछ प्रगति के रास्ते पर खड़े होते। तो विकास के लिए आयोग या किसी न किसी मंच का गठन होना चाहिए जो कि पूर्वांचल के विकास के लिये योजनायें बनाये और मेरा सुझाव यह भी है कि जो भी विकास की योजनाओं का प्रारूप तैयार हो, उस पर अमल होना चाहिए। कुछ दिन पूर्व एक पटेल आयोग आया, उससे उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में बड़ा भरोसा हुआ कि इसकी संस्तुतियों के द्वारा पूर्वांचल का विकास होगा लेकिन उन संस्तुतियों को लागू ही नहीं किया गया। इसलिए मेरा कहना यह है कि आयोग जो बने उसकी संस्तुतियों को लागू करने के लिए सरकार को कटि-बद्ध होकर आगे आना चाहिए। इस देश के मजदूरों ने, किसानों ने और गरीबों ने ही इंदिरा को सत्ता में लाने का काम किया है। अभी एक सदस्य चर्चा कर रहे थे कि अगर आप बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में चले जायें और देखें तो वहां पर जो फिजिकल लेबर होती है, श्रमिक कार्य करने वाले होते हैं, वे सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं तो आज उन्हें अपने घर पर रहकर श्रम करने की कोई सुविधा नहीं है क्योंकि न वहां पर कोई कल कारखाने हैं और न वहां पर खेती के समुचित अवसर उपलब्ध हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि प्रदेश के किसी भाग या देश के किसी भाग में चले जायं तो आपको श्रम का काम करने वाले पूर्वी अंचल के ही आदमी मिलेंगे। तो इस समस्या को नजर अन्दाज नहीं किया जाना चाहिये। जो असंतोष पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है वह गम्भीर समस्या पैदा कर देगा। इसलिए वहां के विकास की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाय और वहां के लिए एक आयोग बनाया जाय?

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो पूर्वान्चल के विकास हेतु पूर्वान्चल विकास आयोग गठित करने के संकल्प पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वैसे तो देश में अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारा प्रदेश काफी गरीब है लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी अंचल तो और भी गरीब है। यहां के निवासी पश्चिमी जिलों में जाकर चीनी मिलों में मजदूरी करते हैं। अगर आप कलकत्ता या अन्य बड़े-बड़े नगरों में जाकर स्टेशन पर कुली से कहें कि तुम किस जिले के रहने वाले हो तो वे आजमगढ़, देवरिया और बस्ती का ही नाम लेंगे। अगर आप बम्बई जायं और वहां पर किसी मूंगफली या केला बेचने वाले से पूछें कि कहां के निवासी हैं तो वे कहेंगे कि वे जौनपुर या प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोग मजदूरी और गारे माटी का काम

करके ही अपनी रोजी-रोटी चला रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे लोग 2-2 वर्ष बाहर विदेश रहकर कुछ आमदनी करके वहां से रुपया लाकर अपने बाल बच्चों की परवरिश करते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर और बलिया हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और उसके बचने के लिए जो भी योजनायें पेश की गयी हैं, उनको अभी तक चालू नहीं किया गया है। करनाली पंचनेश्वर, भालू बांध और जलकुन्डी की योजनाओं को चालू नहीं किया गया है जिसके कारण पूर्वी जिले बाढ़ से हर साल डूबा करते हैं। आज वहां पर जो छोटे किसान हैं वे गरीब होते जा रहे हैं, भूमिहीन होते जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या बढ़ती जा रही है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसाधनों की और प्राकृतिक धन की भी कमी नहीं है। हमारे यहां के मिर्जापुर में कोयला बहुत पाया जाता है, मगर वह पश्चिमी जिलों को जाता है। यहां बिजली जितनी पैदा होती है उसका अधिकांश प्रतिशत पश्चिमी जिलों को दी जाती है। पत्थर भी यहीं है, जो सड़क बनाने के काम आता है बहुत काफी पाया जाता है। इसके होते हुए भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अफीम गाजीपुर में काफी होती है जिससे 5 करोड़ की आय भारत सरकार को होती है। अन्य क्षेत्रों में तो विकास के काम हुए हैं पर पूर्वी क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए हैं। हमारे यहां गन्ना भी काफी होता है और काफी गन्ने की मिलें हैं। इससे किसान ने कुछ अपनी हालत को सुधारा है, लेकिन इसके अलावा वहां पर उनके लिए कोई काम नहीं है, कोई उद्योग भारी आज तक नहीं लगाया गया। पूर्व के लोग अपना पैसा बचाकर जो बैंकों में जमा करते हैं उसका भी लाभ उन पूर्व के गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। उसका लाभ बड़े-बड़े सेठ साहूकार ही उठा पाते हैं। उस पैसे से भी उनका विकास नहीं किया जाता।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासनकाल में एक औद्योगिक विकास गोष्ठी देवरिया में हुई थी और उसमें यह निश्चय किया गया था कि पूर्वान्चल में कहां-कहां कौन-कौन से उद्योग लगाये जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उस गोष्ठी में लिये गये निर्णयों के अनुसार सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अगर यह नहीं किया जायेगा, वहां विकास के लिये ध्यान नहीं दिया जायेगा तो वहां की जनता एक दिन मजबूर होकर बगावत करेगी, बिलगाव की स्थिति पैदा हो जायेगी और ऐसा भी हो सकता है कि वहां के लोग वहां पर पैदा होने वाली किसी चीज को इधर उधर जाने न दें। वहां का कोयला, वहां पर पैदा होने वाली बिजली, यह पश्चिमी क्षेत्र में आ ही न पाये।

एक माननीय सदस्य यह प्रस्ताव लाये हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विभाग कई विभागों में वितरित किया जाये। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो वहां के लोगों को मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि हमारे यहां के संसाधनों को दूसरी जगह न भेजा जाये। इन शब्दों के साथ मैं श्री नन्द किशोर सिंह जी के आयोग गठन की मांग सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती कमला साहनी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, पूर्वान्चल हमारे उत्तर प्रदेश का दिल है। जिस तरह से हमारे शरीर में दिल बसा हुआ है, दिल बीमार होने पर सारा शरीर बीमार हो जाता है, उसी प्रकार से अगर इस पूर्वांचल वाले दिल को बीमार रखा गया तो सारा उत्तर प्रदेश ही बीमार रहेगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास किया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कमला साहनी]

हमारे उत्तर प्रदेश का भारतवर्ष में एक अपना ही स्थान है । और इस उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी जिलों का अपना विशेष स्थान है। पूर्वी जिलों की कितनी उपेक्षा हो रही है वह आज किसी से छिपी हुई नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास किये बिना उत्तर प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। आज हमारे पूर्वी क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। जिस तरह से एक मां अपने सौतेले लड़के को तो सूखी रोटी देती है और अपने बच्चों को घी की चुपड़ी हुई रोटी देती है, उसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। पश्चिमी जिलों में आप देखें कि वहां पर हर तरह की सुविधायें हैं, नलकूप हैं, बिजली है, पानी है, हर तरफ फैक्टरीज हैं, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन सभी चीजों की कमी है। आप किसी भी जगह जाइये, हम लोग जो रिक्शा से चलने वाले लोग हैं, यहां लखनऊ में रिक्शा पर जब बैठते हैं, तो उन रिक्शा चालकों से हम पूछते हैं कि कहां के रहने वाले हो, तो अक्सर जवाब मिलता है कि बस्ती के, गोरखपुर के, बलिया के रहने वाले हैं।

मैं गोवा गयी थी, एक मीटिंग के सिलसिले में, वहां पर बन्दरगाह पर मैंने मजदूरी करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि पूछें कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं। अब तो हमारे पूर्वी जिलों से लोग अरब देश को मजदूरी करने के लिए जाने लगे हैं। क्योंकि यहां पर उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए काम-धन्धा नहीं मिलता। इसलिये वे मजदूरी करने के लिये अन्यत्र जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे वहां के गांवों में खोले जायं। रा-मैटेरियल की जो बात है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बहुत मात्रा में पाया जाता है। वहां पर धान, गन्ना आदि पैदा होता है। धान से और गन्ने की खोई से भी उद्योग खोला जा सकता है।

श्रीमन्, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर उनके विकास के लिए उद्योग-धन्धों की तरफ ध्यान दिया जाय, कल-कारखाने खोले जायं। वहां के बच्चों और उनके परिवार और उस इलाके के विकास के लिए काम होना चाहिए। बीमारी तो बहुत भयभीत है। एक शेर में अर्ज करती हूं "नस्तर से लेकर हाथ में फसाद फसाद ने कहा, हर रग में है जनून लगाऊं कहां-कहां ।" श्रीमन् बीमारी और फसाद तो रग-रग में है। पहले से रोग को, जहां से बीमारी शुरू हो रही है, आपरेशन करके ठीक किया जाय। वहां पर औद्योगिक विकास किया जाय और उन लोगों की तरफ भी उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान जाय। यही मैं निवेदन करना चाहती हूं और इन बातों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं (कुबेर भंडारी का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वान्चल के संबंध में लगभग सभी ने कल से अपने विचार रखे हैं। तो अब यह आप उस संकल्प पर आप निर्णय ले लें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि पूर्वान्चल विकास आयोग की स्थापना की जाय।

***श्री कुबेर भंडारी–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, बड़े शर्म की बात है कि 34 साल आजादी के बाद हम लोग एक अलग विकास आयोग की स्थापना की मांग करते हैं। एक तरफ आप देखें कि जो आपके आस ही पास के देश आजाद हुए है, वे लोग चन्द्र लोक में जा रहे है । हम लोग मानते है कि यह सरकार सौतेली मां है। सौतेली मां न होती तो 34 साल के बाद यह संकल्प आता ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देवरिया जिले में, गोरखपुर जिले में बस्ती जिले में आप देखें तो कोई उद्योग धन्धा आपकी सरकार 34 साल के अन्दर नहीं लगवा पायी है । मेरे देवरिया जिले में 14 चीनी मिलें हैं, वे अंग्रेजों के समय से बनी हैं, आज तक यह बहरी सरकार, लकवा मार सरकार और बेशर्म सरकार, देवरिया जिले में कोई कारखाना दूसरा लगवा ही नहीं पायी । सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, देवरिया जिले में जो 14 चीनी मिल हैं, तो केन्द्र सरकार को, राज्य सरकार को कितना धन मिलता होगा । देवरिया से धन लूटें और दिल्ली का विकास करें । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह काली सरकार हम लोगों का खून चूसती है।

श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, माननीय भण्डारी जी पूर्वान्चल के स्वास्थ्य के प्रतीक हैं ।

(हंसी)

श्री कुबेर भण्डारी–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि पूर्वान्चल में उद्योग धन्धे लगावें नहीं तो आपके देश की विदेश में बहुत बदनामी हो रही है । हमारे देवरिया के लोग नेपाल में जाकर वहां की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं । आपके देश का सुन्दर धरातल है, गंगा यमुना है, पहाड़ है, लेकिन आपके यहां के लोग विदेश में जायें, यह सरकार के लिये शर्म की बात है । इनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । जनशक्ति और धरातल दो ही धन उपयोग के साधन हैं । दोनों ही के होते हुए विदेश में भटक रहे हैं, सरकार के पास कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं है । मार्ग दर्शन का अभाव है इसलिए कोई विकास नहीं कर सकते । इनको चाहिए कि यह देश के हित में सत्ता छोड़ कर भाग जायं । मंहगायी और बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर आप 100 रु0 का नोट लेकर जायं, तो कुछ आता नहीं है, अतः 1 रु0 के नोट खत्म कर दिये जायं और केवल 100 रु0 के नोट ही चलें । अब आपका पुराना 100 रु0 का नोट एक दिन भी नहीं चल पाता है। पहले रुपये का मूल्य अच्छा था, तब भी आप विकास नहीं कर पाये, काले धन्धे वाले लोगों से सांठ-गांठ किये हैं, दिल्ली में रंगरेलियां मनाने के लिये आप सारे पूर्वान्चल की सम्पत्ति को ले जाकर खर्च कर रहे हैं और बची-खुची लखनऊ में खर्च कर रहे हैं । देवरिया में आन्दोलन छिड़ने वाला है । मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन अब लाल बत्ती जल जाने के कारण समाप्त करता हूं ।

*श्री राजकुमार राय–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद । मैं तो समझ रहा था कि जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों की तरह आप भी मधुर आश्वासन देते रहेंगे और जब मेरा बोलने का अवसर आयगा तो जनता और लोकदल सरकारों की तरह चल देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं ।

मान्यवर, पूर्वान्चल के विकास की बात आती है तो सबसे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि पूर्वान्चल को समझ लिया जाय । भौगोलिक दृष्टि से गंगा, यमुना, घाघरा के कछार में बसा हुआ यह प्रदेश गौतम बुद्ध का पवित्र स्थान और सारनाथ का स्थल था, 1857 के सिपाही विद्रोह का जन्मदाता और 1942 की करो-मरो क्रान्ति का अग्रदूत रहा । हमारी स्थित पूंछ की तरह है, वैसे ही विकास के मामले में हमारी स्थित है।

यह हिन्दुस्तान के नक्शे पर उत्तर प्रदेश जिस शेर की तरह बैठा हुआ है उसमें

मान्यवर, यह क्षेत्र आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा है । पूर्वान्चल में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां 1942 में एक-एक स्थान पर 40-90 आदमी गोली से उड़ा दिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय–]

मान्यवर, यह क्षेत्र आजादी की लड़ाई में सबसे आगे रहा है। पूर्वान्चल में ऐसी-ऐसी जगहे है जहां 1942 में एक-एक स्थान पर 80-90 आदमी गोली से उड़ा दिये गये है । पूर्वान्चल के लोगों का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट तक में हुई थी । इसलिए पर्वतीय विकास निगम, तराई विकास निगम और बुन्देलखण्ड विकास निगम की तरह ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिये मांग करें तो सोचना होगा कि यह मांग पर्वतीय और बुन्देलखण्ड की तरह अनुचित तो नहीं है । मान्यवर, सिद्धान्तों की कसौटी पर इसको कस लें तो अच्छा होगा। क्या हमारे संविधान में डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी इस बात को तय नहीं करते है कि हम उन चीजों जातियों और स्थानों के विकास के लिये विशेष तौर पर कुछ करेंगे ? क्या हमारी सरकार की यह परिपाटी नहीं रही है, क्या कांग्रेस ने जब से शासन संभाला है, क्या तय नहीं किया है कि जो हम में कमजोर, पिछड़े, शोषित और असहाय है उनके लिये हम बहुत कुछ पहले करेंगे ? क्या यदि हमारे शरीर का एक अंग हल्का, कमजोर हो जाय, बीमार हो जाय, रोगग्रस्त हो जाय, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उसका क्या इलाज नहीं करेंगे, बीमारी को समाप्त करने के लिये हम कुछ विशेष तौर से करन की योजना बनाने तो गलत होगा, पाप होगा ?इसलिए मान्यवर, मै आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि इस तरह से जिस गोरखपुर के चौरीचौरा में महात्मा गांधी को, जो फैसला लेने के लिए मजबूर किया और इस देश में हिंसात्मक लड़ाई को समाप्त करके, अहिंसात्मक पथ पर चले तो ऐसे स्थान पर यदि पूर्वान्चल के विकास के लिये कुछ नहो किया गया तो वहां का व्यक्ति, वहां का किसान, मजदूर, राजनैतिक नेता मजबूर होंगे क्रान्ति के लिये ।

मान्यवर, ऐसी मागें ठुकराई नही जा सकती है क्योंकि एक-दो दिन, महीने और साल तो रोक सकते है लेकिन यह चीजें आने वाली सदियों तक नहीं रोकी जा सकती है जैसे कि हवा का रुख और पानी की धारा को कोई नहीं रोक सकता है । एक दिन आयेगा कि पूर्वान्चल में बगावत होगी जिसको कोई रोक नहीं सकता है । इसलिए मैं कहना चाहता हू कि आप देखें कि जो मारीसस, सिंगापुर, मलाया, मलेशिया आदि में पूर्वान्चल के लोग जाकर अपनी जीविकोपार्जन करते है और पंजाब, चंडीगढ़, बाम्बे, कलकत्ता आदि में देखें तो पूर्वान्चल के लोग वहां अपना सिकुड़ता हुआ पेट लिये नजर आयेंगे । पूर्वांचल के लोग जो पशु की टट्टी यानी गोबर से दाने बीनकर अपना पेट भरते है और उसको वह हजम करते है, तो यह सब पेट के लिए करते है। वह अपनी जन्म भूमि, गांव, घर और बच्चों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों और देश के बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश करते है क्योंकि पूर्वांचल में आप पर कैपिटा इन्कम कम है। वहां जनसंख्या का घनत्व विश्व में सबसे ज्यादा है। वहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और पूर्वांचल औद्योगीकरण के नाम पर शून्य, सिंचाई के साधन नहीं है, रोजगार के लिये कोई योजना नहीं है । वहां बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज हमारे सामने खड़ी है। वहां न शिक्षा की कोई व्यवस्था है न स्वास्थ्य के लिए चिन्ता है और उनका रहन-सहन का स्तर इतना नीचा होता रहा है कि मजबूर होकर हमको कहना पड़ता है आपके माध्यम से माननीय सदन में पूर्वांचल के विकास का आयोग जनता पार्टी के शाह आयोग की तरह एक खिलवाड़ नहीं रहेगा। ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर आप बहुत दिन तक चुप नहीं रहेंगे । मैं चाहूंगा जो निर्बल है पिछड़े है शोषित है, पीड़ित है उनके विकास के लिए ऊपर उठकर हमारे जो प्रबुद्ध लोग है अग्रज है, हमारी इस मजबूरी का ख्याल रखें, हमारी कमजोरी पर तरस खायें और हमारे विकास के लिए कुछ सोचने की बात करें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका आभार प्रगट करता हू ।

श्री शम्मन सिंह चौहान–

मान्यवर, कोरम नही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जायं, कोरम नही है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

श्री मित्रसेन+

यह संकल्प है, कोरम के अभाव में भी चल सकता है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री नन्द किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का अवसर दिया। पूर्वांचल विकास आयोग बनाने की जो बात श्री नन्द किशोर सिंह ने कही है इन्होंने पूर्वांचल के दुखदर्द को अष्टम विधान सभा के गठन होने के बाद उसके दुख दर्द को उजागर करने का काम किया है। जून सन् 62 में संसद में यह बात आई थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिये लोक-सभा में एक बैठक हुई, उस बैठक का परिणाम भी निकला। 3 दिसम्बर, 62 को एक समिति गठित की गयी, उस प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष अशोक मेहता थे। कमेटी का गठन हुआ उसमें 8 सदस्य रहे। वह वी0 पी0 पटेल आयोग के नाम से जाना जाता है। उस आयोग ने 13 फरवरी, 1964 को अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों का विवरण है। और उसमें मुख्य जो एकदम अविकसित है 4 जिले उनकी उन्नति के लिये रास्ते बताये गये हैं। इस रिपोर्ट पर सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पूर्वांचल के जितने सदस्य थे संसद में इस पटेल आयोग रिपोर्ट पर बहस किये उसमें मैं भी था। उसके अनुसार देवरिया के उद्योगों को लेकर एक बैठक हुई थी, 15 जिलों के विकास के कार्यक्रम के लिये। उसके आधार पर कुछ काम हुआ था किन्तु इधर सन्नाटा हो गया। पूर्वी जनपद अकाल, सूखा, बाढ़ और ओले आदि प्राकृतिक विपदाओं से परेशान रहता है। बाढ़ का तो इतना प्रकोप है कि आदमी 3 महीने कहीं नहीं जा पाता है और उनके खाने और पीने का सामान उन तक हफ्तों नहीं पहुंच पाता है क्योंकि दूर-दूर बाजार होते हैं और नावों के जरिये आना जाना होता है। तो पूर्वांचल के विकास के लिये और वहां की बाढ़ को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाना चाहिये। करीब सन् 1969 से लेकर आज तक यहां से और दिल्ली तक मैं सदस्य रहा हूं लेकिन राप्ती, घाघरा, गंडक की बाढ़ को रोकने के लिये आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि नेपाल की सरकार से बात हो रही है लेकिन आज तक कोई कारगर वार्तालाप नहीं हुआ। कभी वार्ता भंग होने की बात कहकर और कभी वार्ता चल रही है, यह कहकर वहां की बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं किया गया है और समस्या ज्यों की त्यों है।

पूर्वांचल की जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। यहां पर सड़कें बहुत कम हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूर्वांचल राजस्व नहीं देता है, राजस्व देता है, पर उस राजस्व का उपयोग पूर्वांचल का विकास करने के लिये नहीं किया गया। भारत के इतिहास में पूर्वांचल का नाम है, यहां के देश प्रेमियों ने अपनी जानें गंवायी हैं, देश के लिए अपनी जानों की कुरबानी दी है लेकिन पूर्वांचल के 15 जिलों का विकास नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा को लीजिए, स्वास्थ्य को लीजिए या सड़क लीजिए, उद्योग लीजिए, अनेक आधारों पर पूर्वांचल पूर्णरूप से अविकसित है। जहां उत्तर प्रदेश के विकास के लिये अनेक निगम बनाये गये हैं, पश्चिम का अलग है, बुन्देलखंड का अलग है, मध्य एरिया हिल एरिया के लिये अलग निगम है, तराई विकास के लिये अलग है, मैं यह नहीं कहता कि किसी का विकास न हो लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जहां का विकास रुका होता है और जो आगे बढ़े हुये हैं, जो जहां पिछड़ापन है उसको थोड़ी सी गति देकर, सुविधा देकर समानता के स्तर पर लाना होगा। मान्यवर, पूर्वांचल में गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया यह सारे जनपद बाढ़ के दिनों में डूब जाते हैं और रबी की फसल वहां पर देर से बोयी जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि वहां पर प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, वहां बहुत

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–]

दूर दूर पर अस्पताल हैं और अस्पतालों के अभाव में हमारे तरफ के होनहार लोग मौत के गाल में चले जाते हैं । शिक्षा का बहुत अभाव है । विश्वविद्यालय कम है। गोरखपर विश्वविद्यालय वहां है जिससे करीब 90 डिग्री कालेज अटैच है। दूर दूर गांवों में और कस्बों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो जब तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वहां का विकास नहीं होगा । बेकारी की समस्या प्रबल है । मैं आपके माध्यम से इस सरकार से चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अब तक जो भी विकास के नाम पर पूर्वांचल के जिलों में साधन गये हैं उनका उपयोग समाज के वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों ने किया है और गरीब हरिजन अल्पसंख्यकों तक वह साधन आज तक नहीं पहुंचे हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री शम्भू नाथ का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

मान्यवर, या तो आप मेरा जो संकल्प है उसको कल के लिये रख दीजिए, 3 बज जायेंगे तो आप मेरे संकल्प को लेंगे । जब आपने मेरा संकल्प ले लिया है तो मुझको समय मिलना चाहिए ।

श्री शम्भूनाथ–

मान्यवर, पूर्वांचल विकास आयोग को गठित करने के सम्बन्ध में जो संकल्प है उस पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*पंचायती राज मंत्री(श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय जसवंत सिंह विष्ट की जो चिंता उनके संकल्प के बारे में है, शम्भू नाथ जी के बोलने के बाद मैं क्लोजर मूव करता हूं। इसके बाद उनका संकल्प ले लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जब आपको मूव करना हो मूव कर दीजियेगा । शम्भू नाथ जी बोलें ।

*श्री शम्भू नाथ–

मान्यवर, पूर्वांचल के जिले, हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में पिछड़े हुए जिले हैं । यहां पर सड़कों, अस्पतालों, उद्योग धंधों और कल कारखानों का अभाव है । इसलिये वहां पर बेकारी है । मैंने देखा कि खलीलाबाद के हजारों नौजवान मिल में काम करके झोपड़ियों में गुजारा करते हैं, वह पुर्विया कहे जाते हैं । इसलिये पूर्वांचल विकास के लिये सड़कों का होना अतिआवश्यक है, पुलों का होना अति आवश्यक है और मिलों का होना अति आवश्यक है। हमारे नेता स्वर्गीय संजय गांधी ने पूर्वांचल विकास के लिए वहां के गांवों के विकास के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाने के लिए निर्णय माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में लिया था। उदाहरण के लिए सुल्तानपुर और रायबरेली के 12 ब्लाक इस कार्यक्रम में चलाये जा रहे थे । जहां कहीं भी कोई काम कर सकता था, वहां कार्यक्रम चलाया जा रहा था। छः लाख रुपया दिया गया था गांव के युवकों को छोटे-छोटे कार्यक्रम बनाने के लिए । लेकिन इन सारी योजनाओं को जनता शासन ने बंद कर दिया । आज यह मामला श्री नन्द किशोर जी द्वारा फिर उठाया गया, उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं वह बहुत अच्छे हैं ।

पश्चिमांचल में जो विकास हो रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन साथ ही साथ पूर्वांचल का भी विकास होना चाहिए। देश को आजाद हुए लगभग 33 साल हो गये लेकिन आज भी पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित है । जबकि आजादी की लड़ाई में इधर के जिले ही सबसे आगे रहे । इसलिये हमारा सुझाव है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे पूरे पूर्वांचल में छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जाएं, और वहां के नौजवानों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए और वहां के बने हुए माल को एक तयशुदा रेट पर खरीदा जाएं, वरना वहां आयोग गठित्त होगा और चला जायेगा, कोई विकास नहीं होगा, इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि पूर्वान्चल में एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाये जाएं। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि शाहगंज से बलिया रेलवे लाइन जो इस समय छोटी लाइन है, उसे बड़ी लाइन में बदला जाए और मान्यवर, बस्ती से खलीलाबाद होते हुए, शाहगंज, बनारस और इलाहाबाद आदि सड़कों को जोड़ा जाए, और वहां पर पड़ने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों पर पुल बनाया जाए, तभी विकास सम्भव हो सकेगा। (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

अगर एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आयेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो गये हैं, इसलिये आप लोग कृपया बैठ जायें।

*श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आज मैं चाहता तो यही था कि पूर्वान्चल पर ही चर्चा होती रहे, क्योंकि वह अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन विष्ट जी की बेचैनी को देखकर कि अगर यह चर्चा चलती रहेगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी और बीत भी रही होगी। इसलिये यह देखकर मुझे मजबूरन खड़ा होना पड़ा, वरना मैं तो यही चाहता था कि यह चर्चा सारे दिन चलती रही।

कई सदस्य–

आधा घण्टा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असरकारी जो संकल्प होता है इसमें विरोध पक्ष के लोग तय कर लें कि किस समय तक या शाम तक इस पर विचार करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

अधिष्ठाता महोदय, मैं पूर्वांचल के लोगों का बहुत आभारी हूं और उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और जो पूर्वांचल के लिए उनको दर्द है, उससे कम दर्द हमको पूर्वांचल के लिये नहीं है। तो जो मैंने एक संकल्प रखा है उसमें भी आप अपने विचारों को इसमें रख सकते हैं। कल से इस संकल्प पर बहस चल रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठ जायं।

अनेक सदस्य–

(विरोध पक्ष से) आधा घण्टा और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय विष्ट जी की बात से मुझे लगा कि वह इस विषय पर गम्भीर नहीं हैं कि समय बढ़ाया जाय। मुझे तो इस संकल्प के रूप में दो-तीन निवेदन करना है कि जहां तक पूर्वांचल के विकास का संबंध है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जितना विकास यहां होना चाहिए था जितनी यहां की समस्याएं हैं, जितनी यहां पर गरीबी है, जितना पिछड़ापन है, अभी तक वहां का उतना विकास नहीं हो सका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसमें कुछ संसाधनों की कमी है, कुछ और भी चीजें हैं जिनके कारण यह बातें नहीं हो पायी हैं।

दूसरी तरफ भारत सरकार ने क्षेत्रीय असामान्यताओं को दूर करने के लिये एक कमेटी का गठन किया है, उसका उद्देश्य है कि जहां क्षेत्रीय असामान्यतायें हैं, जहां पर संसाधन ठीक तरह से जुटाये नहीं जा सकें हैं, उसे उत्तर प्रदेश या दूसरे प्रदेशों के बराबर लाने के लिए वह महसूस करे, वहां पर विशेष प्रकार के अनुदान दिये जायं। वहा का जन-जीवन आगे बढ़ाने के लिये, विकास के लियें, प्रगति के लियें यह अनुदान दिए जायं। मान्यवर, आपने देखा होगा.....

श्री राम हर्ष राय–

मान्यवर, आप आयोग के गठन की बात करते हैं और ये अनुदान की बात करते हैं। आपकी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने मिल कर एक संयुक्त आयोग पटेल आयोग को गठित किया था। अब आप उल्टी बात करते हैं। कमेटी गठित करके उसकी संस्तुति मांग रहे हैं। संस्तुति तो इसके पूर्व आपके द्वारा गठित आयोग ने दी होगी। उसकी संस्तुतियों को मानकर आप लागू कीजिए, क्यों नहीं करते जब कि––

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप आरगूमेन्ट नहीं कर सकते हैं, केवल आप जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मैंने निवेदन किया था कि करने जा रहे हैं। उसकी तरफ मैं कह दूं कि कमेटी गठित कर दी गयी है। जो संस्तुतियों की तरफ इशारा किया माननीय सदस्य ने, सम्मानित सदस्यों ने मुख्य प्रसंग पर जो सुझाव दिये वह सब हमारे लिये बहुत कीमती हैं। जो विकास की बात की गयी तो उन तमाम बातों पर शासन गौर करेगा। 1979-80 में 11 करोड़ 10 लाख रुपया और 1981 में 10 करोड़ रुपया स्थानीय विकास के लिए वहां पर प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जो योजनायें हैं चाहे वह विद्युतीकरण योजना हो, चाहे वह सिंचाई की योजना हो, चाहे सड़कों के निर्माण की योजना हो उन सबको प्राथमिकता दी गई है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पूर्वांचल को और प्रदेशों के बराबर लाया जाय। पिछड़ापन दूर करने के लिए जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि एक अंग अगर तन्दुरुस्त नहीं है और पूरा जिस्म तन्दुरुस्त है तो पूरा जिस्म उस अंग से प्रभावित होता है।

मैं पूरे तौर से सहमत हूं कि सबकी बराबर से प्रगति होनी चाहिए। यहां पर इस सिलसिले में एक आयोग की मांग की गयी है। आयोग बहुत छोटी चीज है। आयोग गठित करने से चीजें देर में होती हैं, उससे समय लगता है और जब तक वह रिपोर्ट देगा तब तक दूसरे प्रदेश आगे चले जाते हैं। इस पर तुरन्त कार्यवाही की जा रही है। अगर जरूरी समझा गया कि बिना आयोग के पूर्वांचल का विकास सम्भव नहीं है अथवा उसमें किसी तरह की बाधा पड़ रही है तो उस बात पर भी विचार किया जायेगा पूर्वांचल के विकास में अगर कोई भी अवरोध रास्ते में आयेगा तो उसे हटा दिया जायेगा, उसमें किसी तरह की सुस्ती नहीं बरती जायेगी। सम्मानित सदस्य माननीय नन्द किशोर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत महान है। जो तरीके बतलाये हैं उनके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं और बहुत से ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनसे पूर्वांचल का विकास में अगर कोई भी अवरोध रास्ते में आयेगा तो उसे हटा दिया जायेगा, उसमें विकास होगा। मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरे इस आश्वासन के बाद वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करेंगे।

*श्री नन्द किशोर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है बहुत सोच समझ कर किया है। पूर्वांचल के 15 जिलों में लगभग साढ़े 4 करोड़ लोग बसते हैं। जहां पर जनसंख्या का दबाव 500 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहां से 160 विधायक चुन कर आते हैं। चाहे इधर के हों या उधर के हों सभी ने एक स्वर से पूर्वांचल के विकास के लिय एक आयोग की मांग की है। 33, 34 वर्ष हो गये आजादी मिले, लेकिन मुझे निश्चित जानकारी है कि पूर्वांचल के जिलों में जितने उद्योग लगे हैं पश्चिम में में गाजियाबाद में उनसे अधिक उद्योग लगे हैं। मंत्री जी को इस सम्बन्ध में मदद करनी चाहिए। सभी लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर इस बात की मांग की है और इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री यह बात को स्वीकार कर लें कि एक आयोग गठित कर दिया जायगा।

पूर्वान्चल में आप देखें एक-एक झोपड़ी या एक घर में एक-एक परिवार के दस दस लोग रहते हैं और इतने लोग उसमें गुजारा कर रहे हैं। यहां जनसंख्या इस कदर ज्यादा है कि भारी तादाद में लोग अरब मुल्कों या विदेशों के लिये पास पोर्ट बना कर बाहर जा रहे हैं। फिर भी वहां की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 33 वर्ष से वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा। 62 से लगातार बाढ़ आ रही है लेकिन कोई योजना वहां पर बाढ़ को रोकने के लिये वहीं बनाई गयी। देश की पार्लियामेण्ट में स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह गहमरी, एम0 पी0 ने पं0 जवाहर लाल नेहरु के समय पूर्वान्चल की बदतर स्थिति के बारे में जोर डाला था। मैं भी एक बार फिर जोर डालूंगा कि आप मेरे इस संकल्प को स्वीकार कर लें। इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करुंगा कि वह मंत्री जी से कहें कि वे इसको मान लें और मैं पुनः इस बात पर जोर दे रहा हूं कि पूर्वान्चल के विकास के लिये एक आयोग के गठन की वह घोषणा कर दें। मैं वापस नहीं लेता, सभी लोगों ने एक स्वर से कहा है कि आयोग बनाया जाये तो वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। जिन लोगों ने भी कहा है आयोग बनाने के लिए कहा है।

एक सदस्य–

मंत्री जी ने पूर्वी जिले के सदस्यों को आश्वासन दिया लेकिन ऐसा सुनने में आया कि जितने सदस्यों की पूर्वी जिले की मांग थी काम होता रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आश्वासन दिया है वह क्या है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह मुमकिन नहीं है प्रस्ताव के बाद आप बोलें। आप बैठें।

श्री अम्मार रिजवी–

मुझे एक निवेदन करना है कि सम्मानित सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके संबंध में कहना है कि मैंने यह कहा था कि आयोग की गठित करने का मतलब है डिले कर दिया जाये। हर एक चीज आयोग में चली जायेगी, और सभी जानते हैं हर आयोग, जल्दी रिपोर्ट नहीं देता। तो प्रगति के लिए जो भी चीज जरुरी होगी की जायेगी और अगर किसी जगह पर यह महसूस किया जायेगा कि आयोग ही यह कर सकता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर–

[× × ×]

नोटः–[×× ×] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

खैरुल बशर जी, आप बैठ जायें । जो भी आप बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के पूर्वान्चल के विकास हेतु पूर्वान्चल विकास आयोग गठित किया जाये ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित करने तथा नहीं की संख्या अधिक कहने पर)

(शोर)

अनेक सदस्य–

(आप वोट करा दें, मान्यवर । नहीं की संख्या अधिक नहीं है)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

आप फाटक बन्द करा दें, वोटिंग करा दें । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक दफा फिर इस प्रश्न को उपस्थित करता हूं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थिति करने तथा नहीं की संख्या अधिक कहने पर)

(शोर)

श्री मित्र सेन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब आपने एक बार प्रश्न उपस्थित कर दिया और "हां" "ना" में फैसला नहीं हुआ तो वोटिंग कराने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री कुबेर भण्डारी–

इसमें आपको वोटिंग कराने में क्या आपत्ति है?

(शोर)

श्री कुबेर भंडारी–

मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि जो पूर्वांचल विकास आयोग के पक्ष में उधर से बोले हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या–

मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि–

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। आप लोग बैठ जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ)।

पक्ष में –27
विपक्ष में –61।

श्री कुबेर भंडारी–

बोलते समय यह किस मुंह से बोले हैं या तो बोलने में धोखा-धड़ी किए हैं।

श्री गौरी शंकर भैया–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है कि यह हमको इसलिए करना पड़ा कि–

(शोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायं।

मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहता हूं कि वह जरा खामोश रहें।

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर चार राज्यों में विभाजन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

[समय 3 बजे अपराह्न]

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कर उसे चार राज्यों में विभाजित कर दिया जाय। मान्यवर, जितने भी विश्व में दीक्षित राष्ट्र हैं उन्होंने अपने देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए, उनको प्रशासनिक सुविधा देने के लिए छोटे-छोटे राज्य की स्थापना की और उससे वह देश समृद्ध हुए, वहां के लोगों की आर्थिक हालत सुदृढ़ हुई। मान्यवर, मैं अपने देश के भी कुछ राज्यों का उदाहरण देना चाहता हूं, उनकी जनसंख्या और विधान सभा के सदस्यों की संख्या–हिमांचल प्रदेश, क्षेत्रफल–55 हजार 673 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 34,7434 और विधायकों की संख्या 68, मेघालय का क्षेत्रफल 22,489 वर्ग किलो मीटर, आबादी 10,11,699 विधायकों की संख्या 60, नागालैण्ड का क्षेत्रफल 16,527 वर्ग किलो मीटर, आबादी 5,16,449, विधायकों की संख्या 60, मणिपुर का क्षेत्रफल 22,356 वर्ग किलो-मीटर, आबादी 10,72053, विधायकों की संख्या 60, पंजाब का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1,35,51007, विधायकों की संख्या 117, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,222 वर्ग किलोमीटर, आबादी 1,36,6008, विधायकों की संख्या 90। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल है 51,122 वर्ग किलोमीटर। इसमें आठ जिले हैं। विधायकों की संख्या 19 है।

मान्यवर, पूर्वान्चल के विकास का संकल्प कल से इस सदन में प्रस्तुत हुआ है जिस पर सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये। पूर्वान्चल में जिले हैं 15 और विधायकों की संख्या है 107। इसी तरह से बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है जहां पर मेरा अनुमान है हमारे प्रदेश का अधिकांश धन डकैतों के विनाश पर खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंग्रेजी शासन काल में सबसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत था लेकिन मुल्क के आजाद होने के बाद उत्तर प्रदेश की हालत सबसे गयी गुजरी है। मैंने जो आपके सामने कुछ राज्यों के उदाहरण दिये उसका मुख्य कारण यह है कि एक तो उनकी जनसंख्या कम है और उनकी अपनी विधान सभा है, वहां के विधायक वहां की समस्याओं के प्रति जागरूक हैं और केन्द्र सरकार से भी उन्हें उसी अनुपात में बजट दिया जाता है। इस प्रकार वे आज उत्तर प्रदेश से कई मामलों में आगे निकल गये हैं। मान्यवर, मैंने दक्षिणी उत्तर प्रदेश देखा, पूर्वी उत्तर प्रदेश देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा और अपने पर्वतीय अंचल को भी देखा। और मैंने अपने क्षेत्र को देख कर अनुमान लगाया कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है और यहां की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है, यहां की जो समस्यायें हैं इतनी जटिल होती जा रही हैं कि कोई भी सरकार चाहे वह किसी की भी हो यहां की समस्याओं को हल नहीं कर सकती। यह मेरा निश्चित मत है। मैंने एक बार इस सदन में कहा था कि यहां के मुख्य मंत्री स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी रहे, इस प्रदेश का संचालन नहीं कर सके, स्वर्गीय बाबू सम्पूर्णानन्द जी रहे, वह नहीं कर सके, चौधरी चरण सिंह जी रहे, वह नहीं कर सके, स्वर्गीय चन्द्र भानु गुप्त जी रहे, आपके, हमारे बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी जी रहे, वे नहीं कर सके। मैंने यह भी कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस प्रदेश का संचालन कैसे कर पायेंगे इस पर मुझे तरस आता है, यह शब्द मैंने कहे थे। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी ने भी पत्रकार सम्मेलन में अपना बयान देते हुए यह कहा था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना आवश्यक है। इसी तरीके से अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मंडलीय स्तर का सम्मेलन हुआ था और उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–]

भी यह प्रस्ताव किया गया कि पर्वतीय क्षेत्र का अलग राज्य बनना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसी तरीके से प्रस्ताव किया है कि पर्वतीय क्षेत्र का अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। सदन में अभी कल यह भी चर्चा हुई कि पर्वतीय विकास परिषद् को अधिक बजट दिया गया है पर्वतीय विकास के लिये और उससे पहाड़ी में विकास हो गया है। ऐसी माननीय सदस्यों की राय यहां पर हुई। लेकिन जिन महानुभावों ने पर्वतीय क्षेत्र का भ्रमण किया है उन्होंने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में इन 34 वर्षों में विकास के बजाय विनाश हुआ है।

आज अगर पर्वतीय क्षेत्र को जाकर देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि वहां पर न अध्यापक रह गया है, न विद्यार्थी रह गया, वहां पर कुछ बुढ़िया महिलायें ही आपको मिलेंगी। बाकी सारे नौजवान नौकरी की तलाश में मैदानी हिस्सों में भटक रहे हैं। मान्यवर, सारी नदियां पर्वतीय अंचल से आती हैं लेकिन वहां की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। दो-ढाई किलोमीटर दूर चढ़ाई में वहां के पुरुष और महिलायें पीने का पानी लाती हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां रह रहे हैं। यदि आप वहां की महिलाओं को और 6-6 और 7-7 वर्ष के बच्चों को डेगची में पानी ले जाते हुए देखेंगे कि आधा पानी उनका गिर जाता है उससे वे भीग जाते हैं और आधा पानी घर ले जाते हैं तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या दशा होगी? वह दृश्य देखकर यहां के माननीय सदस्यों की आंखों में आंसू भर आयेंगे वहां का पानी मैदान में आ रहा है और वहां का आदमी पानी के लिए तरस रहा है, वहां की धरती प्यासी है।

अगर सचमुच में पहाड़ों का विकास हुआ होता तो वहां के लोग पानी के बगैर प्यासे न रहते और वहां की धरती पानी के बगैर प्यासी न रहती। मान्यवर, वहां की नदियों के किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ है। यदि उनमें लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था हो जाय तो उस क्षेत्र को गल्ला लेने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसी तरह से अलग राज्य हुआ होता तो उस क्षेत्र में बिजली पैदा होती और पहाड़ों को हरा-भरा बना लिया गया होता। आज हिन्दुस्तान के लोग स्विटजरलैंड, जर्मनी और देश के बाहर जाते हैं, ऐसा हो जाने से वे पर्वतीय अंचल में जा सकते थे। जो लोग पर्वतीय अंचल को देखे हैं वे इसका सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। मान्यवर, पर्यटन विभाग जो आपका बना हुआ है उसको भी पहाड़ों के इन प्रकृति के बने हुए स्थानों का ज्ञान नहीं है जहां आज तक वे लोग गये हैं। जैसा कि आपके अल्मोड़े जिले में है–गेरनाला, गनीला। चमोली जिले में–दूधातोली, अल्मोड़े में–देवलपानी। कौसानी का नाम तो आप जानते हैं क्योंकि वहां पर गांधी जी गये थे। इसके अतिरिक्त पिंडारी ग्लैशियर है। वहां भी बहुत लोग जाते हैं। इसलिए मान्यवर, अलग राज्य अगर हो जाय तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वहां से मैदानी हिस्सों को मिल सकती हैं। बाढ़ के प्रकोप से पूर्वी जिलों का जो भूमि का विनाश होता है, त्राहि-त्राहि मच जाती है, वह न हो पायेगी। क्योंकि बाढ़ नियंत्रण के नाम से जो धन बरबाद किया जाता है वह सही माने में खर्च नहीं किया जाता है। उसका कारण है, क्योंकि मंत्रियों के पास नित्य 4-4 बोरा डाक आती है, जिसमें रजिस्ट्री, टेलीग्राम और वैसी तमाम चिट्ठियां होती हैं। कोई मुख्य मंत्री के घर पर सुबह जाये तो वहां पर 7-8 सौ से कम आदमी कभी नहीं मिलेंगे, अधिक ही मिलेंगे। यदि छोटा राज्य होता यह स्थिति न होती और वह तुरन्त उस आदमी को पहचान लेते, जब उनके सामने आया होता। मुझे स्वयं अवसर पड़ा मुख्य मंत्री के यहां जाने का, मैंने कितने ही लोगों को वहां देखा और पाया जो एक ही काम के लिए वहां पर बार-बार उनके पास आना पड़ा था, फिर भी उनका काम नहीं हुआ था। यदि आप देश की हालत सुधारना चाहते हैं, प्रदेश को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को आपको चार भागों में बांट देना चाहिए। इतने बड़े प्रदेश के अच्छी तरह से विकास के लिए और अन्य छोटे प्रदेशों की बराबरी में

खड़ा होने के लिए यह आवश्यक है कि यहां छोटे-छोटे प्रदेश हों अर्थात् प्रदेश के चार भाग किये जाने चाहिए।

मैं बुन्देलखण्ड का भी इसमें जिक्र करूं। यदि बुन्देलखण्ड में उद्योग होते वहां की भूमि के अनुसार, तो वहां पर अधिकाधिक रोजगार के अवसर लोगों को मिलते और वहां आज डकैतों की यह गम्भीर समस्या न होती। आज ही नहीं बहुत पहले से यह डाकुओं की समस्या वहां समाप्त हो गयी होती। वहां पर यदि आज डकैतों की समस्या है तो उसका कारण है वहां की गरीबी। बुन्देलखण्ड में जो हमने पत्थर देखा, उसका प्रयोग होता, उसका कंकरीट बनाया गया होता तो वह सारे भारत में भेजा जाता और उससे वहां काफी पैसा आता। डकैतों के विनाश पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी आपको आवश्यकता न पड़ती और उल्टे आपको पैसा मिलता। वहां पर भले आदमी को भी परिस्थितियां डकैत बनाती हैं, क्योंकि वहां पर आम धारणा बन गयी है कि वहां पर डकैत ही उपजते हैं। मुझसे कितने ही लोगों ने कहा है कि वहां के विधान सभा सदस्य भी डकैत हैं। तो ऐसी बात लोग उड़ाते हैं, जबकि यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। वहां पुलिस भले लोगों को पकड़ती है और लामुहाला उनको डकैत बनना पड़ता है। मैंने पूर्वी जिलों के बारे में कई चित्र देखे हैं, जिसमें देखा है कि गाय या भैंस के गोबर से महिलायें और नंगे बच्चे गेहूं के दाने खाने के लिए बीन रहे हैं और सुखाकर खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति वहां पर इसलिए हुई कि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में 160 विधायक हैं और पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिलों चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, और देहरादून में केवल 19 विधायक हैं, जबकि हमारा क्षेत्रफल 91 हजार से अधिक है। यहां के उत्तरकाशी जिले से हमारा एक ही विधान सभा सदस्य है, चमोली जिले से भी केवल एक है, जबकि बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ जैसे पूर्वी जिलों में एक-एक जिले से 18-18, 20-20 सदस्य हैं इस पर भी वे सदस्य कहते हैं कि पहाड़ों के लिए काफी पैसा दे दिया गया है और पूरब के लिये नहीं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो हर प्रकार सिद्ध है और वह यह है कि ठंडी जलवायु में कम बच्चे पैदा होते हैं और गर्म घाटियों में लोगों के ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए मेरा पूर्वान्चल के मित्रों से अनुरोध है कि यदि वह जरा जनसंख्या पर नियंत्रण कर लें, तो उनकी गरीबी किसी हद तक दूर हो सकती है। एक तरफ उनकी गरीबी बढ़ रही है और दूसरी तरफ 1/1 व्यक्ति के, जिसके रहने के लिए मकान और खाने के लिए अन्न नहीं है, 15/15 और 11/11 बच्चे साथ चल रहे हैं। इस पर हमारे पूर्वान्चल के लोग अवश्य ध्यान दें। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध है कि कोई उनसे कह दे कि पूर्वी जिलों के जो माननीय विधायक हैं आकाशवाणी से उनके कार्यक्रम परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दें।

पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मेरा कहना केवल यह है कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय हम ज्यादा खुशहाल थे, काफी घी था, काफी दूध था। हम लोग किसी पर आश्रित नहीं थे। केवल 3 चीजें जैसे कपड़ा, नमक और बर्तन आदि ही मोल लेते थे लेकिन मुल्क आजाद होने के बाद हमारी दशा ऐसी हुई कि वहां पर ऐसा कोई परिवार नहीं रह गया है जो कि सरकार के कर्जे से दब न गया हो। उसका कोई विकास भी नहीं हुआ है। अगर माननीय मंत्री जी के पास हमारे यहां के लोग चिट्ठी भेजते हैं तो उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है और अगर वे मिलने के लिए स्वयं आते हैं तो वे उन्हें मिल नहीं सकते हैं, मंत्री जी उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी समस्याओं का निराकरण कैसे हो?

हमारे देश में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भी इसलिए किया गया था कि वह मुल्क में अखण्डता और एकता को लाने के लिए विचार करके अपनी रिपोर्ट दे। उसने

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–]

भी अपने रिपोर्ट में छोटे-छोटे राज्य बनाने की बात कही थी लेकिन उन्होंने वर्ष 1951 की जनगणना को आधार माना था । उसके बाद कई चीजों में बदलाव आया । आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर रोज डकैतियां पड़ रही हैं । माननीय गृह मंत्री जी ने एक दिन यहां पर एक बयान पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन में हमारे यहां पर 3 डकैत मारे जा रहे हैं । जब एक दिन में 3 डकैत मारे जाते हैं तो क्या इस प्रदेश में डकैत ही डकैत रहते हैं और इनकी कुल कितनी संख्या है ? पहले पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी ही शान्त व्यवस्था थी, वहां पर कोई चोरी डकैती नहीं होती थी लेकिन यह सरकार जो गलत आदमियों को वहां पर भेज देती है, वे अपने साथ वहां पर चोरों, जेब कतरों और डकैतों को ले जाते हैं । हमारे यहां पर 17-17 18-18 किलोमीटर से स्त्रियां लकड़ी लेने जाती हैं । ये लोग जंगलों में छुपे रहते हैं उन महिलाओं को पकड़ लेते हैं और उनके जेवर आदि छीन लेते हैं । पहले हमारे घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गयी है कि एक आदमी को घर पर छोड़ना पड़ता है। जो आदमी घर पर रहता है वह रोटी का भी मुहताज हो जाता है क्योंकि सरकार द्वारा जंगल कटवा दिये गये हैं ।

अंग्रेजों के शासन काल में हम इतने गरीब नहीं थे जैसे कि आज हैं। इसलिये यह जरूरी है कि अगर हमको हमारा राज दे दिया जाय तो मेरा निश्चित विश्वास है कि 5–7 साल के अन्दर हमारा राज दुनिया में सबसे अच्छा राज हो सकता है। नेपाल और तिब्बत से हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ है जहां के लोगों से हमारी नातेदारी और रिश्तेदारी है। सरकार की ओर से जन जाति के लोगों के लिए तो कुछ आरक्षण दिया गया है लेकिन जो ब्राह्मणों और ठाकुरों के यहां पर काम करते हैं, उनकी गायों को चराते हैं, दुहते हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है । इसके अलावा नैपाल से भी हम जुड़े हुए हैं और नेपाल के लोगों से भी हमारी रिश्तेदारी है । उनकी हमारे लोगों से रिश्तेदारी है। इसलिए देश की सुरक्षा की दृष्टि से और मजबूती की दृष्टि से भी यह जरूरी है कि वहां के लोगों की हालत को सुधारा जाये और यह तभी सम्भव है जब वहां का अलग प्रशासन हो, अलग स्टेट हो। अगर आप यह नहीं करते तो पहाड़ के लोग अब ज्यादा दिन तक इसे बरदाश्त नहीं कर सकते । पत्थर में से गेहूं का दाना निकाल कर खाने को आप लोग बरदाश्त कर सकते हैं, पहाड़ वाले नहीं कर सकते । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। यह मेरा निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाना है और सम्पन्न बनाना है तो इसका विभाजन 4 राज्यों में किया जाना चाहिए। मैं मान्यवर, जर्मनी गया हूं। जर्मनी इस उत्तर प्रदेश के बराबर देश है, मगर वहां भी यह देश कई राज्यों में बंटा हुआ है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, इस संकल्प की जो वर्डिंग्स हैं उनके अनुसार यह इस सदन के परव्यू में नहीं आता है, लेकिन मैंने इस वजह से इस पर विचार करते समय नहीं रोका क्योंकि यह माननीय बिष्ट जी का प्रस्ताव था, और उनकी भावना यह है कि पहाड़ों का विकास हो। लेकिन संविधान के अन्तर्गत यह यहां नहीं आ सकता।

श्री अधिष्ठाता–

इसे रखने की अनुमति श्री अध्यक्ष जी दे चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन–

हमारे संविधान में ही नम्बर 3 पर यह साफ लिखा है कि नये राज्यों को बनाने, उनकी आल्टरेशन करनी, या नाम को बदलने का काम, या किसी किस्म की रद्दोबदल का काम पार्लियामेन्ट द्वारा ही कानून बनाकर किया जा सकता है। हमारा इसके अन्दर जैसा कि कहा है कि यह सदन निश्चय करता है कि इस प्रदेश का पुनर्गठन किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तो यह सदन सिफारिश तो कर सकता है केन्द्र से, लेकिन एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पुरानी मिसाल सुनते चले आये और हकीकत भी है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फाल, हम लोग बंट जायेंगे।

श्रीमन्, किसी गांव में एक आदमी था, जब वह बुड्ढा हो गया था और वह जब मर रहा था, तब उसने 7-8 आदमियों को बुलाकर, उसने हिदायत किया कि अगर सूत का एक धागा लीजिए, तो वह आसानी से टूट जायगा, लेकिन अगर उसके कई धागे दे दीजिये, तो वह नहीं टूट सकता है। तो वही उसको हिदायत उस बुड्ढे ने की थी कि अगर तुम लोग इकट्ठा रहोगे, तो कोई तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकता है और अलग-अलग रहोगे, तो तुम लोग बरबाद हो जाओगे। तो इसी चीज को देखते हुए आज जो उत्तर प्रदेश की हालत, उसके जो कार्यों से डिस्बैलेंस हो गया, कहीं कुछ कमी हो गयी, कहीं, कुछ ज्यादा हो गया, उसका आखिर क्या कारण है जब कि रिआर्गेनाइजेशन कमीशन भी एप्वाइंट हो गये, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर करीब-करीब इस देश का हर सूबा कुछ न कुछ, उसकी बाउंडरीज में चेंजेज हो गये, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा कि उन्होंने एक बड़ी गहराई में जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई संशोधन नहीं किया। जो उत्तर प्रदेश इस वक्त है, कल, परसों से तो 50 जिले हमारे हो गये तो यह जो हमारा स्टेट है, एक जगह रहना, इसका यूनाइटेड रहना ही आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से फायदेमंद है। यह डिवीजन वाली बात जो है, जो लोग अपनी स्वार्थसिद्ध की बात करते हैं, जो यह समझते हैं कि जो इतना बड़ा प्रदेश है कि 425, एक नामिनेटेड 426 लोग आकर यहां पर बैठते हैं, बहुत से माननीय सदस्य हो जाने लगे हैं कि 1 घंटा जो क्वेश्चन आवर है, जब डिबेट का टाइम होता है, तो 426 में बंट जाता है और जब छोटे हो जायेंगे, तो हमको ज्यादा अपनी बातों को कहने का मौका मिल जायगा। तो यही भावना होती है कि उत्तर प्रदेश का अगर छोटा-छोटा टुकड़ा हो जायगा, तो इसका विकास ज्यादा होगा। अगर इस माननीय सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य वह अपनी कांस्टीट्वेयंसी की बात करें, जिस कांस्टीट्वेयंसी ने उनको चुनकर भेजा है, अगर माननीय सदस्य उस अपनी कांस्टीट्वेयंसी के विकास के कार्य में ही भेदभाव करने लगेंगे, तो कुछ गांव उनकी कांस्टीट्वेयंसी के ऐसे होंगे कि जिनमें ट्यूबवेल लग जायेंगे, सडक भी बन जायेंगी और कुछ में कोई काम नहीं होगा। अगर माननीय सदस्य यह सोचें कि अपने देश का विकास जहां जिस चीज की जरूरत है, उसके आधार पर कोशिश करेंगे कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, तो उस कांस्टीट्वेयंसी के अन्दर उस चीज का भेदभाव पैदा नहीं होगा। इस तरह से इस माननीय सदन के अन्दर जब चारों तरफ से उत्तर प्रदेश से लोग चुनकर आते हैं, तो यहां इस जगह के ऊपर जो शासन में बैठते हैं, तो उसमें जब इस बात का भेदभाव होता है कि कौन सा किस जिले का मिनिस्टर है, कौन सा क्या और कहां क्या काम हो रहा है, तो श्रीमन् वहां पर यह बात आ जाती है कि जिस जिले का मिनिस्टर होता है वह यह समझ बैठता है कि मेरा पहला काम अपने जिले को स्वर्ग बनाना है और इस वजह से यह बात होती है कि हमारे जिले का भी मिनिस्टर हो।

अब जो मिनिस्टरों का बंटवारा है वह इसी आधार पर होने लगा है कि कौन से जिले का मिनिस्टर है कौन से जिले का नहीं है, लेकिन इसी माननीय सदन के अन्दर 1962 तक यह बीमारी नहीं थी। सन् 62 तक जो मिनिस्टर चुने जाते थे, तो वे लोग जो भाषण करते थे हाउस के अन्दर बैठकर उनका तजुर्बा गिना जाता था, उनका काम देखा जाता था और यह सोचा जाता था कि उनके तजुर्बे से फायदा उठाया जाय। 1967 के बाद इसी माननीय सदन के अन्दर जब लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो गया तो एक नयी राजनीति ने जन्म लिया और नयी राजनीति के जन्म के बाद से राजनीति केवल-"पालिटिक्स आफ कनविनियन्स" और "पालिटिक्स आफ पर्सनल एडवान्टेजेज" बन कर

[श्री रियासत हुसैन–]

रह गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो बच्चे उस समय 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच थे, वे जब वोटर्स लिस्ट में आये तो उसके बाद से आज सन् 1981 तक यही राजनीति सीखी कि "कनविनियन्स" कहां है, कैसे एम0एल0ए0 या एम0एल0सी0 बन सकते हैं। इस प्रकार, 1967 से एक नयी राजनीति ने जन्म लिया और 1967 के बाद यह सवाल ज्यादा उठने लगा कि मुख्य मंत्री एक के बजाय चार हो जायं, तीन हो जायं या दो हो जायं, इसके अलावा हम भी मिनिस्टर हो जायं, ये भी मिनिस्टर हो जायं और वह भी मिनिस्टर हो जायं। उन व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण इस प्रदेश के बंटवारे का सवाल आया।

प्रदेश के विभाजन का मसला, जो माननीय बिष्ट जी ने रखा, तो इसमें दो राय नहीं कि पहाड़ का इलाका पिछड़ा हुआ है, उसे ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पहाड़ का बंटवारा कर दिया जाय, और अगर पहाड़ के एरिया से देहरादून और नैनीताल को निकाल दीजिये, जो कि डेवलप्ड हैं शिक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी तथा राजनीतिक दृष्टि से भी, तो उन जिलों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वह पूरे पहाड़ के साथ शामिल हो जाती है तो जहां 8 प्रतिशत है वह बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाता है, अगर आप उन दो जिलों को निकाल दें तो सही तस्वीर सामने आ जायगी। पहाड़ पर जो खेती होती है, पूरे पहाड़ का कोई जिला नहीं है जिसे मैंने घूमकर न देखा हो, कोई खनिज या दौलत नहीं है जिसको लेकर पहाड़ का क्षेत्र यह कह सके कि हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। मैं फिर इस बात को कहूंगा और दोहराऊंगा कि हमको मदद की जरूरत है और एक-दूसरे की जरूरत है।

आज उत्तर प्रदेश में कुछ एरिया ऐसे हैं, जहां कुछ भी नहीं है लेकिन "कैलकुलेटेड" तरीके से सारे प्रदेश का हिसाब-किताब चला जाता है, जहां जिस चीज की जरूरत है उसे अपने कुटुम्ब का एक अंग समझकर वहां दिया जाता है। चाहे पहाड़ हो, बुन्देलखण्ड हो या पूर्वी क्षेत्र हो, यही समझकर उसे बांटा जाता है कि यह हमारे परिवार का, कुटुम्ब का एक अंग है। आप क्यों ऐसी बात कहते हैं कि परिवार के अंग से टूटकर अलग हो जायं। मान्यवर, पहाड़ के एरिया में चारों तरफ मदद की जरूरत है और वह एक साथ रहकर दे सकते हैं अलग होकर नहीं वह मदद दे सकते हैं। लेकिन जो मदद उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में सभी सूबों की जांच के लिये एक रिआरगनाइजेशन कमीशन बना था तो उसने दूसरे सूबों में तो रद्दोबदल किया था लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं मिला जहां रद्दोबदल किया हो और उसने कहा कि जो उत्तर प्रदेश पहले से था उसी तरह से होना चाहिए। इसलिए आज यदि आवाज लगायें कि प्रदेश का बंटवारा हो तो उससे जो आपकी शक्ति है उसमें कमी होगी। मान्यवर, इस माननीय सदन से अपील करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य है वह यदि अपनी-अपनी जगह पर राजनीति से फर्क करके पैरों और घुटनों चलकर अपनी शक्ति से यहां आयेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी कि बंटवारा किया जाय। लेकिन जो माननीय सदस्य बिरादरी, रुपयों के ताकत के नाम पर जीत करके यहां आते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर जीत कर आते हैं तो वह चीज यहां भी उठती है। इसलिए इस डिवीजन के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना है और इसको नीचे रखकर भावना यह होनी चाहिए कि पूरा प्रदेश फले फूले और सभी पूर्व, उत्तर, पश्चिम मिलकर एक साथ रहें और जो विकास में ध्यान नहीं जाता है उसमें सभी को मिलकर ध्यान देना चाहिए कि पूर्व, उत्तर, पश्चिम सभी जगहों का विकास होना चाहिए।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया श्री बिष्ट जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें भाई रियासत हुसैन ने बहुत कायदे से

बात किया है । मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि जिस दिन से श्री बिष्ट जी ने यह संकल्प यहीं पेश किया उस दिन से उनको साइटिका का रोग हो जाता है और उनको दर्द रहने लगा है । इसलिए उनको पता होना चाहिये कि यदि शरीर से एक अंग को अलग कर दिया जाय तो कैसे दर्द होता है, वह उसी से पता होना चाहिए । मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, जो रियासत जी ने कहा कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ की बात है और उसी से प्रेरित होकर इस प्रदेश के बड़े हिस्से के टुकड़े-टुकड़े करने की भावना लोगों में प्रेरित कर रहे हैं तो यह सही बात है और इसमें केवल राजनीतिक भावना विशेष है बाकी चीजें दूर हैं । मान्यवर, आप जानते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश का एक रहना कितना आवश्यक है उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति को देखकर पता लगा सकते हैं ।

उत्तर में हिमालय पर्वत फैला हुआ है जिसकी सीमाओं को जो बांटना चाहते हैं उनके लिए मैं क्या कहूं लेकिन यहां इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसी प्रक्रिया इसमें एक ही निहित है कि जो 13 साल पहले यह बीज बोया गया था, रियासत हुसैन जी ने जो कहा वह सही कहा है कि आज केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर ही लोग ऐसा कर सकते हैं और जो बिष्ट जी ने संकल्प पेश किया है, मुझे तो उनके ऊपर रहम आता है कि पर्वतीय विकास के लिये छठी योजना में इतनी बृहत योजनाएं हैं कि यदि अलग प्रदेश भी बन जाय तो उतनी बृहत योजनायें वहां नहीं होंगी । मान्यवर, आज पर्वतीय अधिकारी ही वहां नहीं रहना चाहते हैं और मैदान में रहना चाहते हैं मैं आप के माध्यम से बिष्ट जी से पूंछना चाहूंगा कि उस सम्य आप कहां आवेंगे, कहां चलेंगे अभी तो आप कम से कम लखनऊ आ गये। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हर तरह की सभ्यता है हर तरह की चीजें हैं ।

एक सदस्य–

गरीबी की रेखा से नीचे है ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

गरीबी की रेखा से नीचे है। ऊंचा करने के लिये लम्बे भाषणों से काम नहीं चलेगा आइये हम आप सोचें कि कैसे आगे बढ़े हम गरीबी की रेखा के नीचे क्यों हैं क्या आपने इसको कभी सोचा मेरे दोस्त । मैं आग्रह करूंगा यह संकल्प जो इस समय बिष्ट जी ने रखा है माननीय सदस्य को इसको रखने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए । प्रदेश के अन्दर जाति, संगठन, धर्म के नाम पर, विचार के नाम पर, पार्टी के नाम आज देश को बाहरी शक्तियां टुकड़े टुकड़े करने को तैयार है और कोशिश कर रही है । अधिष्ठाता महोदय मैं आग्रह करूंगा बिष्ट जी से कि आप क्यों उसकी ओर चल रहे हैं । आपके पहाड़ों पर विदेश मठ बन गये हैं उनकी झलक आपको लग गई, उनकी प्रेरणा तो नहीं मिली आपको । उत्तर प्रदेश इस देश का हृदय है परसने वाले को कम मिलता है घर के मुखिया को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में राजनीति का हृदय रहा है यहीं से बलिया के चित्तू पाण्डे, चन्द्र शेखर आजाद, झांसी की रानी स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़े और उभर कर सामने आये हैं। आज आप प्रदेश का टुकड़ा-टुकड़ा करके आप अपने अंग को तोड़ना चाहते हैं कमजोर करना चाहते हैं। भाई रियासत साहब ने साफ कहा कि सूत का तागा जब इकट्ठा होता है मजबूत होता है एक-एक तागे को तोड़ा जा सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिष्ट जी इस संकल्प को वापस लें और मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। प्रदेश विभाजन के संकल्प के पूर्व पूर्वांचल विकास का एक संकल्प आया और उस पर बहुत गर्मजोशी के साथ पूर्वांचल के तमाम सारे

[श्री गौरी शंकर भैय्या–]

विधायकों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विरोध पक्ष के, सब ने आपके माध्यम से अनुरोध किया और पूर्वांचल के विकास की बात की। हम चाहते थे कि निगम बनाने की बात हो। लोगों ने आयोग बनाने की बात रखी। दुर्भाग्य की चीज है पूर्वांचल के विकास करने की बात जब सदन में आयी तो दूसरा संकल्प सदन में आया कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े किये जायें। मैं और मेरा दल इस संकल्प का घोर विरोध करता है। कुछ लोग सदन में और सदन के बाहर प्रदेश के बंटवारे की बात करना चाहते हैं लेकिन जब वही लोग शासन में आ जाते हैं मुख्य मंत्री होते हैं तो वह इस तरह की बात भूल जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। जब पूरे प्रदेश में मजदूर लेने की बात आती है तो पूर्वांचल से लेते हैं, टैक्स लेने की बात आती है तो पूर्वांचल से लेते हैं। लीडरशिप लेनी होती है तो पूर्वांचल से लेते हैं। पूर्वांचल में बड़े-बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, विद्वान आप वहां से लेते हैं पर जब विकास करना होता है तो पूरब को छोड़कर मध्य का विकास किया जाता है, पश्चिम का विकास किया जाता है और पहाड़ों का विकास किया जाता है। पूरब के खून और पसीने की कमाई को निचोड़ कर अपने विकास मध्य, पश्चिम और पहाड़ों का किया और जब आज पूर्वांचल के विकास की बात आयी है तो कहा जाता है कि इस प्रदेश का विभाजन हो जाना चाहिए। विकास करना होता है तो पूर्वांचल को भूल जाते हैं।

पश्चिम, मध्य भाग और पहाड़ों में पूर्वांचल से ज्यादा स्कूल हैं और उद्योग व नहरें हैं। जब हम पूर्वांचल को इन सबके बराबर लाने की बात करते हैं तो आप प्रदेश के विभाजन की बातें करने लगते हैं। पूर्वांचल के विकास के बारे में 2-3 नेताओं ने ध्यान दिया जिनका नाम मैं लेना चाहता हूं। जब रेलों से हम पूरे देश की यात्रा करते हैं तो बनारस का नाम हमारे सामने आता है। पूर्वांचल में बनारस ऐसा स्थान है जिसे पूरे देश से जोड़ने का प्रयास किया गया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने रेलों के माध्यम से बनारस को अन्य स्थानों से जोड़ने का काम किया है मैं उसको इसके लिये बधाई दे सकता हूं। लेकिन उनसे जिस विकास की कल्पना हम करते थे कि पूर्वांचल में तरह-तरह की परियोजनायें लगाकर विकास किया जायगा वह पूरी नहीं हुई है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा में कोई बहुत बड़ा जोर नहीं दिया गया। इसके कारण जो भी रहे हों या जो भी मजबूरी रही हो, पूर्वांचल को लाभ नहीं हो सका है। बाबू गेंदा सिंह का नाम भी मैं लेना चाहता हूं जिन्होंने गरीब की व्यथा. भुखमरी की आवाज बराबर उठायी थी।

आज भी लेड़ई की लिट्टी वहां पर लोग खाते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि लेड़ई की लिट्टी क्या होती है तो उनसे कहा गया कि इसका हलुवा अच्छा बनता है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोग हलुवा खाते हैं तो विकास की बात नहीं करनी चाहिए। उनको इसकी रोटी दिखानी पड़ी, कहा कि चखकर देख लीजिये कि पूर्वांचल के लोग क्या खाते हैं और वहां गांवों के लोग कैसे जीते हैं? मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े लाइब्रेरी में आये हुए हैं, वह बताते हैं कि चाहे जो परियोजना हो, रामगंगा की योजना हो, शारदा सहायक की योजना हो, गंडक की परियोजना हो, सारी की सारी नहरें, उद्योग आप मध्य और पहाड़ों, पश्चिम भाग की तरफ लेकर जाने का काम करते रहे हैं। बिजली के उत्पादन केन्द्र बनाने की बात हो तो मध्य और पहाड़ तथा पश्चिम में उनके बनाने की बात करते हैं। उद्योग लगाने की बात होती है तो आप पूरब को भूल जाते हैं और मध्य तथा पश्चिम भाग में उद्योगों को लगाया जाता है। अब पहाड़ों की तरफ भी आपने विशेष ध्यान देना शुरू किया है लेकिन जैसा मैंने कहा धन का बराबर-बराबर बंटवारा होना चाहिए तभी पूर्वांचल का विकास हो सकता है।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब आपको मजदूर लेने होते हैं, श्रमिकों को लेना होता है तो आप हमसे लेते हैं और जब हमारे विकास की बात आती है तो कहते हैं कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर मान लीजिये आप प्रदेश को चार भागों में बांट देते हैं तो उत्तर प्रदेश के गरीबी का बंटवारा तो होगा नहीं। एक राजधानी बनारस में बन जायगी, विष्ट साहब की नैनीताल में हो जायगी, 2-3 मुख्य मंत्री और हो जायेंगे। लेकिन इससे कोई अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को नहीं होगा। विभाजन से कोई खास लाभ नहीं होने वाला है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संचार साधनों के नाम पर हम लोगों का शोषण हुआ है। मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। पूर्वांचल में हमारे जिले के भूगोल को उठाकर देखें तो देवरिया में आप बड़ी लाइन लेकर जा रहे हैं। आजमगढ़ में मऊ होते हुए बड़ी लाइन जा रही है। बनारस से बक्सर और गाजीपुर होते हुए छपरा तक बड़ी लाइन आप लेकर जा रहे हैं। बलिया को छोड़ दे रहे हैं। न वहां अच्छी विद्युत व्यवस्था है, न टेलीफोन व्यवस्था ठीक है। अस्पताल और उद्योग की तो बात ही नहीं है। नहरों और ट्यूबवेल का भगवान ही मालिक है।

मान्यवर, बलिया जनपद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि बलिया से आजमगढ़ और शाहगंज से बलिया की बड़ी लाइनें आप क्यों नहीं बिछा रहे हैं बलिया जनपद ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जहां पर आप कोई राजमार्ग ले जाने वाले नहीं हैं। अगर आपको वास्तव में पूर्वांचल का विकास करना है तो सारे संसाधन इधर भी जुटाइये, जो आप पश्चिम वालों को, मध्य उत्तर प्रदेश वालों को जुटा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूर्वांचल का विकास हो तो यह दुराव की नीति को छोड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का घोर विरोध करता हूं। जिस तरह से पहाड़ी जिलों के विकास के लिए एक निगम है, तो उसी तरह से बलिया, गाजीपुर और बस्ती वगैरह जो पिछड़े इलाके हैं, उस पर भी निगम बनाने की कृपा करें।

श्री जंग बहादुर–

मान्यवर, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। यह संकल्प जो लाया गया है, मैं तो समझता हूं यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से 4-6 देश ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल अधिक है। इस तरह से इस देश की 7वां नम्बर है भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से। यह प्रदेश जैसा कि अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि देश की आत्मा है। इसमें गंगा-यमुना और घाघरा जैसी बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं और इसके ऊपर हिमालय की छाया है और पर्वतीय क्षेत्र के एक मुख्य मंत्री नहीं बल्कि 3-4 मुख्य मंत्री हुए हैं। स्व0 गोविन्द बल्लभ पंत जी, श्री नारायण दत्त तिवारी जी तथा हेमवती नन्दन बहुगुणा जी। इसके अलावा इतना ही नहीं इस प्रदेश के तीन व्यक्ति प्रधान मंत्री भी हुए। इस इतिहास को देखते हुए अगर आज इस प्रदेश के विभाजन की बात कही जाए, बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। यह कहना इस बात को दर्शाता है कि इसमें केवल एक निजी स्वार्थ ही निहित है क्योंकि अगर इस तरह दो या तीन प्रदेश बनेंगे तो दो-तीन मंत्रि-मण्डल भी बनेंगे, जिनमें भी कुछ हिस्सा हाथ आ जायेगा, मंत्री बनने या मुख्य मंत्री बनने का। यह केवल इसी स्वार्थपूर्ण भावना से संकल्प रखा गया है। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह हुआ तो हमारी शक्ति क्षीण होती। इस विभाजन के नतीजे में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, सेक्रीटेरियट बनेगा, विधान सभा बनेगा, बिल्डिंगें बनेंगी, तो इस तरह देश का तमाम पैसा बर्बाद होगा। प्रादेशिक सीमाओं तथा पानी के झगड़े खड़े होंगे।

मैं माननीय विष्ट जी की इस बात से सहमत हूं कि जो इलाके पिछड़े हैं, उसके लिए शासन को चाहिए कि हर ओर बराबर ध्यान दे जिस तरह से परिवार का मुखिया अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है, उसके परिवार में अगर कोई कमजोर है, बीमार

[श्री जंग बहादुर–]

है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह उन सबकी जरूरतों को समय पर पूरा करने का प्रयास करता है इसी तरह शासन को चाहिए कि उनकी जरूरतों को समान रूप से देखें, उनमें एक प्रकार का भाव रखें, शासन को दुराव की भावना से काम नहीं लेना चाहिए जिस तरह से वह घर का मुखिया अपने सारे परिवार के लिये चिंतित रहता है, ठीक उसी तरह सरकार को भी सोचना चाहिए । इसलिए मैं विभाजन का भी विरोध करता हूं क्योंकि इससे प्रदेश कमजोर होगा, मैं विष्ट जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें क्योंकि आज देश और प्रदेश को एकता के सूत्र में बंधे रहने की जरूरत है। इस तरह बंधे रहने से देश और प्रदेश निकट भविष्य में जरूर तरक्की करेगा।

[समय 4 बजे अपराह्न]

*श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, विष्ट जी ने एक अच्छी बात सदन के सामने रखी है और उस पर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं या जो भी औचित्यपूर्ण बात उस पर कही है वह किसी भी दृष्टि से मानने योग्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के भाषण मुझसे पहले हुए उन्होंने पहले उन बातों की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जो आज क्यों उन्होंने भौगोलिक बात कही, सामाजिक बात कही और आर्थिक बात का जिक्र किया लेकिन उन सब बातों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या भौगोलिक रूप से कोई परिवार एक हो सका है? प्रदेश के विभिन्न स्थानों की परिस्थितियां अलग हैं, वहां की जलवायु अलग है।

इसी तरह से वहां की भाषा की भी बात है। भाषा का सवाल जहां तक है, हर जगह की भाषा अलग-अलग है। जो भाषा पहाड़ों में बोली जाती है वह भाषा बनारस और देवरिया में नहीं बोली जाती है। भाषा की दृष्टि से एकता नहीं है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से किसी भी प्रदेश की एकता कायम रहेगी, यह कोई औचित्यपूर्ण प्रश्न नहीं है। आज उत्तर प्रदेश को एक बना करके रखा जाय, कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। इसलिये मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूं कि इसका अगर कल बंटवारा हो रहा हो तो इसको आज ही होना चाहिए।

मान्यवर, इसके बारे में मेरा दृष्टिकोण है कि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो परिवार के बड़ा होने पर अनुशासन नहीं रह पाता। यह साबित करता है कि बड़ी इकाई उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती जितनी कि एक छोटी इकाई बड़े परिवारों में होता क्या है कि एक या दो आदमी काम करते हैं, बाकी आदमी काम नहीं करते हैं, आराम करते हैं। इसी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। आज हम सामाजिक आधार पर एकता के टूटने के भय से चाहे यह निर्णय न लें परन्तु यह साबित करता है कि जब बच्चों को मां-बाप से अलग कर दिया जाता है तो अच्छी तरह से रहते हैं, खुश रहते हैं। इसी प्रकार से ठीक इस प्रदेश के अन्दर भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पहाड़ों का एक प्रदेश बना दिया जाय, बृज भाषा जहां बोली जाती है उसका अलग एक प्रदेश बना दिया जाय, अवधी जहां बोली जाती है वहां एक प्रदेश बना दिया जाय और इसके बाद पूर्वांचल को अलग एक प्रदेश बना दिया जाय। पूर्वांचल की भाषा में कोई भी बात कर लें, हम नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के खिलाफ प्रदेश की भाषायें हैं। मैं शाहजहांपुर से आया हूं। मैं जब यहां के देहातों में जाता हूं, उनकी भाषा नहीं समझ पाता हूं। लेकिन पार्टी का हित ध्यान में रख करके लाखों लोगों की बातों को समझना उनका पूर्ण रूप से विकास करना तभी सम्भव होगा, जबकि प्रदेश का बंटवारा हो।

आर्थिक विकास की बात करते हैं। अभी कहा गया कि पूरब ने बहुत से विद्वान दिये हैं उन्होंने पश्चिम में आर्थिक विकास किया है। तो मान्यवर, मैं चाहूंगा अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि पुराने लोग 1962–67 तक यहां पर उनकी राजनीति बड़ी अच्छी रही। उन लोगों को सारे प्रदेश के बारे में पूरा ज्ञान था। सिंचाई और विकास की बात कही। तो आज हम पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिए क्यों बात रखते हैं? मान्यवर, सीधी सी बात है कि जिस प्रदेश में जिस स्थान पर भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक तरह से नहीं होगी, वहां पर विकास नहीं किया जा सकता है।

अगर आप ईख की खेती पहाड़ों में करें, तो नहीं होगी। इसी तरह से धान की खेती आप इस इलाके में करने लगें तो धान काफी नहीं होगा। तो जहां के खेत एक से नहीं होंगे, जलवायु एक सी नहीं होगी तो उन सारे औचित्य पर विचार करने के बाद सही स्थिति को मान लेना चाहिए।

अब अगर प्रदेश का विभाजन होना है तो इसका शासन, प्रशासन अच्छी तरह से चलाया जा सकेगा। हमारे प्रदेश के चार हिस्सों में जब पंजाब प्रदेश था, तो क्या था? और जब पंजाब का विभाजन हुआ है तब से पंजाब और हरियाणा भी इस देश के सबसे ज्यादा अच्छी तरह से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से उन्नतिशील प्रदेशों में से हैं। तो यह बात आप में सिद्ध हो जाती है। वहां के मुख्य मंत्री यह जानते हैं कि इस थाने में कौन थानेदार है, इस तहसील में कौन तहसीलदार है, इस जिले में कौन जिलाधीश है। जब किसी जिले में कोई विपत्ति आती है तो वहीं से बैठ कर पता चल जायगा और शाम तक सारे प्रदेश का चक्कर लगाकर सारे प्रदेश की स्थिति की जानकारी करके लौट आया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रदेश में अगर कोई पहाड़ से चलता है तो लखनऊ वह दूसरे, तीसरे दिन आ पाता है। तो जहां पर इतनी दूरी हो वहां पर ठीक से व्यवस्था पूरे प्रदेश की नहीं हो सकती, न उनको समझाया जा सकता है और न किसी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा सकता है। फिर हम उनकी भाषा नहीं समझते, उनकी भौगोलिक स्थिति हमारी स्थिति से भिन्न है। तो सारे प्रदेश का एक साथ विकास कैसे हो सकता है। इन सब बातों को मद्देनजर रख कर मैं यह चाहूंगा कि विष्ट जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसे माना जाय और तुरन्त इसको कार्यान्वित किया जाय।

श्री मुईद अहमद–

अधिष्ठाता महोदय, विष्ट जी ने जो संकल्प रखा है उससे एक तरफ से उत्तेजना अपने आप पैदा हो जाती है और माननीय रियासत जी ने जो प्रश्न उठाया है उससे भी मन पर असर पड़ता है। मेरा एक निवेदन है कि यह नियमों के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार को अथवा किसी को भी अपने प्रदेश का विभाजन करने का अधिकार नहीं है। जब हमको उसका नाम परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है तो इस प्रकार का संकल्प प्रस्तुत करने से मेरा विचार है कि शायद इस सदन का समय बरबाद किया जा रहा है। देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे शक्तिशाली प्रदेश है और जब इसका नाम लेते हैं तो गौरव महसूस होता है लेकिन अगर इसको खंडित किया जाता है तो इसकी गरिमा तथा बड़प्पन को गिराना है और खंडित करने से प्रदेश का नुकसान ही होगा। फिर अगर उत्तर प्रदेश के खंडित करने की बात कुछ लोग करते हैं तो करने को कुछ लोग देश को तोड़ने की बात भी करने लगेंगे और इस देश के खंडित करने का संकल्प भी आ सकता है। अगर देश की एकता को बनाये रखना है तो उसके लिए हमारी नेता इन्दिरा गांधी काफी सक्षम हैं और वह ऐसा कभी नहीं होने देंगी। इस प्रदेश को तोड़ने के पीछे भी एक राज है और यह है कि विकास तभी हो सकता है जब प्रदेश को खंडित कर दिया जाय। वास्तव में यह सोचना कि खंडित करने से विकास संभव है गलत है। इससे तो और भी पिछड़ जायेंगे। पिछड़े हुए इलाकों को आप प्रगतिशील इलाकों से हटा लेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि आप विदेश में हैं। और जो प्रदेश में तरक्कीयाफ्ता स्थान हैं उनसे आप वह लाभ नहीं ले पायेंगे। कांग्रेस शासन की नीति

[श्री मुईद अहमद–]

रही है, हमारी शासन की नीति रही है कि इस प्रदेश के हर स्थान का समान विकास हो और जो ऊंच नीच की खाई है वह पूरी हो और इसीलिए जो संकल्प आया था कि पूर्वांचल विकास निगम बने उसमें भी यही कहा था कि विकास होना चाहिए लेकिन तरीका होना चाहिए। मत मैंने इसलिए विरोध में दिया है कि आपने गलत रास्ता अपनाया था । उत्तर प्रदेश को खण्डित करने से मैं समझता हूं कि हम लोगों में गिरावट आयेगी और जो लाभ मिलने वाला है वह भी हम को नहीं मिलेगा। आज प्रदेश के वे स्थान जो पिछड़े हुए हैं उन को सुधारने के लिए कोशिश की जाय, ठीक से कोशिश की जाये। प्रदेश को तोड़ने से, खण्डित करने से मैं समझता हूं कि हम लोगों का गौरव गिरेगा, घटेगा। इसलिए मैं इस संकल्प का घोर विरोधी हूं ।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)–

मैं अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज प्रदेश को खंडित करने की बात की जा रही है। बात खंडित करने की नहीं है बात है पुनर्गठन की, बात है विकास की, किसानों, गरीबों के विकास की। आज अगर आप देखें एक पंजाब, वह भी जो पश्चिमी पाकिस्तान से विभाजित होकर केवल 13 जिले थे, उसके 3 प्रदेश बन गये और वह प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है । आज हमारे प्रदेश की आमदनी फी व्यक्ति 800 रुपया है और पंजाब की 18 सौ। हमारे माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में एक पुनर्गठन आयोग बना था उस में भी आयोग के 3 सदस्यों में से एक सदस्य की यह राय थी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होना आवश्यक है विकास के दृष्टिकोण से । मिसाल के तौर में आप को बताऊं आज हमारा प्रदेश लगभग 57 जिलों का है लेकिन मुख्य मंत्री जी को सब जिलों के सभी पुलिस अधीक्षकों का नाम भी याद नहीं होंगे। कोई घटना हो जाती है तो पहुंच नहीं पाते, दुर्घटना होती है, कोई सुनता नहीं है। आज प्रश्नोत्तर काल में 5 मिनट दिए जाते हैं और 421 सदस्यों में से कितने समय पाते हैं प्रदेश की परिस्थितियों पर बोलने के लिए, क्या कुछ मिलता है । आज सिंचाई की हालत क्या है, केवल 30 प्रतिशत । 70 साल लगेंगे इस प्रदेश को शतप्रतिशत सिंचाई के लिए । आज आप शिक्षा की दृष्टि से देखें, 21 प्रतिशत है। कितने वर्ष और लगेंगे इस प्रदेश को शिक्षित करने में । सवाल खण्डित करने का नहीं है, टुकड़े करने का नहीं है सवाल है देश का, प्रदेश का विकास हो, इसके पुनर्गठन का सवाल है । जो निर्बल हो चुके हैं, निकम्मे हो चुके हैं उनको मजबूत करने की जरूरत है। आज जो अफसरशाही छायी हुई है इस प्रदेश में उसके लिए जरूरत है इस प्रदेश के पुनर्गठन की । आज किसी भी जरूरत के लिए हमारा मन करता है, काम सही है लेकिन हम सत्ता के नशे में चूर हैं और कुछ नहीं करते । हमारा निश्चित मत है कि अगर इस प्रदेश का पुनर्गठन किया जायेगा तो इसका विकास होगा।

आज हमारे पर्वतीय विकास को देखिए, गरीबी घुटने तक नहीं, सिर तक है। आज हमारे प्रदेश के गरीबों के पास लगोंटी नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कारण उसका यही है कि राजनीतिक शिकंजा कम है। मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती। 11 बार सदस्यों के कहने और मंत्रियों के लिखने पर फाइल नहीं भेजी जाती है । आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं । यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है । मेरा निश्चित मत है कि जो बिष्ट जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि प्रदेश का पुनर्गठन किया जाय, मैं उससे सहमत हूं और यह कहना चाहता हूं कि उसके लिए एक आयोग बनाया जाय ताकि उसमें बहुत से जो विद्वान लोग हैं, वह उसमें रखें जायं ताकि वह अपना मत दें कि इसमें क्या होना चाहिए? पिछले 33 वर्षों में केवल एक मुख्य मंत्री ऐसा हुआ है जिसने 5 वर्ष पूरे शासन किया । इसका कारण भी राजनीतिक पिछड़ापन है । इस राजनैतिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी है कि इस प्रदेश का पुनर्गठन हो जाय । जिलों की हालत देखें । ब्लाक स्तर के बी. डी. ओ. अधिकारी, तहसील स्तर के अधिकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अपनी मनमानी कर रहे हैं । कोई गरीबों की सुनवाई नहीं है, निर्बल वर्ग और मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं है लेकिन यहां मंत्रि मण्डल के कानों पर जूं नहीं रेंगती । इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय यह मेरा निश्चित मत है और मैं माननीय बिष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए ।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बिष्ट जी के संकल्प पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, बिष्ट जी ने जो अपना संकल्प रखा है उसमें यह भी नहीं बताया उन्होंने कि जो पूरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा, इसकी चौड़ाई, यह किस प्रकार से प्रगति में बाधक है, यह चीज इन्होंने स्पष्ट नहीं की । अगर इसकी सीमा और बड़प्पन को लेकर माननीय बिष्ट जी ने अपना संकल्प रखा है तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से बिष्ट जी को बताना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर उत्तर प्रदेश से बड़े और भी प्रदेश हैं जैसे-मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र । जब कि हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल 2.04 लाख वर्ग किलो मीटर है यानी हमारे देश के अन्दर इससे बड़े प्रदेश मौजूद हैं । बिष्ट जी कहेंगे कि आपने देश की बात कह दी, बिदेश की बात नहीं बतलाई तो इसमें अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को भी बताना चाहूंगा और माननीय बिष्ट जी को भी बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में एक प्रदेश है कैलीफोर्निया जो कि हमारे प्रदेश से बड़ा है और आस्ट्रेलिया में एक प्रदेश है क्वीन्सलैंड नाम का जो कि हमारे प्रदेश से बड़ा है। वैसे तो अगर देखा जाय तो आज के इस आधुनिक युग के अन्दर दूरी कोई महत्व नहीं रखती है। मैं अध्यापक हूं, इन्टर क्लासेज को पढ़ाता हूं, उनको अंग्रेजी में एक पाठ पढ़ाता हूं, आप सुन तो लें। जो चीज मैं इस सदन में कह रहा हूं वह सुन लें। इसके अलावा, मान्यवर, मैं आपको बता रहा था कि पुराने जमाने के बारे में लेखक महोदय लिखते हैं कि स्काटलैंड में बैठा हुआ आदमी उस जमाने में इंग्लैण्ड से काफी दूरी पर था लेकिन आज भारतवर्ष के अन्दर बैठा हुआ आदमी स्काटलैण्ड से दूर नहीं है। अर्थात् इस वैज्ञानिक युग में जब हमारे पास हवाई जहाज हैं, और यान हैं, जिन से तेजी से चलते हैं, तो दूरी कोई महत्व नहीं रखती है ।

इसके अलावा एक चीज और है। हमारे प्रदेश की सीमा विवाद कोई नहीं है । अगर कोई विवाद की बात होती, सीमा विवाद है उत्तर प्रदेश में, तो जरूर यह बात होती कि माननीय बिष्ट जी का संकल्प कुछ माने रखता । सीमा विवाद है इसलिए इस का फिर से सीमांकन किया जाय, इस का आवंटन किया जाय, इस को बांट दिया जाय । मान्यवर, यहां की सीमा बहुत ही स्पष्ट है । इस के अलावा हमारा पड़ोसी चीन है और यह देखा जा चुका है कि उस का कई बार हम से युद्ध भी हुआ है और हमारी सीमा उससे मिली हुई है । अगर हम छोटे छोटे अपने प्रदेश के टुकड़े कर दें तो माननीय विष्ट जी हम कभी भी उन क्षेत्रों की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। देश के हित में यह नहीं है। गंगवार जी, समझ लीजिए।

इस के बाद अगर हम इतिहास को देखें, चाहे वह रोमन इम्पायर हो, चाहे इस देश के इतिहास को उठा कर देखें, जहां छोटी-छोटी रियासतें किसी देश के अन्दर रही वह देश गुलाम रहा। और जब से इस के अन्दर बड़े-बड़े भाग हुए, हमारा देश एक सार्वभौम सत्ता में आया, हम ने यह देखा कि हमारा देश मजबूत होता चला जा रहा है और विदेशी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा–]

इसके अलावा एक बात मुझे बहुत जरूरी कहनी थी। व्यय बढ़ जायगा। मान्यवर, देश की पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, वह इतनी ठोस और मजबूत होती है कि उनका बटवारा नहीं हो सकता, वह इनडिविजुअल है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं के टुकड़े कर दें तो फिर क्रियान्वित नहीं हो सकती है, उनका सही प्रकार से क्रियान्वयन नही हो सकेगा ।हमारे यहां भाषा विवाद भी नहीं है जो राज्य का बंटवारा होता । ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि भाषा विवाद इस प्रदेश मे उठ खड़ा हुआ है ।

एक बात विष्ट जी ने जरूर कही। मान्यवर, उन्होंने कहा कि पहाड़ के लोग बड़े दुखी हैं, गरीब हैं। माननीय गौरी भैय्या ने कहा कि पूरब में बड़ी गरीबी है, परेशानी है। आप प्रदेश के समस्त भागों में घूम कर देखें आपको अधिकांश भाग गरीब और परेशान मिलेंगे। इसको मैं एक शेर में कहे दे रहा हूं। माननीय बिष्ट जी सुनिये, माननीय गौरी भैय्या आप भी सुन लें—

अपना गम कोई भूल कर देखे, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे,
दश्त हो या कि सहने गुलिस्तां, हर जगह बेसहारा मिलेंगे।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मैं आप का अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस विवादास्पद विषय पर बोलने का अवसर दिया।

इस सदन में कुछ माननीय सदस्य बहुत ज्यादा आतंकित सा महसूस कर रहे हैं। मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आतंकित होने की कोई बात नहीं है। इस तरह के प्रश्नों पर पूरे भारत के अन्दर विचार अभी तक जारी है।

(इस समय 4 बजकर 22 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जिसको आप उत्तर प्रदेश कहते हैं यह उत्तर प्रदेश अंग्रेजों का बनाया हुआ संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध था। इस में आजादी के साल भर के बाद रामपुर और दो साल के बाद टिहरी रियासत का विलीनीकरण हुआ। बनारस का तो इस में पहले से समावेश समझे। अंग्रेजों ने जो भारत की उस समय इकाइयां बनायी थीं वह अपनी सुविधा के लिए बनायी थी उसको गलत समझकर भारत सरकार ने पुनर्गठन आयोग बनाया और राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी जिसमें कि के0 एम0 पणिकर साहब थे, यह अभिमत प्रकट किया था कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर दिया जाना चाहिए। मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी तीन साल पहले राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दी जानी चाहिए। मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने इस संकल्प को रखा था और इलाका में भी मेरी जीत हुई थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह पेश नहीं हो पाया। आज मैं बेहद प्रसन्न हूं कि यह प्रस्ताव यहां पर आज लाया गया है।

मान्यवर, मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि बदरीनाथ से सारनाथ तक पूरा प्रदेश हमारा है और कन्याकुमारी से काश्मीर तक पूरा देश हमारा है। हमारे बहुत से माननीय सदस्य आतंकित हैं कि उत्तर प्रदेश बंट जायेगा तो इस तरह से वह एक देश बनने जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि सितम्बर के महीने में जब पहाड़ पर उत्तरकाशी में धान की फसल काटी जाती है उस समय बनारस में रुपाई का काम होता है और आजकल मैदान के क्षेत्रों में गेहूं

की फसल काटी जा रही है तो हमारे यहां जून के आखिर में गेहूं की फसल काटी जायेगी। जून के महीने में मैदान में आम समाप्त हो जाते हैं और पहाड़ पर जुलाई में आम का पकना शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ के अन्दर बैठने वाले जो इन मंत्रियों के सलाहकार नौकरशाह हैं वे किसी की नहीं सुनते हैं। बनारस गये जहां धान की रोपाई होती है तो कहते हैं कि अभी मत करो। उत्तरकाशी में गेहूं की कटाई होने लगती है तो कहते हैं कि अभी मत करो। जो इनके सलाहकार कह देंगे, वही यह सरकार करती है। इतना बड़ा राज्य हो गया है कि इसके अन्दर कितने ही मेधावी मुख्य मंत्री आये, वे कुछ नहीं कर सकते, सम्पूर्णानन्द जी आये, जो चांद और सितारों को भी गिनते थे उनको भी यहां के आयुक्तों के नाम याद नहीं थे। किस तरह से इतने बड़े प्रदेश का विकास हो सकता है?

मान्यवर, तीन चीजें हैं जिनकी वजह से जरूरी है कि पृथक पर्वतीय राज्य का निर्माण किया जाय। पहला तो है कि प्रशासनिक इकाई को चुस्त करने के लिए अलग से राज्य होना चाहिए। आज हमारा इतना बड़ा सूबा हो गया है कि इसके अन्दर कोई मुख्य मंत्री अपने जिलाधीशों का नाम याद नहीं रख सकते हैं विधायकों का नाम याद नहीं रख सकते हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी इतने बड़े सूबे के अन्दर होने वाले प्रतिदिन की घटनाओं पर दखूबी अंकुश नहीं रख सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि योजना के व्यावहारिक स्वरूप को गठित करने के लिए आवश्यक है कि पहाड़ों के लिए अलग से योजना उन लोगों द्वारा बनायी जाय जो पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मान्यवर, मैं पिछले 40 वर्षों से पहाड़ों के अन्दर घूम रहा हूं। लेकिन फिर भी मुझे दर्द होता है कि यह कहते हुए कि मैंने अभी टेहरी और उत्तरकाशी के पूरे जिले नहीं देखे हैं – बरसात में भी घूमा हूं और जेठ की दुपहरी में भी घूमा हूं फिर भी पूरे जिले नहीं देख पाया हूं। मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र ऋषिकेश से केदारनाथ की सीमा तक लगता है। यह इतना लम्बा चौड़ा क्षेत्र है कि यदि हम लगातार 3 साल रोज चलते रहें तो देवप्रयाग असेम्बली निर्वाचन क्षेत्र को पूरा नहीं घूमा जा सकता है। क्या आप कहते हैं कि जनता के दु:ख-दर्द को कहीं अभिव्यक्ति न मिले और क्या आप चाहते हैं कि जिलाधीश जो भी लिखकर भेज देते हैं, वही हो तथा उसी को अभिव्यक्ति मिले?

मेरे क्षेत्र में दोगी पट्टी में हैजा फैला, डाक्टर वहां जाने के लिये तैयार नहीं थे, जिससे बीमारी ने भयानक रूप ग्रहण किया। जब मैंने उस ओर यहां स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया तो स्वास्थ्य मंत्री जी, जो अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखते हैं, ने कहा कि हर जगह डाक्टरों को नहीं भेजा जा सकता है। यदि शासन जनता की मुसीबत के समय डाक्टर नहीं भेज सकता है तो ऐसे शासन को बदलना चाहिए, इस तरह की प्रशासनिक इकाइयों को बदलना चाहिए और इस तरह की सारी व्यवस्था को बदलना चाहिए। यह जो वहां की पर्वतीय राज्य की मांग है, उसके पीछे दो किस्म के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं जो केवल अपने लाभ और स्वार्थ के लिये उस राज्य को बनाना चाहते हैं। जिसमें से कुछ लोग चाहते हैं कि छोटी सी प्रशासनिक इकाई हो ताकि हम लोगों को चूने के पत्थर का लीज असानी से मिल सके, कुछ लकड़ी के मालदार लोग चाहते हैं कि हमको लकड़ी का ठेका आसानी से मिले और हमें लखनऊ में जाकर मुख्य मंत्री के आगे पीछे न घूमना पड़े और हम लोगों को यह न सोचना पड़े कि मुख्य मंत्री जी के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा है। यह लोग यही चाहते हैं कि किसी तरह से यह प्रदेश बने और हमें यहां का पानी और लकड़ी आदि लूटने का अच्छा अवसर मिले। दूसरी किस्म के वे लोग हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस पर्वतीय क्षेत्र का अधिकाधिक विकास हो, वह क्षेत्र आत्मनिर्भर बने और वहां की जनता को जीवन की आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हों, उनके दु:ख-दर्द दूर हों। हम वह हैं जो सारनाथ को और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को और

[श्री विद्यासागर नौटियाल–]

अपने उस पहाड़ी क्षेत्र को एक समान नजर से देखते हैं। हम आपसे यह चाहते हैं कि आप पहाड़ के अन्दर उस अधिकारी को रखें, उस योजना अधिकारी को रखें, उस सेवक को रखें, जो पहाड़ के अन्दर जाने की सामर्थ्य रखता है और जो उस क्षेत्र के विकास में रुचि रखता हो। इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने पहाड़ नहीं देखे हैं। जिन्होंने देखा है, नैनीताल देखा है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया और संवारा है। मैं भी एक बार वहां गया था, तो मैं भूल गया था, जैसे अन्य तमाम लोग भूल जाते हैं कि हम आखिर कहां हैं। बेनिस में हैं, वियना में हैं या कहां हैं। मेरे साथ मेरे यहां लोग चलें, टिहरी में चलें, वहां आप लोग एक बार घूम जाय तो फिर आपको विचार बदलना पड़ेगा और यह कहना होगा कि यहां के लोगों को ही यथाशीघ्र यहां का सम्पूर्ण शासन सौंप दिया जाये, जो यहां की धूल फांक सकते हैं और यहां का नवनिर्माण कर सकते हैं।

तीसरी बात सांस्कृतिक एकता की बात है। इसके नाम पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। फिर भी गढ़वाली नाम की बोली और कुमायुंनी नाम की बोली में कोई पढ़ाई नहीं होती है। जबकि इन बोलियों के अन्दर बड़े-बड़े साहित्य का भंडार मौजूद है, लेकिन इस क्षेत्र में हम 10–12 विधायक लोगों की कोई आवाज नहीं सुनी जाती है। हमारे नाम पर आल इण्डिया रेडियो का स्टेशन नजीमाबाद, जिला बिजनौर में खोला जाता है और जो लोग दूसरे की औरतों को नचाते हैं, वे इनका संचालन कर रहे हैं और वह इसके नाम पर गढ़वाल कुमायूं की संस्कृति के विकास की बात कहते हैं। इन लोगों द्वारा और इस तरह से गढ़वाली और कुमायुंनी संस्कृति आगे बढ़ नहीं सकती है, उसका विकास हो नहीं सकता है। इसी आप उनको सौंपिये जिनके पास अपनी संस्कृति, इसके विकास में बाधक है। मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूं। यदि कोई व्यक्ति भाषा और बोली के विकास करने की शक्ति है। कहा जाता है कि इस प्रदेश की दूरी डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से हार गया तो उसको इलाहाबाद जाना पड़ता है। वहां से इलाहाबाद इतनी दूर जाना वहां के लोगों के लिए सम्भव नहीं होता है, जिसके कारण 70 परसेंट लोग वहां से हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं।

हमको रेलवे कंपंस फ्री मिलती है। हम अपने घर जाने के लिए जैसे ही रेल छोड़ते हैं, हमें कोई रोडवेज की बस नहीं मिलती है, ज्यादातर बसें खराब पड़ी रहती हैं। जिससे हमें अपने क्षेत्र में जाने के लिए करीब 30 रुपया प्राइवेट बस से अपने पास से खर्च करना पड़ता है। हम अपने क्षेत्र की जनता का दुखदर्द समझना चाहें तो कैसे समझें? हम देश का विकास करना चाहते हैं तो वहां की गरीबी मिटाने के लिए, वहां के साधनों का उपयोग करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। यह असम विकास है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। उसका करेक्टर यह होता है कि आगे बढ़े हुए इलाके और आगे बढ़ें, उनको और आगे बढ़ाओ और जो छूट गये हैं उनको छूट जाने दो। इसलिए बुन्देलखण्ड को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों को कोई पूछने वाला नहीं है, रायबरेली और प्रतापगढ़ का भी वही है जो हाल टिहरी के देव प्रयाग का है और भी इसी प्रकार के कुछ इलाके हैं। तो इस असम विकास का एक मात्र हल समाजवाद में ही होता है।

हमारे यहां पर बहुत सी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां हैं जैसे हिमांचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। पूर्वी भारत के अन्दर भी असम और नागालैण्ड थे। पहले एक असम था। फिर उसमें मणिपुर, त्रिपुरा राज्य आसाम को तोड़ कर बना दिये गये। क्या हमने बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग-अलग करके कोई देशद्रोह किया है? तो इस तरह का इलजाम लगाना कहां तक उचित होगा। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कर दिया गया तो अलग से भवन बनाने पड़ेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा जुल्म हो जायेगा। यों ही काफी बिल्डिंगस बन रही हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस ओर ज्यादा जिम्मेदारी है और उसे इस बारे में पहल करनी चाहिए। कांग्रेस के विधायकों तक ने कहा है कि

पृथक पर्वतीय संगठन के बिना वहां का विकास नहीं हो सकता है। अगर पहाड़ की लूट को हमें बचाना है तो अलग से 8 जिलों की एक प्रशासनिक इकाई कायम करनी होगी। मैं तो यह भी कहता हूं कि बाकी उत्तर प्रदेश को भी हम ठीक तरह से पुनर्गठित करें। झांसी एक दम मध्य प्रदेश की सीमा में लम्बित है। सारन और बलिया में क्या अन्तर है? यदि पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जिनकी भाषा और संस्कृति का आधार एक है उसकी एक पृथक इकाई बना दी जाय तो क्या यह उचित नहीं होगा? इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे माननीय विष्ट जी के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय विष्ट जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया उस पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

माननीय विष्ट जी ने जो प्रदेश को 4 खंडों में बांटने का संकल्प रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं माननीय विष्ट जी सठिया तो नहीं गये हैं कि उत्तर प्रदेश में पैदा होकर उसका बंटवारा कराना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमारा प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और दिल भी है। तो क्या एक दिल को 4 खंडों में बांटा जा सकता है। मैं माननीय सदस्य के सूचनार्थ बताना चाहती हूं कि अयोध्या में राम और मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था तो क्या राम और कृष्ण को बांटा जा सकता है? इसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध और कबीर जी का जन्म हुआ था तो क्या उन लोगों को बांटा जा सकता है? जो प्रदेश के बंटवारे की बात कही गयी है यह बिल्कुल ही गलत बात है। इसी प्रदेश में आपका भी जन्म हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि जो उत्तरदायित्व आपका है, वही मेरा है। हम दोनों मिल कर सरकार को सुझाव दें। हमारी सरकार प्रदेश की तरक्की और इसके उत्थान की योजना में लगी है। और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कई योजनायें बनायी हैं। एक दूसरे की आलोचना मैं बहुत दिनों से सुनती आ रही हूं, पर यह अच्छी चीज नहीं है, हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बार-बार आलोचना यहां सदन में हुई है, लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहती हूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वास्तव में राजा हरिश्चन्द्र हैं.... (व्यवधान) कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत लांछन नहीं लगा सकता। ऐसे व्यक्ति की आलोचना करना गलत है.... (व्यवधान) हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखतीं, और अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिये सदा अग्रसर रहती हैं। माननीय विष्ट जी ने जो बंटवारे का अपना संकल्प रखा है उसका मैं घोर विरोध करती हूं। एक परिवार में भी अगर 4 लोग हैं, जब तक वे मिल कर रहते हैं वह परिवार सुखी सम्पन्न बना रहता है, जब उस परिवार के लोग अलग-अलग हो जाते हैं उस परिवार का सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए इस संकल्प का मैं घोर विरोध करती हूं। ऐसा लगता है माननीय विष्ट जी अपना विवेक खो बैठे हैं और सठिया गये हैं। मैं फिर यह कहती हूं कि उत्तर प्रदेश का 4 हिस्सों में बंटवारा न किया जाये और माननीय विष्ट जी अपने प्रस्ताव को वापस लें।

श्री यदुनाथ–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या अब भी राजा और रानियां चल रही हैं, क्या माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह कहा जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

हर आदमी को यह छूट है कि वह किसी को किस नाम से पुकारे, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी]–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह जो संकल्प माननीय विष्ट जी ने रखा है, इस पर यह लोग अपने में ही इतना विरोध करते हैं कि जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी टूट जायेगी और लोग यह कहने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिये इस संकल्प को कबूल करके, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाये ताकि 4 मुख्य मंत्री बन सकें और जो आपस में द्वन्द चल रहा है वह खत्म हो सके। मान्यवर, पूर्वांचल के विकास के लिए आज संकल्प आया था, आप जानते हैं, आपका क्लाश चल रहा है, कल के बाद नहीं चलेगा, बहुत बड़ा प्रान्त है। माननीय मुख्य मंत्री जी, और मंत्री लोग डरते रहते थे कि क्लाश चल रहा है, पकड़ जायेंगे, नहीं तो अब रंगरेलियां मनायेंगे और देहरादून तथा अन्य जगहों पर रंगरेलियां मनायेंगे। इतना बड़ा प्रान्त है कि विश्व में छठा नम्बर इसका आता है। जब तक यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण, प्रान्त का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, तब तक हम लोगों को बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा संकल्प पूर्वांचल और पहाड़ के लिए आता रहेगा। मान्यवर, हरियाणा है, जब बंटवारा हो गया, तो वहां पर छोटा सा राज्य बन गया। देखिये, उसने कितनी तरक्की की है। देवरिया, गोरखपुर, बलिया 25सों जिले को मिला कर एक राज्य कायम कर दिया जाय। विकास की दृष्टि से वहां का बंटवारा जरूरी है। पूर्वांचल की सारी कमाई पश्चिम में जाकर लगती है। चारों तरफ कल कारखाने दिखायी पड़ते हैं। 34 साल तक आप गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली का विकास करते रहे। लेकिन देवरिया के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए कभी नहीं सोचा। त्रिवेणी राय हमेशा चिल्लाते हैं कि उनके यहां का ऊसर ठीक नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

माननीय सदस्य का प्रोपोजल इसीलिए है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री त्रिवेनी राय बनेंगे।

श्री कुबेर भंडारी–

मान्यवर, त्रिवेनी राय अगर मुख्य मंत्री हो जायेंगे, तो वहां के ऊसर को ठीक करा लेंगे।

श्री त्रिवेनी–

यहां तो दो ही आदमी हैं, उधर आप हैं, इधर हम हैं।

श्री कुबेर भंडारी–

अगर पौड़ी गढ़वाल की तरफ बढ़ जाइये तो वहां तो मंत्री लोग जा ही नहीं पायेंगे। वे देखेंगे ही नहीं कि प्रान्त में क्या होगा। जब सदन बन्द हो जायगा, तो नौकरशाही राज्य छा जायगा और मंत्री लोग रंगरेलियां मनायेंगे। ये मस्ती से घूमते रहेंगे। अब आपका क्लाश खत्म होने जा रहा है। देश का लम्बा प्रान्त होने के कारण ये लोग ध्यान नहीं दे पायेंगे। आई0ए0एस0 लोग जानते ही नहीं हैं कि कौन जिला कहां पर है। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि पूर्वांचल का अवश्य बंटवारा करें। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का झगड़ा लगा हुआ है, इसको भी आप समाप्त कर देंगे।

मान्यवर, पहले तो मैं बंटवारा इसलिए चाहता हूं कि इनके दल में मुख्य मंत्री के लिए बहुत द्वन्द चल रहा है, अगर प्रान्त 4 भागों में बंट जायगा, तो इनके चार मुख्य मंत्री हो जायेंगे। इनकी पार्टी टूटने नहीं पायेगी और इनकी पार्टी टूटने से बच जायगी। एक दिन समय आयेगा कि पूर्वांचल के लोग मांग करेंगे, जन विद्रोह होगा, तो यह आवश्यक है कि इस प्रान्त को 4 भागों में बांट दिया जाय, क्योंकि इस प्रान्त के हर भाग में भिन्न-भिन्न भाषायें और शैलियां भी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरदेव–

मान्यवर, आपने जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। माननीय विष्ट जी ने जो संकल्प रखा है, उनकी भावना जो हो उनकी जो मंशा है, उसकी ओर मुझे जाना है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश जो है मेरे देश की शान है और मेरे प्रदेश की जनता के लिये गौरव है और हमारी एक मर्यादा का सवाल भी है। साथ ही, माननीय विष्ट भाई की भावना जटिल है, उनका संकल्प तत्वहीन है। उन्होंने जो संकल्प रखा है उस को ठीक से समझा नहीं है। यह प्रदेश है और प्रदेश की तुलना शरीर से की जा सकती है। अगर शरीर का कोई अंग काट दिया जाय तो प्रदेश में कहां ऊसर है, कहां पथरीला है, कहां उपजाऊ है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहां ऊसर है, कहां पथरीला है, कहां उपजाऊ है, इस तरह से उत्तर प्रदेश में तरह-तरह की पैदावार और उपज होती है। एक छोर में पैदावार अगर नहीं होती है तो दूसरे छोर की पैदावार से उसकी व्यवस्था कर ली जाती है।

उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है जिसमें तरह-तरह की विभिन्न प्रकार की जातियां यहां निवास करती हैं। अगर इनके उद्देश्यहीन संकल्प को मानकर प्रदेश का बंटवारा करने की बात माननी है तो इससे अत्यन्त विषमता पैदा हो जायगी। इसलिये मैं विष्ट जी से अनुरोध करूंगा कि जो संकल्प उन्होंने रखा है, उसको वापस ले लें। साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की एकता, अखण्डता और गौरव को कम करने के लिये इसका विघटन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की विकास की गति इस समय बहुत तेज है और वह बहुत तेजी से विकास कर रहा है। माननीय विष्ट जी ने जो संकल्प रखा है वह इस प्रदेश को विकास के बजाय विनाश की ओर ले जायगा। इसलिये यदि वे अपना संकल्प वापस ले लेते हैं तो इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा।

*श्री यदुनाथ–

मान्यवर, मैं माननीय विष्ट साहब का बड़ा आभारी हूं, जो ऐसा संकल्प लाये अब चलते-चलते जब कि अब सत्रावसान होने वाला है भारत के संविधान का 44 बार संशोधन कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के लिये आप विवेकशून्य हैं, संख्या-सुर के आधार पर आप इसका विरोध कर रहे हैं। लखनऊ से अगर आप सीधे चले जायं बलिया, तो आप देखें। द्वाबा की भूमि है उ0 प्र0, बिहार के लिए विवादग्रस्त है, माननीय विद्यासागर नौटियाल जी ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी को आप भूल गये लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इनकी तस्वीर लगी हुई है।

ये राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह–राजा साहब–राजा और रानियों का देश–जिसको महाराजा और महारानी के पुत्रों ने काफी कुछ कर दिया है। जिसका जिक्र दीवान जर्मनीदास ने 'दी महाराजा', 'दी महारानी' पुस्तकों में राजा रानियां की रंगरेलियों के बारे में काफी लिख चुके हैं। यहां के मुख्यमंत्री विधान परिषद् के सदस्य बनाये जा सकते हैं लेकिन प्रदेश का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। देश का बंटवारा अंग्रेजों ने कराया था।

जिस समय अंग्रेज राज्य करता था तो उसने यहां से जाते-जाते तीन चार निकम्मे काम किये थे। एक तो मैकमोहन रेखा का, दूसरा पाकिस्तान का पूर्व और पश्चिम में बंटवारे का, तीसरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बड़ा कर देने का काम किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आप पर्वतीय अंचल के एक विधान सभा क्षेत्र का 3-4 वर्षों में भी पैदल चलकर एक चक्र नहीं लगा सकते हैं। मान्यवर, अभी इसके पहले पूर्वान्चल विकास आयोग संबंधी श्री नन्द किशोर सिंह के संकल्प पर श्री अम्मार रिजवी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यदुनाथ]
का व्हिप जारी हो गया और मत विभाजन के समय संकल्प, ट्रेजरी बेन्च की विवेक-शून्यता के कारण, गिर गया जबकि आम सदस्यों की एक ही राय रही। माननीय सदस्य श्री विष्ट ने इसी सदन में कहा था कि हमारी घर वाली 15 मील पैदल चलकर लकड़ी का बोझ लादकर घर आती है और खाना बनाती है। श्री कुबेर भण्डारी चाहे पढ़े लिखे न हों लेकिन फिर भी उनकी राय उत्तर प्रदेश की जनता के मुताबिक रही है।

मान्यवर, संसद में 1961 में श्री विश्वनाथ गहमरी ने पूर्वान्चल के पिछड़े और दरिद्रता के बारे में रो-रो करके जब करुण चित्रण किया था तो तत्कालीन प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू ने 1962 में पटेल आयोग का गठन किया था। उसकी संस्तुतियों को आप लागू नहीं करते हैं। तो आप पूरे राज्य का पुर्नगठन नहीं कर सकते हैं। आप तो विवेकशून्यता के कारण भारत के संविधान का चौवालिसवां संशोधन कर सकते हैं, मुख्य मंत्री यहां विधान परिषद् से रह सकते हैं। इसलिये निवेदन है कि जबकि हिन्दुस्तान के 15 राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं और केवल 7 राज्यों में हैं। यह विधान सभा देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, इसलिये आपको भी कुछ गौरव का काम करना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ऐसे संकल्प पर विवेक की बात करें और जो विष्ट के निहित राष्ट्रीय भावनाओं का ख्याल करें।

मान्यवर, पूर्वान्चल में जैसे कि विष्ट जी ने कहा है वैसे मिर्जापुर जनपद में 15-15 मील तक पैदल चलकर औरतें लकड़ी का बोझ बाजार लाती हैं और बुन्देलखण्ड जो डाकुओं का पूरा इलाका है . . .।

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिज्वी)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा है कि बुन्देलखंड और पूरा इलाका डाकुओं का है। तो क्या वहां सभी डाकू बसते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ के शब्दों से संसदीय कार्य मंत्री को काफी कष्ट हुआ वैसे उनके कहने की मंशा यह थी कि आजकल डाकू ज्यादा हो गये हैं ।

श्री यदुनाथ–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि बुन्देलखंड, जो डाकुओं से भरा इलाका है, के विकास के लिये सुझाव है कि पूर्वांचल के जो 15 जिले हैं उनको पश्चिम-उत्तर बिहार से लेकर एक अलग राज्य बनाया जाय और बुन्देलखंड के इलाके को मध्य प्रदेश के इलाके को लेकर अलग राज्य बनाया जाय।

(2) उत्तरांचल एक प्रांत के रूप में हो

(3) और दिल्ली केन्द्र शासित को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से मिलाकर एक प्रान्त बनाया जाय, तो देश की गरीबी दूर हो सकती है। इसलिये उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन पर सरकार विचार करे किन्तु आप विवेकशून्यता और संख्या बल (बहुमत) पर पुनर्गठन की बात नहीं मानते हैं ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह विवेक शून्य है यह संख्या सुर के आधार पर काम करते हैं। मान्यवर, जब प्रदेशों के बटवारे की बात आई थी श्री पनिकर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में सदस्य रहे पंडित जवाहर लाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे वे मेरी राय के मुताबिक रहे और सम्पूर्णानन्द जैसे मुख्य मन्त्री हमारे प्रदेश में रहे, गोविन्द वल्लभ पन्त रहे, पहाड के श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा रहे लेकिन क्या कारण है कि हेमवती नन्दन बहुगुणा, के0 सी0 पन्त आपके साथ नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के जितने महान विभूतियों के परिवार है वह आपके साथ नहीं है । आप अपने विवेक-शून्यता के कारण संख्या सुर के आधार पर विष्ट जी के संकल्प का विरोध करना चाहते हैं।

मान्यवर, सचमुच प्रदेश बहुत बड़ा है। 11 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को, वह प्रदेश जो दुनियां के अन्य दशों रूस और अमेरिका से बड़ा नहीं है, परन्तु दुनियां के सातवें देश के बराबर है। सत्तारूढ़ के लोग नेकनियती से राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश करते कि पूर्वी हिस्से को बिहार में, बुन्देलखण्ड को मध्य प्रदेश में और पूर्वांचल हिस्से को सीतापुर तक ले लें। अगर सीतापुर मध्य है तो मध्य को ले लें सीता जी बीच में आ जायं राम और लक्ष्मण के पता नहीं। अम्मार रिजवी साहब जाने सीता बीच में थी या बाहर। मान्यवर, 34 वर्षों की आजादी के बाद भी पूर्वांचल और पहाड़ों पर कोई विकास नहीं हुआ। मान्यवर, हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ में बना दिया, मेरठ में भी हाईकोर्ट की बेंच बनाने का विचार सरकार के पास है तो प्रदेश के पुनर्गठन का विचार जब आता है, जैसा विद्यासागर जी ने कहा न्याय का ख्याल करके, सस्ते खाद्य को देखकर, रोटी नहीं मिलती है इन सब बातों का ख्याल करके प्रदेश का पुनर्गठन करने में क्यों नही आप सोचते हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये जसवन्त सिंह द्वारा रखे गये इस संकल्प का सरकार को समर्थन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आबादी के घनत्व को देखते हुये कम से कम प्रदेश का पुर्नगठन होना चाहिए। मान्यवर, पूर्वान्चल के जो विधायक आये हैं जब मत देने की बात आती है तो उल्टा करते हैं। जब त्रिवेणी जी वोट लेने जायेंगे तो इनको भुगतना पड़ेगा जो यह उधर से जीत कर आये हैं। श्रीमती किशोरी शुक्ला जो बस्ती से आई हैं गिर्जापुर, गोरखपुर के विधायक हैं सब को भुगतना पड़ेगा। मान्यवर, पूर्वांचल में लोग रोटी नहीं पाते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोबर से निकला हुआ गेहू खाते हैं। मिर्जापुर के जनपद में चकबड़ की रोटी एवं महुआ तक की रोटी खाते हैं।

श्रीमती किशोरी शुक्ला–

माननीय उपाध्यक्ष जी, इनकी आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही है कि यह क्या बोल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि यह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह, आपके पास बहुत सारा मसाला बोलने के लिये है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके भाषण को कल भी चालू रखा जायेगा। यह बहस जारी रहेगी और आप कल फिर बोलेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनायें प्राप्त हुई और सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं। यह सूचनायें श्री सूबेदार सिंह, श्री हरिवंश सहाय, श्री मित्रसेन यादव और श्री बलबीर सिंह इत्यादि के द्वारा दी गयी थीं। चारों सूचनायें अस्वीकृत हैं।

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, एक तो स्वीकार करिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अगर स्वीकार कर भी लूं तो बयान नहीं आ सकता है।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981.†

[समय 5.5 बजे अपराह्न]

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†दिनांक 21 फरवरी, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री अम्मार रिजवी]

मान्यवर, यह एक बहुत छोटा सा संशोधन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा इस वजह से है कि इसमें जहां और संशोधन किये गये हैं वहीं पर जो लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त के कार्यालय पर जो खर्च आता है उसका बजाय कि बजट में प्राविधान करें और विधान सभा में उसके ऊपर चर्चा करें, उसको कंसालीडेटेड फंड से चार्ज किया जाय। उसको उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से उसका व्यय लिया जाय। इसका उद्देश्य यह है कि लोक आयुक्त इस कारण बनाये गये हैं, कि जो जन प्रतिनिधि हैं, पब्लिक के आदमी हैं उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच की जाय। जब उनके खर्चे का निर्णय जन प्रतिनिधि के द्वारा होगा, तो जो वह फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे तो उस निर्णय के ऊपर कुछ न कुछ असर हो सकता है। तो यह एक अदालत एक तरह की चीज है, इसको स्वतंत्र रूप से सारे अधिकार देने के लिये, निष्पक्ष होकर वह निर्णय लें, इन्क्वायरी कर सके, इस वजह से यह संशोधन पेश किया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि इस संशोधन को किसी प्रकार की प्रवर समिति की जरूरत है। यह संशोधन तो इतना सराहनीय है और खासकर माननीय रियासत साहब को खुशी होनी चाहिए कि लोक आयुक्त का जो ओहदा बनाया गया है वह पूरी तरह से स्वतंत्र रहे ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं है और इसे पारित किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा इसको पुट अप करते वक्त कहा गया है, इसका जो असल मकसद है वह अपनी जगह पर ठीक है। जो हमारे अंदर इन्क्वायरी कर रहा है उसका खर्च हमारे सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी वजह से मैंने इसे रखा। सन् 75 में ओरीजनली बिल यह पास हुआ। 75, 76, 77 का जो समय था वह एक विशेष वक्त था। 1976-77 में लोक आयुक्त बिल पास हो गया। जब मैं इसमें जो यह देखता हूं कि उस हालत में यह पास हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब को इसकी परिधि से क्यों निकाल दिया गया। जब ज्वाइंट रिस्पांसिविलिटी है, हाउस के अन्दर जितनी चीजें होती हैं, सूबे के अन्दर जितनी चीजें होती हैं उसमें चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी अम्मार साहब की है या किसी दूसरे मंत्री की है। तो इस तरह से अगर कोई विधायक या कोई मंत्री इसके अन्दर आ जाता है, तो आप उस पर जांच को शुरू कर देते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री इससे मुक्त है, ऐसा क्यों? इसके अलावा एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह कि मान लीजिये अगर मेरे खिलाफ कोई बात, कोई शिकायत भ्रष्टाचार की आती है और इसके लिए कोई आदमी मेरे खिलाफ कम्पलेन्ट करना चाहे, तो उसको पहले दो हजार रुपये देने होंगे, अगर वह इन रुपयों को दे नहीं सकता, तो वह कंप्लेंट नहीं कर सकेगा। दूसरी बात जब कोई माननीय सदस्य यहां चुनकर आया और उस माननीय सदस्य ने यहां यह शपथ ली ली कि मैंने इस बात की करायी खायी कि निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ समाज सेवा करूंगा, लेकिन कर रहा है इसके विरुद्ध, तो कहां सुनवाई होगी इन्हीं सब बातों के लिए लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का गठन हुआ था, कि पब्लिक खुले रूप में हमारी शिकायत कर सके, लेकिन आपने उसको बांध दिया दो हजार रुपया लगाकर। इसके अलावा एक व्यवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि जिस दिन से हम चुन कर आयें, उस दिन से हमारे ऊपर नजर रखनी चाहिए। कि जब हम चुनकर आये थे, तो हमारे पास कितनी चल और अचल सम्पत्ति थी और अब साल दो साल या पांच साल बाद कितनी सम्पत्ति चल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अचल के रूप में हो गयी। तो इसके ऊपर आपको निगाह रखनी होगी, हमारे कार्य-कलापों पर आपको नजर रखनी चाहिए।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, और बहुत सोचने की बात है कि अगर किसी माननीय सदस्य पर किसी प्रकार के कोई आरोप भ्रष्टाचार के या किसी भी प्रकार के लगते हैं तो हम लोगों को यहां हाउस में तो सब कुछ कह लेने और सुनने के अधिकार हैं। लेकिन जब हम सदन के बाहर जाते हैं, तो वहां कोई प्रिविलेज नहीं होता। जहां सारे प्रिविलेज खत्म हो जाते हैं, तो वहां कोई भी आदमी यह कह सकता है कि फलां एम0 एल0 ए0 भ्रष्ट है। तो उसकी उस बात की जो एक बाडी हमने बनायी है, उस तक उस आदमी को आसानी से जाने का पूरा मौका दीजिये खुले रूप में, बगैर किसी बन्धन और शर्त के। यह बात सही है कि जब लोक आयुक्त और उपायुक्त बनेगा, तो उस पर खर्च होगा ही। साथ ही आपसे यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी कर रहा है, उनके खर्चों को हमारे सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो वक्त सन् 1975, 76 और 77 में था, वह अब नहीं है। वह माहौल और हालात नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को पहले सदन के समक्ष न रखकर इसके प्रवर समिति को सुपुर्द परिचालित कर दिया जाए, जिस पर विचार हो, अपनी संस्तुति को शक्तिशाली बनाने के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कि हम क्या-क्या कार्यवाही कर सकते हैं। हम कहां-कहां कार्यवाही कर सकते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए हम चाहते हैं कि इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

5.3 पर यह शुरू हुआ था, इसके लिये आधे घन्टे का समय है।

श्री भीखा लाल–

उपाध्यक्ष जी, जिस उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी सदन के समक्ष इसे रखा, वह उचित मालूम होता है और उस भावना का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात जो माननीय रियासत साहब ने कही, उसका मैं जरूर समर्थन करता हूं और वह यह है कि जिस समय यह विधेयक बना था 1975 में उस समय देश का माहौल दूसरा था और उस माहौल के अन्दर आदमी को जबान खोलने की इजाजत नहीं थी और उसकी झलक इसमें भी मिलती है कि अगर किसी को जेनूइन कम्पलेन किसी की करनी है, कोई भी कम्पलेन्ट करना चाहता है तो 2,000 रुपये उसको जमा करना पड़ता है।

हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में कार्य करते हैं, राजनैतिक पार्टी से संबंधित हैं, हम सभी का फर्ज है कि हम तमाम जनता के सामने साफ रहें। अगर कहीं गन्दगी है, जनता अगर कहीं हमारे या आपमें गन्दगी समझती है तो ऐसा होने पर उस पर यह इमरजेन्सी नहीं लगनी चाहिये कि 2,000 रुपये जमा करो तभी कम्पलेन्ट करें।

आज जो परिस्थिति बनी हुई है सदन में या सदन के बाहर भी, और इस तरह की बात कहते हैं तो यह पाबन्दी उनको डिबार करती है। वह लोक आयुक्त के सामने तथा उप लोक आयुक्त के सामने जाकर उस बात को रख सकते हैं, इसलिये इस किस्म की पाबन्दी हटा देनी चाहिए। यह हम सब के एक्ष की बात है। हमको अपनी गन्दगी नहीं दिखाई देती है। तो जनता यदि हमारी गन्दगी को देखती है तो यह उसका अधिकार है कि हमें प्वाइन्ट आउट करें, उसको हर तरह से मौका मिलना चाहिये। इस उद्देश्य से मैं कहता हूं कि एक प्रवर समिति का गठन करके इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि यह पाबन्दी हटे कि दो हजार दोगे तभी कम्पलेन्ट कर सकोगे। मैं समझता हूं कि जितने भी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, अगर उनके खिलाफ

[श्री भीखा लाल]
कोई बात होती है तो जनता का आदमी स्वच्छन्द रूप से लोक आयुक्त के पास जाकर अपनी बात रख सके, इतना अधिकार उसको रहेगा। इसके साथ ही मैं इस विधेयक के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

उपाध्यक्ष जी, मैं श्री रियासत हुसैन साहब और माननीय भीखा लाल जी का बड़ी अनुगृहीत हूं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये। मान्यवर, इस संबंध में दो चीजें साफ हो गयीं कि इस बिल की उपयोगिता है। दूसरी बात यह है कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने खुद कहा है कि इस तरह कन्सालिडेटेड फण्ड से चार्ज करना ठीक है।

जो कुछ बातें उन्होंने और कहीं जैसे स्टेटमेन्ट के बारे में एक चल और अचल सम्पत्ति की बात कही। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों को एक स्टेटमेन्ट भर कर देना पड़ता है, वह चाहे विधायक हों या कोई भी हों, हर हाल में भरना पड़ता है। तो जो हमारी चल और अचल सम्पत्ति है वही तो उसमें भरी जाती है। उसमें कोई चीज बढ़ाने या घटाने से वह गजट होता है, सबके संज्ञान में वह बात आती है। तो इसका जहां तक ताल्लुक है, हम इसे पूरा कर रहे हैं।

पूरे प्रदेश के लिये, पूरे प्रदेश के हित के लिये कुछ अनुशासन हमें भी अपने ऊपर करना होता है। हमें यह देखना होगा कि हम किस तरह से उस अनुशासन का पालन करते हैं जिससे कि दूसरों को भी उससे मार्ग दर्शन मिल सके।

पर यह तो नहीं हो सकता कि हमारे सारे एक्ट जो हैं जैसे किसी हिस्ट्रीशीटर के लिये दफा 108 खोल दिया जाय और उसके बाद उसमें हमारी इन्ट्रीज होने लगें। तो मैं समझता हूं कि कोई भी सम्मानित सदस्य यह नहीं चाहेगा कि उसके लिये वहां एक रजिस्टर खोल दिया जाय या उसका वहां एक रजिस्टर खुले। अगर ऐसी बात होती है तो सबसे पहले एतराज यह होगा कि हम लोगों के आचरण तथा बोलने की आजादी पर रोक लगाई जा रही है। यह बात माननीय रियासत हुसैन साहब की तरफ से आये बड़े ताज्जुब की है। वह हमेशा राज काज के बंधन से आजाद रह कर विरोध पक्ष में बैठे हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि उन पर कोई रोक लगाई जाय। माननीय रियासत साहब के न जाने मैंने कितने सुझाव माने, वह भी गहराई से इस पर विचार करेंगे। भीखालाल जी और रियासत साहब दोनों दिल की गहराई से बात कर रहे हैं और यह मानते हैं कि यह ठीक है और ऐसा होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

जो मामला आप पेश करें, उसे अगर वह ठीक न समझेंगे तो कौन समझेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मुझे उम्मीद है कि वह मेरे सुझाव को मान लेंगे कि लोक आयुक्त को इस स्थिति में रखा जाय कि हमारे जो जन प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर वह कोई भी फैसला निष्पक्ष रूप से कर सके और कंसालिडेटेड फण्ड से यह चार्ज होना चाहिये ताकि राय देने अथवा निर्णय लेने में उस पर किसी तरह का असर न हो। कुछ वह अपनी अन्तरआत्मा की आवाज को सुनेंगे और इस प्रकार समिति के प्रस्ताव को अवश्य वापस ले लेंगे वरना यह समझा जायगा कि वह विरोध के लिये विरोध कर रहे हैं और उसका कोई भी मतलब नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने लोक आयुक्त के बारे में जो बातें कही उनमें कुछ कांट्रेडिक्टरी बातें कह दीं। एक तरफ वह लोक आयुक्त को इतनी आजादी देना चाहते हैं कि उसका बजट हमारे सामने पेश ही न हो और कंसीलिडेटेड फण्ड से वह चार्ज हो और दूसरी तरफ उसको इतना मशकूक समझ रहे हैं कि वह रिकार्ड खोले हर एम0एल0ए0

का अलग अलग। यह उचित नहीं है। हमको उस पर पूरा भरोसा करना चाहिये। दूसरी बात यह है अगर माननीय मंत्री जी उचित समझें तो जो हमारे रिटर्न जायं उनके लिये एक अवधि निश्चित हो जाना चाहिये और अगर कोई उस अवधि में अपना रिटर्न नहीं देता है तो वह डिसक्वालिफाई हो जायगा जिस प्रकार कि नियत समय के अन्दर खर्चा जमा न करने पर इलेक्शन कमीशन किसी को डिसक्वालिफाई कर देता है। उसी तरह से अगर चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा जब प्रतिनिधि लोक आयुक्त को नहीं देता है तो उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाय तब तो यह ठीक है। लेकिन यह मेनडेटरी नहीं है। गजट में छपता है लेकिन कौन गजट को पढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरे सुझावों का उत्तर देंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरी बदकिस्मती है कि माननीय रियासत साहब की बहुत सी बातें मेरी समझ में आ जाती हैं लेकिन मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आईं। मेरे समझाने में शायद कोई कमी है। मैं उन पर शुबहा कर नहीं सकता। रंग मुखतलिफ है, समझ का भी ऐसा ही मामला होता है। मैंने कहा था कि कर यहां बैठ कर हम सारे प्रदेश के लिये कानून बनाते हैं। हमारा आचरण एक एक्जेम्पलरी कंडक्ट होना चाहिए। हर चीज का कम्पलशन किया जाय और इस तरह की बात माननीय सदस्यों के लिये पैदा की जाय कि उन पर तलवार लटकी रहे कि आप यह कीजिये, उचित नहीं है। यह अनुशासन अपने ऊपर लगाना चाहिए, आचरण ऐसा बनाना होगा कि दूसरे लोग उसे देखें और जैसा आप कहते हैं आप कितना ही समझाते रहें मेरी समझ में नहीं आयेगा। लोक आयुक्त को किसी तरह शिकायत की नजर से देखें यह आप प्रोसीडिंग्स देख लें, मैंने ऐसा नहीं कहा, हमारा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिये जैसे कि कोई हिस्ट्रीशीटर होता है और उसका एक रजिस्टर खुल जाता है वैसे ही हमारा रजिस्टर लोक आयुक्त के यहां खुले। हमें अपने को खुद अनुशासित करना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी परिस्थिति में कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें लोक आयुक्त तक जाने की नौबत पैदा हो तो लोक आयुक्त निष्पक्ष होकर अपनी राय दे सके। आप स्वयं जानते हैं और रियासत साहब ने इकरार किया है कि जो यहां हम सम्मानित हैं सदन के बाहर तरह तरह की टीका टिप्पणी होती है। किसी तरह का प्रतिबन्ध, नियंत्रण शिकायतों पर नहीं होगा तो हर एक प्रतिनिधि के खिलाफ हजारों दरखास्तें वहां पहुंचेंगी और मान्यवर, अगर आप पूरे प्रदेश के स्टाफ को भी लोक आयुक्त के साथ लगा देंगे तो उनकी इन्क्वायरी नहीं हो सकती। तो जो जुमूइन है जिसमें वास्तव में ऐसी बात हो, वह जायेगा, रुपया जमा करेगा, उसकी एक सिन्टिटी होगी वरना माननीय रियासत साहब के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है, अब तो चल ही रही है बाद में देखा जायेगा।

(हंसी)

तो मैं समझता हूं कि हम इस प्रकार से जो चीजें रखी जा रही हैं, जो विधेयक है, संशोधन रखा जा रहा है, ऐसा है जिसके ऊपर प्रवर समिति में जाकर विचार हो, उचित नहीं है और मैं फिर उनके जमीर का वास्ता दूंगा और कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, इस को बड़े बेढब लोगों को डील करना होता है, इसलिये उस को डील करने के लिये इनको शक्ति मिले इस लिए मैं इस को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 1975 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (च) में उप खण्ड (1) में शब्द "अन्यायपूर्ण" के पश्चात् शब्द, "उत्पीड़क" बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया समझा जायगा;

(ख) खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) के प्रस्तर (ग) में शब्द "राज्य सरकार या किसी कम्पनी द्वारा धारित है" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा धारित है या कोई कम्पनी" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में उप धारा (3) में शब्द और अंक "जैसी धारा 2 के खण्ड (1) के उप खण्ड (4) में निर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द और अंक "जैसी धारा 2 के खण्ड (ञ) के उप खण्ड (5) में निर्दिष्ट है" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 7 में उप धारा (1) में खण्ड (3) में शब्द "किसी लोक सेवक से भिन्न" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले समझे जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 20 में शब्द "धारा 14 में निर्दिष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा" के स्थान पर शब्द "धारा 14 में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंसियों द्वारा" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे समझे जायेंगे।

नई धारा 20-क का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

व्यय का संचित निधि पर भारित होना

"20–क–एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोक आयुक्त या उप लोक आयुक्तों को या उनके सम्बन्ध में देय, वेतन, भत्ता और पेन्शन, उनके कर्मचारि-वर्ग और कार्यालय से सम्बन्धित व्यय और इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य व्यय उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होंगे।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

देश की वन सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध तथा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों को संसद द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

(समय 5.30 बजे अपरान्ह)

*पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"चूंकि इस विधान सभा परिषद् के विचार से नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन के विनियम द्वारा देश की वन सम्पदा के वनोन्मूलन की रोक-थाम करने और उससे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक सभी विषयों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भारत के लिए एक समान विधि का होना वांछनीय प्रतीत होता है;

और चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची-2 में प्रविष्टि-5 स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगम, सुधार प्रन्यास (विकास न्यास) जिला मण्डलों, खनिज-बसति-प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या ग्राम्य प्रशासन के प्रयोजन के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां (तथा प्रविष्टि-18) भूमि, अर्थात् भूमि में या पर अधिकार, भूवृति जिसके अन्तर्गत भू-स्वामी और किसानों का सम्बन्ध भी है, तथा भाटक का संग्रहण, कृषि-भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार, उपनिदेशन में प्रमाणित विषयों से संबंधित है;

और चूंकि संसद को उपर्युक्त सूची-2 की प्रविष्टि-5 तथा 18 में प्रगणित विषयों के सम्बन्ध में, भारत का "संविधान" के अनुच्छेद 249 तथा 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्यों के लिए ऐसी विधि बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और चूंकि इस विधान सभा/परिषद् को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि देश की वन सम्पदा के वनोन्मूलन की रोकथाम करने, नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निपातन और उससे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक और प्रासंगिक सभी विषयों का उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन संसद द्वारा विधि के माध्यम से किया जाय;

अतएव, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद, 252 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विधान सभा/परिषद् एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि देश की वन सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नागर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध अथवा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक सभी विषयों को संसद द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन किया जाय।"

श्री जयदीप सिंह–

मैंने एक संशोधन दिया था, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका संशोधन नियमों में नहीं आता लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयदीप सिंह–

श्रीमन्, यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें 3 प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं। पहला प्रश्न स्पष्ट है कि समस्त देश के लिए समान विधि वांछनीय है अथवा नहीं ? मान्यवर, मेरा कहना यह है कि यह बात सही नहीं है। देश की बात तो दूर प्रदेश में भी जलवायु के अनुसार, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न प्रकार की भूमि के अनुसार विभिन्न प्रकार के वन और वृक्ष पाये जाते हैं। कई जगह ऐसी होती है जहां वृक्ष अपने आप उगते और तेजी से बढ़ते हैं और कई जगह इनको उगने और बढ़ने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार इनके निपातन को रोकने के लिए भिन्न प्रकार की विधि से ही विनियमन वांछनीय है और समान विधि वांछनीय नहीं है। मैं इस प्रश्न का विरोध करता हूं। दूसरा प्रश्न इसमें यह है, जो संकल्प मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके पैरा 4 में है कि विधि संसद बनाये तो मान्यवर, इस प्रश्न का इसलिए विरोध करता हूं कि पहले ही केन्द्र के पास जो सेन्ट्रल की लिस्ट है उसमें 98 विषय हैं जिन पर वह कानून बनाते हैं। और प्रदेश के पास सिर्फ 62 विषय हैं। एक कन्करेन्ट लिस्ट है जिसमें दोनों के अधिकार हैं। उसमें 50 विषय हैं। इनके अन्तर्गत अगर केन्द्र सरकार कानून बनाती है तो वह राज्य के कानून के ऊपर होता है। इस प्रकार पहले ही 148 विषय ऐसे हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार पहले ही सक्षम है। वह विधान सभा की शक्ति से ऊपर कानून बनाती है। हमारे पास मात्र 62 विषय हैं। इस कारण से जो अधिकार आप केन्द्र को दे देंगे उससे जो प्रदेश का विकास है, जो प्रदेश का विकास करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रदेश में ही भिन्न क्षेत्रों में भिन्न स्थितियां हैं। वह और भी संकुचित हो जायगा।

तीसरा प्रश्न इसमें आखिरी पैराग्राफ में आपने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) में इस विधान सभा को शक्ति है कि हम ऐसे संकल्प को यहां पारित करें और ऐसा संकल्प केन्द्रीय सरकार को भेजें जिससे उसे वृक्षों के निपातन के विनियमन आदि का कानून राज्य के लिए बनाने का अधिकार हो। आप इसे गौर से देखें। यह अधिकार मात्र संकल्प पारित करने, कानून बनाने का नहीं है। यह बहुत विस्तृत है। इसके अनुसार हम यह संकल्प पारित कर जो संविधान की यह सप्तम अनुसूची है उसमें संशोधन कर रहे हैं। यह संविधान के संशोधन के बराबर ही है। संकल्प में अनुच्छेद 252(1) का हवाला दिया है। इसी अनुच्छेद 252 की उपधारा (2) को मैं पढ़ना चाहता हूं इसमें यह है "संसद द्वारा" इस प्रकार पारित कोई अधिनियम इसी रीति या अंगीकृत संसद के अधिनियम से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा, किन्तु किसी राज्य के संबंध में, जहां वह लागू होता है, उस राज्य के विधान मंडल के अधिनियम से संशोधित या निरसित न किया जाएगा।"

अब अगर हम यह अधिकार केन्द्र सरकार, संसद, को दे देते हैं कि वह इसे अधिनियमित करे तो उसके बाद हम कानूनन इस अधिकार को वापस लेने की शक्ति में नहीं रहेंगे। इस समय दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। कल की परिस्थिति भिन्न हो सकती है। इसलिए इस प्रदेश के अधिकार इस विधान सभा में, इस प्रदेश की जनता में, निहित रहें जैसे संविधान में दिये गये हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा संकल्प पारित न किया जाय और प्रदेश की जनता को, प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों को यह कहने का मौका न मिले कि अपने प्रदेश के अधिकारों को हमने छोड़ दिया। इसलिए मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इस संकल्प का मैं दो आधारों पर विरोध करता हूं। पहला आधार यह है कि जो सूची कान्स्टुएन्ट असेम्बली ने बनाई थी उस में बहुत सोच समझ कर वनों को राज्य के सुपुर्द किया गया था और इसलिए किया गया था कि राज्य अपने

सूबे में वनों का बिकास कर सकेगा। वन मानव जीवन से संबंधित है। जितनी वनस्पति का विकास होगा उतना ही आक्सीजन हमें मिलेगा, जितना कार्बन डाई आक्साइड हम बनायेंगे वह वनों को प्राप्त होगा। वन और मानव यह विकास के परस्पर पहलू है।

अब अगर केन्द्र का यहां विधान बन जायगा, केन्द्र को यह शक्ति अर्पित कर दी जाती है कि हमारे प्रदेश में कितने वन होने चाहिए, किस प्रकार का विकास होना चाहिए, केन्द्र की समवर्ती विषय यह बन जायगा तो केन्द्र इसमें अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । दूसरे सूबे को दरीयता दे सकता है । हमारे सूबे की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वन कम है और यह कहना कि वनों का जो निपातन है उस पर रोक हम नहीं लगा सकते हैं, मुझे आश्चर्य मालूम पड़ता है कि आखिर संसद कौन सी ऐसी बड़ी शक्ति है जिस के कारण संसद वनों के निपातन पर पाबन्दी लगा दे और यहां जो विधान मंडल है यह नहीं लगा पायेगी । यह एकदम ऐसी बात है जिसके लिए मंत्री जी के पास कोई तर्क नहीं है। वनों का विकास नहीं हो पा रहा है इसलिए इसे संसद को सौंप दिया जाय। यह प्रवृति जो है इससे मालूम पड़ता है कि आए फेडरल गवरमेंट नहीं चाहते, यूनिटरी गवर्नमेन्ट चाहते हैं जो काम हो वह केन्द्र से हो। आपका विश्वास हो सकता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकती हैं । लेकिन इधर के बैठने वालों का विचार यह नहीं है और आज जनता का भी ऐसा विचार नहीं है कि एक ही आदमी के पास इतनी प्रभुता नहीं है कि वह सब कामों के लिए समर्थवान हो सके। मान्यवर, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि बुद्धि के समन्वय या सामूहिक नेतृत्व के लिये सारे देश के लोगों के विचार में जो राय हो उसी से देश का कल्याण हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में यह भाव है और यूनिटरी में तानाशाही की तरफ वही भाव चला जाता है। इसी वजह से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह शक्ति केन्द्र को देकर आप ऐसा न करें कि उत्तर प्रदेश जो इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा है उसने हथियार डाल दिए हैं और यहां के सदस्यों ने यह महसूस कर लिया है कि हम वनों का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं, खेती स्वयं नहीं कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं हम अयोग्य हैं, वनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। , यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसका सारा अधिकार आप केन्द्र के पास सौंप रहे हैं तो फिर आप विधान सभा और विधान मंडल में क्यों रहते हैं । यह बेहद अयोग्यता की बात है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम विधान सभा के सदस्य अपने इस अधिकार को न छोड़ें, स्वयं को अयोग्य न घोषित करें । इसलिये इस पर आप पुनर्विचार कर लें, इसको पास न होने दें और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

मान्यवर, दूसरी बात भी इसके पीछे है । इस प्रदेश में एक तो वन बहुत कम है। जितनी हमारी आबादी है, जितनी आबादी पर वन होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारी वनस्पति भी होनी चाहिए, वह नहीं है । यह बड़ी शंका का विषय है। अगर हमको त्वरित गति से प्रदेश का विकास करना है, वनों का विकास करना है तो हमारे दल के हिसाब से हमें इन्सानी बस्ती बसाकर फलदार पेड़ और वन लगाने होंगे। हमारे प्रदेश में हरिजन गिरिजन और पिछड़ेवर्ग के ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। उनको जमीन देकर यदि हम उनको बसा देंगे और एक-दो एकड़ जमीन लेकर वे उसमें कुछ फलदार पेड़ लगा देंगे तो उससे प्रदेश की वनस्पति का विकास

[श्री राम स्वरूप वर्मा]
ही होगा और फलों पर आश्रित होकर वे अपनी जीविकोपार्जन भी कर सकेंगे । इसलिए मान्यवर, मुझे एतराज है कि अगर हम इसके अधिकार को केन्द्र के पास भेज देते हैं तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे वे कह सकते हैं कि हम विकास नहीं करने देंगे, फल नहीं लगाने देंगे। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रदेश का त्वरित गति से विकास हो . . .

श्री त्रिवेनी–

मान्यवर, समय भी हो रहा है । पौने 6 बज रहा है । कोई समय आप नियत कर दें । वर्मा जी तो चाय पीकर आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने कार्य मंत्रणा में आधा घन्टे का समय इसके लिये रखा है । चाय के लिए भी समय रखना चाहिए था। इसलिए जब तक समय नहीं हुआ मैं उनके बोलने से नहीं रोक सकता ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, उनका नाम ही त्रिवेणी राय है इनमें भी सरस्वती गायब है इसलिए उनकी बात सुनना हमारे लिए निरर्थक है । इसलिए मान्यवर, उनको आप क्षमा कर दें। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यदि यह अधिकार हम केन्द्र को दे देंगे तो हम त्वरित गति से विकास नहीं कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश के 7 हजार फिट से ऊपर के पहाड़ों पर लकड़ी के जो भी वृक्ष लगें देवदार के लगें या दूसरे किस्म के लगें । लेकिन हमारी राय है कि, जो फलोद्दान की जानकारों की राय पर आधारित है, कि 7 हजार तक पर हम फल लगा सकते हैं, जिसमें पेड़ और वनस्पति होगी । उनसे हजारों आदमी अपनी जीविका का साधन चलायेंगे और बढ़ायेंगे । किन्तु यदि हम इसको केन्द्र के हाथ में सौंप देंगे तो हमें इसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा और हम उनकी तरफ टुकुर-टुकुर देखेंगे, हम असहाय हो जाएंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा ख्याल है कि शायद आपने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है, वन लगाने से रोकने की कहां बात है?

श्री राम स्वरूप वर्मा–

वनों को फलोद्यानों में परिवर्तित करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे केन्द्र का नियम बन जायगा और वह जो विकास हेतु नियम बनायेंगे, उसी के अन्तर्गत हमको करना पड़ेगा । लगाने पर रोक नहीं है, लेकिन वह कहेंगे कि लकड़ी के पेड़ लगाओ और हम फल लगाना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने इसे देखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

यह अधिकार निहित है, वह फलों की नहीं लकड़ी के वनों की बात सोचेंगे जबकि हम 7 हजार फीट की ऊंचाई तक चाहें तो फल लगा सकते हैं । इसके लिए हमें बाद में केन्द्र से दरख्वास्त करनी पड़ेगी। अतः हम चाहते हैं कि जब संविधान निर्मात्री सभा ने भलीभांति सोच कर वनों, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन को खेती के अन्दर रखा है, और उसके अंदर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया है तो अब जब केन्द्र इस तरह से करेगा तो इसका मतलब यह है कि हमने कह दिया कि हम यह करने में असमर्थ हैं और हम अपना अधिकार उन्हें सौंप रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इसका आखिरी पैरा पढ़ें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

यह तो सब हम पढ़ चुके हैं । आप देखें सड़कों के किनारे पेड़ लगे रहते हैं लकड़ी के और हमारी सरकार आयेगी और कहेगी कि हम फलों के वृक्ष लगायेंगे। तो इसमें ऐसी चीज नहीं हो सकेगी, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। मान लीजिए हम वहां पर थोड़े हिस्से में आबादी बसाना चाहते हैं तो उसको भी हम नहीं कर पायेंगे , बिना उनकी अनुमति के । इन कारणों से हम इसका सख्त विरोध करते हैं और माननीय सदस्यों से भी कहते हैं कि यदि यह पास होगा तो यह आप सबकी अयोग्यता का परिचायक होगा। और आप कहने के लायक नहीं होंगे कि विधान सभा को कायम रखें, हम भी काम कर सकते हैं। इसका अर्थ होगा कि केन्द्र इनका विनियमन करे हम नहीं कर सकते हैं। यह चीज नहीं परिलक्षित होनी चाहिए। इसलिए मंत्री जी इसको वापस ले लें और केन्द्र से कहें कि यह हम आपको नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि कल यह सवाल उठेगा कि उत्तर प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, इसलिए सर्वसम्मति कहेगी कि यह विषय भी केन्द्र को सौंप दिया जाय और हम लोग केन्द्र की पुलिस के अन्तर्गत हो जायं। अयोग्यता शासन की हुआ करती है, विषय की नहीं। इस विषय को हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केन्द्र इसको करे यह उचित नहीं होगा। अगर आप किसी भी विषय पर उनको विनियमन का अधिकार देते हैं तो फैडरल गवर्नमेन्ट क्यों चला रहे हैं? इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे पार्टी से ऊपर उठकर विधान सभा की गरिमा के लिए अपने अधिकारों के लिए इसका विरोध करें ?

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मैंने पिछली बार भी वन के बजट पर बोलने का प्रयास किया। नियम 52 में भी अध्यक्ष पीठ से लिख कर आया कि इस पर बहस होने वाली है, आपको इस पर बहस करने का समय मिल जायेगा लेकिन नहीं मिला। क्या कारण है कि मुझे ही समय क्यों नहीं मिलता है ? मेरा जीवन भर वनों से सम्बन्ध रहा है। मेरे बजाय दूसरे को समय दे दिया गया। मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी इस पर बोलने का अवसर दिया जाय ?

(संसदीय कार्य मंत्री को पुनः पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मैं सदन से दुबारा वाक आउट कर रहा हूं । चूंकि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया अतः आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मुझे सदन का त्याग करना पड़ रहा है।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुनः पुकारे जाने पर)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

[× ×]

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

[× ×]

नोटः–[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना आदेश के बोल रहे हैं, यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

चूंकि आपने मुझे बोलने नहीं दिया अतः मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्यागकर चले गये ।)

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस संकल्प पर हमारे सारे उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का भविष्य निर्भर करता है, किस प्रकार से हमारा इकौलोजिकल बैलेन्स रहेगा, कैसे पूरे भारतवर्ष के लिए एक पौलिसी बनेगी जिससे हमारे जंगल सुरक्षित रह सकें। मैं समझता था कि कम से कम इस पर तो सब सहमत होंगे।

"जिक्र छिड़ गया जब कयामत का
बात पहुंची तेरी जवानी तक"।

एक माननीय सदस्य ने इन्टर रिलेशनशिप की बात छेड़ दी और दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि यह शासन बिलकुल ही अयोग्य हो गया है कि अपने अधिकारों को दूसरों को दे रहा है। उन्होंने एक संवैधानिक आपत्ति यह भी उठायी कि पहले यह केन्द्र की लिस्ट में नहीं था और न उनके अधिकार में ही था जिसे अब कौनकरेन्ट लिस्ट में लिया जा रहा है। शिक्षा भी पहले सेन्ट्रल लिस्ट में नहीं थी, बाद में कौनकरेन्ट लिस्ट में आ गयी। परिस्थितियां बदला करती हैं कि केन्द्र का राज्य सरकार से कैसा सम्बन्ध हो। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस थोड़े से समय में इस पर बात नहीं की जा सकती है। हमारा पूरा वातावरण खराब हुआ है और यह एक खतरनाक चीज है कि दरख्त कट रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक युनिफार्म पौलिसी इस सम्बन्ध में बने बहुत से जंगल इन्टर स्टेट बाउंडरी के पास एक दूसरे से मिलते हैं तो जो कटान हो वह एक दूसरे से मिलता हो। इसके लिए एक यूनिफार्म पौलिसी का होना बहुत जरूरी है। मान्यवर, आपको ख्याल होगा कि 1927 में एक इंडियन फारेस्ट एक्ट पास हुआ था लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां थीं रिजर्व्ड फारेस्ट तो इसके अन्दर थे लेकिन आज जो अरबन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, उनमें जो दरख्त लगे हुए थे, वे इसमें नहीं आते थे। तो उनका कटान भी शुरू था।

यह आवश्यक है कि हमारे यहां कम से कम 60 प्रतिशत भूमि में जंगल हों। आज बारिश की कमी है, रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, आगरा के पास के जिले में जंगल नहीं रह गये हैं, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो वह क्षेत्र रेगिस्तान हो जायगा। इसलिए इस बात की आज जरूरत है कि केन्द्र को यह अधिकार दिया जाये कि वे इस संबंध में ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे कि सारे भारतवर्ष में जंगल प्रभावित न हों। आज अगर राजस्थान के रेगिस्तान को बढ़ने दिया गया तो क्या उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ेगा? यहां पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आन्ध्र प्रदेश में अगर कुछ होता है तो उसका भी प्रभाव हमारे यहां पड़ेगा।

मान्यवर, बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन पर केन्द्र अपना कानून बनाता है। आपने केन्द्र को डाक तार विभाग क्यों दे दिया, डिफेन्स क्यों दे दिया, आप स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकते थे, मगर आपने दिया, उसकी आवश्यकता थी। आज केन्द्र में और राज्यों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रह गया है, आपस में समन्वय है, कोआर्डिनेशन है। (व्यवधान) आपने कहा कि यह सरकार शासन करने के अयोग्य है, यह तो आगे चल कर इतिहास बतायेगा कि किसने 30 सालों तक शासन किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश की वन सम्पदा का वनोन्मूलन रोकने और नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और उससे सम्बद्ध तथा आनुषंगिक तथा प्रासंगिक विषयों को संसद द्वारा विधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में विनियमन किये जाने के संबंध में संकल्प

और कांग्रेस 3 वर्षों में ही बिखर गया। कुर्सी पर बैठने के बजाय कुर्सी ही उनके ऊपर चढ़ गयी। अगर प्रदेश के भले की भी बात हो तो उसकी भी मुखालफत करना, जनता की भलाई की चीज की भी आलोचना करना, ठीक नहीं है। काले चश्मे को लगाकर तो मान्यवर, काला ही दिखायी देगा, अन्धेरा ही दिखायी देगा। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि यह सम्मानित सदन इस संकल्प को पास करे जिससे कि भविष्य में होने वाले जंगलों के कटान को रोका जा सके। आज इन्टर स्टेट रिलेशन में या केन्द्र और प्रदेश के रिलेशन में कोई अन्तर नहीं है, कोआर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो संकल्प संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है यह सदन उसे स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 56 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
3 अप्रैल, 1981

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 544 पर।)

देवरिया जनपद के विकास खण्डों की सूची जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त योजनायें चल रही हैं।

1—खड्डा
2—नौरंगिया-मिलबा
3—राम कोला
4—कैपटन गंज
5—सुखरौली
6—विशनपुरवा
7—दुद्ही
8—सिवराही
9—मोतीचक
10—भालूवानी
11—भागलपुर
12—भटनी
13—भाटपाररानी
14—बनकट
15—रुद्र पुर
16—रामपुर कारखाना
17—देवरिया
18—फाजिल नगर
19—तमकूही
20—करिया
21—लार
22—बरहज
23—सलेमपुर
24—पथरदेवा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ 565 पर)।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् और गण्डी समिति (कार्यकाल का विस्तार) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण:—

1—प्रस्तावना की पंक्ति 3 में शब्द "अधिनियमित" के स्थान पर शब्द "अधिनियमिति" कर दिया गया है।

अखिलेश यादव

पी0एस0यू0पी0—एल0 72 वि0 सभा (124)—1982—813।